बाँदा जनपद में साम्यवादी दल की भूमिका

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी (उ0प्र0)

राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत

डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ.राजीव रत्न द्विवेदी
प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र विभाग
पी0जी0कालेज अतर्रा,
जनपद-बाँदा (उ0प्र0)

शोधार्थिनी

श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
शासकीय सरोजनी नायडू
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भोपाल (म0प्र0)

डॉ0राजीव रत्न द्विवेदी
एम0ए0 (राजनीति विज्ञान), पी.एच.डी.,

प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
पी.जी.कालेज अतर्रा
जनपद बाँदा, उत्तरप्रदेश

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शा.सरोजनी नायडू स्नाकोत्तर महाविद्यालय भोपाल (म0प्र0) द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध बांदा जनपद में ''साम्यवादी दल की भूमिका'' मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0वि/शोध/99/7010-12 दिनांक 3/5/99 के द्वारा राजनीति विज्ञान विषय में शोध कार्य के लिये पंजीकृत हुई। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डिनेन्स की धारा 7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि में शोध केन्द्र में उपस्थित रही। यह इनकी मौलिक कृति है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोषजनक रूप से परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है। मैं इस शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूं।

(डॉ0राजीव रत्न द्विवेदी)
शोध निर्देशक
प्राध्यापक
पी.जी.कालेज अतर्रा
जनपद बाँदा, उत्तरप्रदेश

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	
प्रथम अनुक्रम	सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य	3—26
द्वितीय अनुक्रम	शोध परम्परा एवं अध्ययन विधि	27—34
तृतीय अनुक्रम	भौगोलिक स्थिति एवं समाज	35—46
चतुर्थ अनुक्रम	दलीय संरचना	47—82
पंचम अनुक्रम	दलीय दृष्टिकोण	83—111
षष्टम अनुक्रम	बॉदा की राजनीतिक दलीय व्यवस्था एवं साम्यवादी दल की भूमिका	112—126
सप्तम अनुक्रम	निष्कर्ष	127—132

तालिका अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	3.1	जनपद का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या	43
2.	3.2	जनपद में विकासखण्ड	44
3.	3.3	ग्रामीण एवं लघु इकाई	45
4.	4.1	विभिन्न चुनावों में मानिकपुर क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	59
5.	4.2	विभिन्न चुनावों में बबेरू क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	63
6.	4.3	विभिन्न चुनावों में कर्वी क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	67
7.	4.4	विभिन्न चुनावों में बॉदा क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	71
8.	4.5	विभिन्न चुनावों में नरैनी क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	75
9.	4.6	विभिन्न चुनावों में मानिकपुर क्षेत्र के चुनावों के परिणाम	79
10.	5.1	कृषि विकास, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का उत्थान एवं कल्याण	101–102
11.	5.2	बॉदा का औद्योगिक विकास	102–103
12.	5.3	सदस्यों का राजनैतिक स्तर	104
13.	5.4	संयुक्त एवं एकाकी परिवारों का प्रतिशत	105–106
14.	5.5	शिक्षित एवं अशिक्षित परिवारों का प्रतिशत	107
15.	5.6	साम्यवादी दल में आने का उददेश्य	108–109
16.	5.7	पिछड़े व हरिजन वर्ग के उत्थान एवं अन्य कारण	109–110

चार्ट, मानचित्रों एवं ग्राफ का विवरण

पृष्ठ संख्या

1.	जनपद की व्यवस्थागत स्थिति (तृतीय अध्याय)	42
2.	दल प्रणाली (चतुर्थ अध्याय)	49
3.	भारतीय दल व्यवस्था (षष्टम अध्याय)	113
4.	चार्ट (दल–बदल आंकड़े, षष्टम अध्याय)	121

मानचित्र

1.	उत्तरप्रदेश के मानचित्र में बॉदा जनपद की स्थिति (तृतीय अध्याय)	35
2.	जनपद का मानचित्र (तृतीय अध्याय)	40

ग्राफ

1.	मानिकपुर निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	62
2.	बबेरू निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	66
3.	कर्वी निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	70
4.	बॉदा निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	74
5.	नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	78
6.	तिन्दवारी निर्वाचन क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत	82

परिशिष्ट

कमसंख्या		विवरण	पृष्ठ संख्या
1.		शोध कार्य हेतु प्रश्नावली (विधायकों एवं कार्यकर्ताओं हेतु)	133
2.		प्रश्नावली (सदस्यों हेतु)	134—136
3.		साम्यवादी दल (संविधान नीतियां कार्यकम)	137—150
4.		दल—बदल दसवीं अनुसूची	151—156
5.		संदर्भ अनुक्रमणिका	
	अ.	ग्रन्थ	157—162
	ब.	समाचार पत्र एवं जर्नल	163
	स.	अन्य	163

प्राक्कथन

जब तक आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक शोषण, सांस्कृतिक पिछड़ापन, अशिक्षा समाज में व्याप्त रहेंगे तब तक क्रान्तिकारी इकाईयों का शोध महत्व भी कायम रहेगा। यह है तो सर्वमान्य है कि सम्पूर्ण तीसरी दुनिया अत्यन्त नाजुक स्थिति में है। बेकारी, बेरोजगारी की समस्या है तब तक साम्यवादी क्रान्ति, साम्यवादी दल और साम्यवादी नेतृत्व का अपना महत्व है। ठीक इसी दृष्टिकोण से हमने भारतीय समाज के एक जनपद का अध्ययन करना आवश्यक समझा। जनपद के साथ-साथ हमने संगठनात्मक दृष्टि से साम्यवादी दल का अध्ययन करना ही उचित समझा। अध्ययनगत जनपद उत्तरप्रदेश का बांदा जिला है। प्रायः जब तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते है तो हम हर दृष्टि से बैकवर्ड माने जाते है। वास्तविकता तो यही है कि इसी जनपद में भारत के अनंतम महाकाव्य की रचना की गयी है। आज भी यह महाकाव्य हर भारतीय का सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। इसके अतिरिक्त वन्य कला, जन शिल्प, जन साहित्य, नेतृत्व की दृष्टि से बुन्देलखण्ड का यह क्षेत्र अग्रणी इकाई है। इसके बावजूद भी जनपद को हम प्रायः बैकवर्ड विशेषण से विभूषित कर देते है। हाँ इतना अवश्य है कि आर्थिक स्थिति में भी जनपदीय जीवन परिवर्तित हो रहा है। विकास की ओर अग्रसर है। अतः इसी परिपेक्ष्य में अन्य दलों के अतिरिक्त साम्यवादी दल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चुनावी दृष्टि से इस दल का स्थान बहुत ही नगण्य है। लेकिन परिवर्तन की दृष्टि से इस दल की भूमिका क्रान्तिकारी रही है। इसी दृष्टि से हमने जनपद और उसके साम्यवादी दल का अध्ययन करना समुचित समझा ।

प्रत्येक अध्ययन एक सामूहिक कार्य है। प्रस्तुत अध्ययन भी एक सामूहिक प्रयत्न का प्रतिफल है। अतः यह उचित ही होंगा कि हम विभिन्न संस्थाओं एवं संगठ्नों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट करें। मैं अपने निर्देशक डॉ0राजीव रत्न द्विवेदी, प्राध्यापक, पी.जी. कालेज, अतर्रा के प्रति उनके अमूल्य निर्देशन के लिये

हृदय से आभारी हूं। साथ ही मैं अपने उन उत्तरदाताओं के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करती हूं जिन्होंने साक्षात्कार देकर एंव अन्य तरीकों से मुझे संबंधित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग दिया। निर्वाचन आयोग, उत्तरप्रदेश सरकार के पदाधिकारियों की भी आभारी हूं जिन्होंने चुनावी आकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग दिया।

साथ ही मैं अपने पति श्री राकेश श्रीवास्तव के प्रति भी हार्दिक रूप से आभारी हूं जिनकी प्रेरणा एवं सम्बल से यह कार्य सम्पन्न हो पाया क्योंकि शायद उनके सहयोग के बिना यह कार्य असम्भव था। मैं अपने पूज्यनीय माता-पिता की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस स्तर तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। सभी पारिवारिक सदस्यों की भी आभारी हूं जिनका अप्रत्यक्ष सहयोग मिला ।

अन्त में मैं इस शोध प्रबंध के कम्प्यूटर टंकण एवं डिजाईनिंग हेतु श्री सिराजुददीन की भी आभारी हूं जिनका मुझे सराहनीय योगदान मिला। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विद्वानों, नेताओं एवं मौलिक चिन्तकों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यदि यह प्रयास जनपदीय विकास एवं साम्यवादी दल के संवर्द्धन में उपयोगी सिद्ध होता है तो शोद्यार्थिनी इसे अपने श्रम का पुरस्कार समझेगी।

आकांक्षारत

(श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव)
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान,
शा0सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भोपाल,म0प्र0

प्रथम अध्याय

प्रथम अध्याय

सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

1.1 मार्क्सवाद एवं साम्यवाद

1.2 साम्यवाद के विभिन्न सिद्धान्त

1.3 साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद

"सारा यूरोप एक दैत्य से भयभीत रहा है वह है मार्क्सवाद (साम्यवाद का दैत्य) पुराने यूरोप की सभी शक्तियॉ इस दैत्य का वध करने के लिये एक पवित्र गठबन्धन में बंध गई पोप और जार, मैकनिक और गिजोट, फ्रेंच क्रांतिकारी और जर्मन पुलिस के जासूस ।"

इस घोषणा पत्र के साथ 1848 में लन्दन में "साम्यवादी घोषणा पत्र" प्रसारित हुआ था और इस घोषणा पत्र के प्रसारित होने की एक शताब्दी पूरी होने से भी पूर्व यूरोप का दैत्य सारे विश्व के आकाश में छा गया केवल यूरोप ही क्यों, समस्त संसार उससे भयभीत होने लगा और समस्त पश्चिमी जगत उसके विरूद्ध किलेबन्दी करने लगा । निश्चित रूप से साम्यवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक विस्फोटक विचारधारा है। इसने सम्पूर्ण मानव जाति को दो भागो में बॉट दिया है। एक तो वह भाग है जो साम्यवाद के रंग में रंग गया और बाकी संसार को भी लाल कर देना चाहता है और दूसरा वह भाग है जो साम्यवाद का घोर शत्रु है और हर कीमत पर साम्यवाद का प्रसार रोकना चाहता है। कैरयुहंर ने लिखा है "साम्यवाद आधुनिक जगत का सबसे बडा विध्वंसक आंदोलन है यद्यपि पश्चिम को इसका ज्ञान रूस की क्रांति के बाद हुआ। इसने आज की मानव जाति को दो गुटों में विभाजित कर दिया है।"[1]

साम्यवादी दल के परिपेक्ष्य में पहले साम्यवादी दर्शन एवं उसके सिद्धान्तों की चर्चा आवश्यक हो जाती है। साधरणतः मार्क्सवाद को ही साम्यवाद कहा जाता है, परन्तु विश्लेषण करने पर दोनों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है वैसे तो साम्यवादी दर्शन मार्क्सवादी दर्शन ही है परन्तु यथार्थ में साम्यवाद मार्क्स के विचारों का व्यावहारिक रूप है। वास्तव में साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहां पर राज्य व वर्गों की अनुपस्थिति हो तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। साम्यवाद, समाजवाद वह उन्नत शील रूप है जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रयोग शोषण के लिए न होकर जन कल्याण के लिए होता है। साम्यवाद मार्क्स द्वारा

---

1. कैरयुहंर जी मेयर दी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ कम्यूनिज्म (1950) पृ0– 40

बताये गये समाज के विकास का अन्तिम चरण है। इससे मार्क्स तथा एंजिल्स के दर्शन के क्रान्तिकारी पक्ष कहकर भी पुकारते है। सारांश में साम्यवाद सर्वहारा क्रान्ति तथा मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप देने का एक महान प्रयत्न है। साथ ही लेनिन द्वारा मार्क्सवाद में कुछ संशोधन भी किया गया तथा मार्क्सवाद को साम्यवाद की स्थापना के लिये पूर्ण उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया, अल्फ्रेड जी मेयर [1] का कहना है कि मार्क्सवाद मानवीय विकास का द्वन्द्वान्मक सिद्धान्त है। यह सिद्ध करने के लिये कि पूँजीवादी प्रणाली को नष्ट करना आनिवार्य है मार्क्स की एक वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिपादित करने की उत्कंठा रही है। द्वन्द्ववाद ने ऐसे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धान्त को आधार प्रदान किया। द्वन्द्ववाद का सिद्धान्त मूर्तरूप से मार्क्स का दिया हुआ नहीं है। प्लेटो ने अपने समय में गलत विश्वासों का पर्दापाश करने के लिये संवादों में द्वन्द्वान्तक प्रक्रिया का प्रयोग किया परन्तु मार्क्स ने द्वन्द्ववाद को भौतिक अंश प्रदान किया जो मार्क्स के बाद सभी सामाजिक विज्ञानों का आधार बन गया।

मार्क्स फ्रैंच भौतिकवादी (हेल्पेटियस और हौलबैक) और समकालीन जर्मन आदर्शवादी दर्शनों से विशेष रूप से हीगल से बहुत प्रभावित हुआ, परन्तु कुछ समय पश्चात उसने इन प्रणलियों को रद्द कर दिया। कैरयुहंट का कहना है कि हीगल के लिये इतिहास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निरपेक्ष निरन्तर अपने आप प्रकट करता रहता है जिसकी वास्तविकता समय के साथ–साथ और भी उभरती है तथा इस तरह से उसका निखार प्रारम्भिक समुदायों की अपेक्षा राष्ट्रीय राज्यों में होता है। [2]

मार्क्सवाद और परिवर्तन : मार्क्सवाद मानवीय विकास का द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त है। यह सिद्ध करने के लिए की पूंजीवादी प्रणाली को नष्ट करना अनिवार्य है। मार्क्स की एक वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिपादित करने की उत्कंठा रही है। द्वन्द्ववाद ने ऐसे सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन को आधार प्रदान किया।

---

1. अल्फ्रेड, जी मेअर 'माम्सिज्म, 'एन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंसिज', कैरयुहंर खंड–10,पृत्र–40

2. कैरियूहंट आइ.एन.– 'दी थ्योरी एंड प्रैक्टिस आफ कम्युनिज्म (1950) पृ0–40

हीगल की मृत्यु के पश्चात : उसके अनुयायी वामपंथी एवं दक्षिणपंथी दो गुटों में बंट गये। वामपंथी समूह का श्रेष्ठ दार्शनिक फिय़रबुक (1804-1872) था। मार्क्स के ऊपर फियरबुक के इइस सिद्धान्त का गहरा प्रभाव पड़ा कि भगवान स्वयं मनुष्य की आशाओ और आकांक्षाओं की सुन्दर रचना है। मार्क्स ने फियरबुक के विचारों को स्पष्ट रूप से समाजवादी गुण प्रदान किया। मार्क्स ने लिखा है कि मनुष्य धर्म को बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता। धर्म दलित प्राणियों की आह है। मानव आह के शून्य हृदय की भावना है। ठीक वैसे ही जैसे कि अध्यात्मक विरोधी परिस्थितियों की आत्मा है। यह लोगों का नशा है। मार्क्स ने फियरबुक के विचारों को स्पष्ट रूप से समाजवादी गुण प्रदान किया।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त मार्क्स के समाजवाद रूपी इमारत की आधारशिला उसका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त है। मार्क्स ने द्वन्दवाद के सिद्धान्त को हीगल के दर्शन से अपनाया है, परन्तु इस सिद्धांत की व्याख्या अपने भौतिकवादी विचारों के अनुरूप की है। इसमें उसने द्वन्द्ववाद का विचार तो हीगल की द्वन्द्ववाद पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फ्यूअरबाख से इन दोनो के सम्मिश्रण ने द्वन्द्ववाद के सिद्धान्त को एकदम नई और भौतिक दिशा प्रदान की।[1] हीगल के अनुसार विश्व का नियमन करने वाली सत्ता दैवीय मन या विश्वात्मा या दैवीय विवेक है जो विश्व की समस्त जड़ तथा चेतन प्रवृत्तियों की नियामक शक्ति है। ऐतिहासिक विकास इसी विश्वात्मा का रूप है जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार दैवीय विवेक की अभिव्यक्ति करता है। इस दृष्टि से उसने द्वन्द को वैचारिक द्वन्द्व को वैचारिक द्वन्द के रूप में देखा और स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि किसी विचारधारा के उत्पन्न होने और उसके परिमार्जित होने की प्रक्रिया क्या है। हीगल के इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये हट का कथन है कि द्वन्दात्मक प्रक्रियावाद

---

1 अफनास्येव, 'मार्क्सवादी दर्शन' पृ0 - 44

(Thesis), प्रतिवाद (Anti Thesis) और सम्वाद (Synthesis) की प्रक्रिया है। वाद एक सिद्धान्त की पुष्टि करता है। प्रतिवाद उसे अस्वीकार करता है या निषेध करता है और सम्वाद, वाद और प्रतिवाद दोनो में जो सत्यांश है उसे अपने में समाहित करता है और इस तरह हमे यथार्थ के अधिक निकट लाता है लेकिन जैसे ही सम्वाद का अधिक निकट से निरीक्षण करते हैं तो हमे ज्ञात होता है कि वह भी अपूर्ण है। अतः वह पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है और पुनः संघर्ष की पूर्व प्रक्रिया को आरम्भ कर देता है। फलतः उसका प्रतिवाद द्वारा निषेध किया जाता हे और सम्वाद में पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार यह त्रिकोणात्मक विकास क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तत्व आदर्श रूप नहीं प्राप्त कर लेता है अर्थात वह सभी अन्तर्विरोधों से मुक्त नहीं हो जाता है।[1]

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि यह परस्पर विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष से संचालित होता है। यह संघर्ष अतंतः उन पारस्परिक विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देता है जिससे उच्च स्थिति में उन दोनो तत्वों के गुण विद्यमान होते है। कालान्तर में यह समन्वय पुनः अपने विरोधी विचार को जन्म देकर संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। संघर्ष और समन्वय की यह प्रक्रिया जिसे हम द्वन्द्वात्मक पद्धति कहते है उस समय तक चलती रहती है जब तक विचार का आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता है और वह आन्तरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो जाता ।

मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास को दर्शाने के लिये हीगल की 'द्वन्द्वात्मक पद्धति' के संशोधित रूप को प्रयोग किया। उसके द्वारा किये गये इस संशोधन से द्वन्द्ववाद 'वैचारिक द्वन्द्व' से निकलकर पदार्थ में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से जुड़ गया जो पदार्थ में निहित अन्तर्विरोधों का परिणाम था। इस संशोधन को स्पष्ट करते हुये उसका स्वयं का कथन है कि-

''हीगल के लेखन में द्वन्द्ववाद सिर के बल खड़ा है, यदि आप रहस्यात्मकता के आवरण में छिपे सार तत्व को देखना चाहते है तो आपको उसे पेरों के बल (यानि

1. कैरिहंट, आर.एन. 'द थ्यौरी एण्ड प्रेक्टिस आफ कम्युनिज्म' पृष्ठ 17-18

भौतिक आधार पर) सीधा खड़ा करना पड़ेगा।[1]

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की इस धारणा को स्पष्ट करते हुये मार्क्स यह मत व्यक्त करता है कि विश्व अपने स्वभाव से पदार्थवादी है इसलिये विश्व के विभिन्न रूप गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं । यह विकास द्वन्द्वात्मक पद्वति के माध्यम से होता है । उसके मतानुसार भौतिक विकास प्राथमिक महत्व का है जबकि आत्मिक विकास द्वितीय महत्व का । वास्तव में आत्मिक विकास, भौतिक विकास का प्रतिबिम्ब मात्र है । इस परिपेक्ष्य में उसने निम्न कथन दिया है, – "मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती ब्लकि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है ।" [2]

मार्क्स का निष्कर्ष था कि ऐतिहासिक विकास कम में विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत द्वन्द्व का कारण उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन के साधनों के मालिकों के मध्य द्वन्द्व का होना है । जब भी उत्पादन शक्तियों का स्वरूपपरिवर्तित हुआ । समाज में दो वर्गो का अस्तित्व बना रहा है । और उनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है । प्रत्येक व्यवस्था के अन्तर्गत द्वन्द्ववाद का उद्देश्य आर्थिक वर्गो का निराकरण करके वर्गविहीन समाज का निर्माण करने की प्रवृत्ति का होना था परन्तु परिवर्तित संघर्षरत् वर्गों का निराकरण नही कर सकी । अतः वाद प्रतिवाद और संवाद का कम जारी कर रहा । मार्क्स के अनुसार सामन्तवादी व्यवस्था वाद थी तो पूंजीवादी व्यवस्था प्रतिवाद थी । इस प्रतिवाद को समाप्त करके संवाद के रूप में वर्गविहीनसमाज की स्थापना द्वन्द्ववादी विकास का लक्ष्य है ।

इस प्रकार जहॉ हीगल का द्वन्द्ववाद परिवार को वाद बुर्जआ समाज को प्रतिवाद तथा राज्य को संवाद मानता है और होगल की दृष्टि में जर्मन राष्ट्र राज्य इस प्रकिया की अन्तिम स्थिति है । जहॉ पर कि विश्वात्मा अपने पूर्ण में अवतरित हो

---

1. मार्क्स, कार्ल, 'द किटिक आफ पोलिटिकल इकोनामी : पृष्ट–11
2 मार्क्स, 'कैपिट्ल' (हिन्दी संस्करण) : पृष्ठ 28

जाती है उसी प्रकार मार्क्स का द्वन्द्ववाद भी वर्गविहीन समाज की स्थापना को द्वन्द्ववाद की अन्तिम मंजिल (संवाद) में मानता है जिसके अन्तर्गत आर्थिक संघर्षरत वर्गो के अभाव में फिर प्रतिवाद या संवाद की व्यवस्थाओं के आने का प्रश्न नहीं उठेगा। इस प्रकार द्वन्द्ववाद की प्रक्रिया में मार्क्स आध्यात्मिक या विचार के स्थान पर भौतिक या पदार्थ तत्व में योगदान को मान्य करता है। इसलिये उसका सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद

ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या केवल भौतिकवादी द्वन्द्ववाद है जिसका प्रयाग समाज के मानवीय संबंधों के विशेष क्षेत्र में किया गया है।[1] इतिहास की गति द्वन्द्वात्मक है। प्रत्येक स्थापित व्यवस्था वाद होती है जो प्रतिवाद को जन्म देती है और कुछ समय के पश्चात् उसका संवाद हो जाता है। इस प्रकार क्रान्ति अनिवार्य है। एक ही महत्वपूर्ण कारण जो इतिहास की गति निर्धारित करता है और विनिमय के साधनों में परिवर्तन करना होता है।

इतिहास की आर्थिक व्याख्या

ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा प्रदत्त विकास के कठोर मार्ग को आर्थिक कारण अर्थात उत्पादन ने गति प्रदान की। उत्पादन के दो कारण है जैसे– उत्पादक शक्तियां (उत्पादन के साधन) और उत्पादक संबंध (उत्पादन के समय पारस्परिक संबंध) एंजेल्स ने भौतिकवाद से आर्थिक संक्रमण काल की व्याख्या इस प्रकार की है:–

इतिहास की भौतिकवादी धारणा इस परिकल्पना से प्रारम्भ होती है कि मानव जीवन को चलाने के लिये उत्पादन के साधन और उत्पादन के पश्चात उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही सारे सामाजिक ढांचे का आधार होता है। इतिहास में जितने भी समाज हुये है उनमें जिस प्रकार से धन का वितरण किया गया है और समाज को जिन वर्गों या व्यवस्थाओं में बांटा गया इन सभी का आधार यह था कि उत्पादन क्या किया जाता है और **इसका विनिमय किस प्रकार किया जाता है।**

---

1. केरियोहंट आर.एन., 'दी थ्योरी एंड प्रैक्टिस आफ कम्यूनिज्म', पृष्ठ – 61

इस दृष्टिकोण से सभी सामाजिक परिवर्तनों और राजनीतिक क्रान्तियों के अन्तिम कारणों की खोज न तो लोगों की वृद्धि में करनी है और न ही लोगों की सनातन सत्य और न्याय की दूर दृष्टि में वरन् यह खोज उत्पादन के तरीकों और विनिमय के परिवर्तनों में करनी है। उनकी खोज दर्शन में नहीं वरन् प्रत्येक विशेष युग के अर्थशास्त्रों में करनी है।

इस विषय में मार्क्स का सर्वोत्तम अकेला वक्तव्य क्रिटिक आफ पोलिटिक्ल इकानामी (1859) की प्रस्तावना में जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है :-

1. उत्पादन में लोग विशिष्ट सम्बन्ध बना लेते है जो अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र होते है।
2. ये उत्पादक सम्बन्ध उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विशेष स्तर के अनुरूप होते है।
3. समस्त उत्पादक सम्बन्ध समाज के आर्थिक ढॉचे को बनाते है और यह एक वास्तविक आधार होता है जिस पर न्यायिक और राजनीतिक अभिसंरचना का निर्माण होता है।
4. मनुष्यों के अस्तित्व को निश्चित करने वाली उनकी चेतना नहीं वरन् उनका सामाजिक अस्तित्व होता है जो उनकी चेतना का निर्धारण करता है।
5. विकास के एक विशेष स्तर पर समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां उनके विद्यमान उत्पादक सम्बन्धों या सम्पत्ति सम्बन्धों के साथ विरोध में आती है।
6. फिर सामाजिक क्रान्ति का युग आरम्भ होता है। आर्थिक बुनियाद में परिवर्तन के साथ कुछ न कुछ सारे व्यापक ऊपरी ढॉचे को तीव्र गति से परिवर्तित कर दिया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य विशेषता यह स्थापना है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास

में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है। उत्पादन कभी स्थिर नहीं रहता है। वह निरन्तर विकसित होकर सुधरता संवरता रहता है। ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति का यही एकमात्र उपाय है। मार्क्स का कथन है कि:-

"उत्पादन की विकास एक वस्तुगत आवश्यकता और सामाजिक जीवन का एक नियम है। समाज का इतिहास सामाजिक उत्पादन का नियम का अधिशासित विकास है। यह एक उत्पादन पद्धति का जो निरन्तर है, स्थान दूसरी उच्चतर उत्पादन पद्धति के द्वारा लिये जाने की अनिवार्य प्रक्रिया है।"[1]

इस तरह मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुये उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास के नये चरणों को जन्म देती है। इस आधार पर मानव समाज के विकास को कई चरणों मं विभाजित करता है जिसकी सबसे अन्तिम अवस्था साम्यवादी समाज है।

वर्ग-संघर्ष : उत्पादक शक्तियों के कारण उत्पादक सम्बन्ध स्थापित होते हैं क्योंकि ये सम्बन्ध वास्तव में शोषण के सम्बन्ध होते है अतः समाज वर्गो में बंट जाता है। ओवोस्की ने लिखा है कि "आश्यर्च होता है कि मार्क्स के सिद्धान्तों में वर्ग धारणा का रोल इतना बड़ा है कि अवधारणा की परिभाषा तक उसमें नहीं मिलती जिसका प्रयोग उन्होनें अनवरत् रूप से सभी जगह किया है चाहे वे मार्क्स की की रचनाएं हो अथवा एंजेल्स की।"[2]

---

1. अफ्नास्येव, "मार्क्सवादी दर्शन", पृष्ठ 194
2 ओसोवस्की, एस.,"दी कान्सेप्ट आफ ए सोशल क्लास",माक्सिज्म 'माइकल कर्टिस सम्पादित', पृ0-245

एल.डब्ल्यू लंकास्टर के अनुसार ''मार्क्सवादी अर्थो में वर्ग लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो आर्थिक व्यवस्था में अपनी स्थिति की जागरूकता के कारण सुदृढ़ व सुसंगठित होता जाता है। वर्ग में मनुष्य उद्‌गारों, भ्रमों, विचारों के रूप और जीवन के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श व्यक्तिगत रूप में नहीं वरन वर्ग के सदस्यों के रूप में करता है।[1] लेनिन ने वर्गो की अधिक स्पष्ट परिभाषा दी है– लोगों के वे समूह जो ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चित सामाजिक प्रणाली, उत्पादन के सम्बन्धों, श्रमिक सामाजिक उत्पादन प्रणाली, श्रमिक सामाजिक संगठन में नियत कर्त्तव्य और परिणामस्वरूप उनके द्वारा उपलब्ध सामाजिक दौलत में भागीदार होने के तरीकों एंव विस्तार के आधार पर इस दूसरे से भिन्न स्थान रखते है।

मार्क्स ने वर्गो को दो भागों में बांटा है सर्वहारा वर्ग और बुजुर्आ वर्ग। श्रमिक वर्ग समाज का एक ऐसा समूह है जो अपनी अजीविका कमाने के लिये अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है न कि उस पूंजी से उपलब्ध लाभ पर। साम्यवादी साहित्य में लेनिन के अनुसार बुर्जुआ सम्पत्ति का स्वामी होता है जो उस सम्पत्ति का प्रयोग श्रमिक के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिये करता है।

मार्क्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वर्ग संघर्ष के विचार का प्रतिपादक नहीं है। यह विचार मैक्यावेली, एडम स्मिथ और विशेषकर आगस्टिन धाररे के लेखों में मिलता है जिसे मार्क्स ने फ्रांसीसी ऐतिहासिक लेखों में वर्ग संघर्ष का जनक माना है। मार्क्स ने जो कुछ भी किया वह यह सिद्ध करने के लिये किया कि–

1. वर्गो का अस्तित्व उत्पादन के विकास में एक विशेष ऐतिहासिक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है।
2. वर्ग संघर्ष सर्वहारा तानाशाही में बदल जाता है।
3. यह तानाशाही वर्गो को समाप्त करने के लिये और वर्गरहित समाज की स्थापना के लिये एक संकमणीय अवस्था है। साम्यवादी घोषणा पत्र के अनुसार

---

1. लंकास्टर, एल.डब्ल्यू, ''मास्टर्ज आफ पोलिटिकल थार''–', खण्ड– II - पृष्ठ -177

समाज के समस्त अंगो का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति और दास, स्वामी और कृषक दास और भिन्न-भिन्न वर्ग या तो समाज के पुनः निर्माण के लिये था प्रतिस्पर्धक वर्गों को समाप्त करने के लिये संघर्ष करते रहे।

वर्ग संघर्ष के कारण वृत्तियां उत्पन्न होती है जो पूंजीवादी समाज को चार अवस्थाओं में समाप्त कर देती है।

1. वर्गो का ध्रुवण। समस्त समाज दो प्रतिस्पर्धक गुटों में बंट जाता है। दो महान एवं स्पष्ट रूप से विरोधी वर्गों में बंट जाता है।
2 बढ़ते हुये ध्रुवण से वर्ग स्थिति और अधिक कठिन होती जाती है। एक तरफ बुर्जुआ वर्ग दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग की निर्धनता बढ़ती जाती है।
3 दोनों वर्ग आन्तरिक रूप में अधिक से अधिक समरूप होते है।
4 श्रमिक वर्ग की क्रान्ति के फलस्वरूप जब समाजवादी राज्य अस्तित्व में आ जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां से वापस नहीं मुड़ा जा सकता और सारे वर्गो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राज्य का लोप प्रारम्भ हो जाता है।

यद्यपि मार्क्स और एंजेल्स ने बुर्जुआ राज्य को अगर फेंकने के लिये क्रान्तिकारी प्रणाली को मुख्य रूप से वकालत की तथापि उन्होंने इस उददेश्य के लिये कुछ सहायक उपाय भी बताये

1. सर्वहारा वर्ग का संगठ्न अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है।
2 सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक दल के रूप में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होना चाहिये वरन कम्यूनिस्ट लोग अथवा फर्स्ट इंटरनेशनल जैसे किसी अन्तराष्ट्रीय संगठ्न के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी एकताबद्ध होना चाहिये।
3 अपनी मुक्ति के लिये श्रमिक वर्ग को यथार्थ लड़ाई के लिये देश के राजनीतिक विकास की अवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न रीति के कार्य करना चाहिये।

4 सभी कानूनों और सुधारवादी उपाय क्रान्ति के बल पर आधारित क्रान्ति का स्थान नहीं ले सकते बल्कि ये पूंजीवादी राज्य को समाप्त करने के सहायक उपाय समझे जाते है।

5 मार्क्सवादी कूटनीति में समस्त सूक्ष्म सिद्धान्तों और नम्र उपायों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

मूल्य का सिद्धान्तः

पूंजीवाद के विरूद्ध मार्क्स की सारी आलोचना का आधार उसका मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है।

मार्क्स का यह सिद्धान्त मूल्य के अन्य सिद्धान्तों की भांति कीमतों का सिद्धान्त नहीं है। यह उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत पूंजी द्वारा श्रम के शोषण का सिद्धान्त है इसलिये यह केवल पूंजीवादी प्रणाली पर लागू होता है। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत पूंजीपतियों द्वारा किये जाने वाले श्रमिकों के शोषण को स्पष्ट करने के लिये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 'मूल्य के श्रम सिद्धान्त' पर आधारित है।

''इस सिद्धान्त के अनुसार अन्त में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाये गये सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है।''[1]

मार्क्स अपने अतिरिक मूल्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाता है। पहला है उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य का निर्धारण उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होता है लेकिन किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में उपयोग मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विनिमय मूल्य महत्वपूर्ण होता है। जब किसी प्राकृतिक पदार्थ पर मानव श्रम व्यय

---

1. हारमन म.जे.- 'पालिटिकल थार फार्म प्लेटो टू प्रेजेन्ट', पृ0 398

होता है तो यह मानव श्रम उसका विनिमय मूल्य पैदा करता है। इस आधार पर मार्क्स कहता है कि "प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोग बनाने के लिये उस पर व्यय किया जाता है क्योंकि वही उसमें "विनिमय मूल्य" पैदा करता है।[1]

मार्क्स इसके माध्यम से यह सिद्ध करता है कि किसी वस्तु पर व्यय किया गया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम ही उसके वास्तविक मूल्य को निर्धारित करता है।

मार्क्स श्रम को मूल्य का निर्धारक तत्व सिद्ध करने के पश्चात उसी के आधार पर अपने "अतिरिक्त मूल्य" के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने वाला श्रम यद्यपि श्रमिक के द्वारा किया जाता है लेकिन उसका श्रम तभी उत्पादक हो जाता है, जबकि वह उत्पादनके अन्य साधनों के साथ उत्पादन कार्य में प्रयुक्त किया जाये किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के अन्य साधनों का स्वामित्व श्रमिक के हाथ में न होकर पूंजीपतियों के हाथ में होता है। उत्पादन के साधनों के स्वामी श्रमिक को उतना ही वेतन देते हैं जिससे वह किसी तरह अपने को जीवित रख सके। दूसरे शब्दों में मार्क्स कहता है कि श्रमिक अपने श्रम के माध्यम से उत्पादन को अधिक करता है लेकिन पूंजीपति लाभ से प्रेरित होकर उसे अपने श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं देते है । फलस्वरूप वह पूंजीपतियों के शोषण का शिकार होता है। पूंजीपति का यह लाभ मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य है जो श्रमिक अपने जीवन यापन की आवश्यकता से अधिक पैदा करता है लेकिन पारिश्रमिक के लौह नियम के अनुसार जो उसे प्राप्त नहीं होता है और पूंजीपति के द्वारा हड़प कर लिया जाता [illegible] अनुसार एक अतिरिक्त मूल्य"
उन दोनो मूल्यों का अन्तर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है।

---

1. हारमन म.जे.- 'पालिटिकल थार फार्म प्लेटो टू प्रेजेन्ट', पृ0 398

मार्क्सवाद के प्रमुख गुण

मार्क्सवाद के विपरीत यद्यपि अनेक तथ्य रखे गये है। चांग ने मार्क्सवाद के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये है। [1]

1. मार्क्स वर्तमान सामाजिक संगठन की अपर्याप्तता को हमारे समक्ष रखता है। यह पूंजीवाद का सराहनीय निदान है।
2. यह सिद्धान्त सम्बद्ध समाजवादी प्रणाली है जिसका एक निश्चित उददेश्य और स्पष्ट कार्यक्रम है।
3. यह समाजवाद को ऐतिहासिक विकास मानंता है और श्रमिक वर्ग को इसके ऐतिहासिक उददेश्य बताता है और इस तरह यह अपने आपको प्राकृतिक अधिकारों, समानता, न्याय आदि आत्मनिष्ठ सूक्ष्म भावनाओं से अलग रखता है।
4. केवल यही श्रमिक समाजवाद है इसका आदर्श श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
5. यह उत्पादन के महत्व पर विशेष जोर देता है। यहां समाजवादियों ने अपना ध्यान न्यायपूर्ण वितरण पर केन्द्रित किया था परन्तु मार्क्स के लिये उपभोग के वितरण के साधन उत्पादन के साधनों पर निर्भर करते हैं।

साधारणतः मार्क्सवाद को ही साम्यवाद कहा जाता है परन्तु विश्लेषण करने पर दोनों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो साम्यवादी दर्शन मार्क्सवादी दर्शन है परन्तु यथार्थ में साम्यवाद मार्क्स के विचारों का व्यावहारिक रूप है। साथ ही लेनिन द्वारा मार्क्सवाद में कुछ संशोधन भी किया गया है तथा मार्क्सवाद का साम्यवाद की स्थापना के लिये पूर्ण उपयुक्त बनाने का प्रयास किया गया। वास्तव में साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहां पर राज्य और वर्गो की अनुपस्थिति हो तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। व्यक्तिगत लाभ के

---

1. चांग, एस.एच.–''दी मार्क्सियन थ्योरी आफ दी स्टेट'' पृ0 197

स्थान पर सामूहिक लाभ हो। साम्यवाद समाजवाद का वह उन्नतशील रूप है जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रयोग शोषण के लिये न होकर जनकल्याण के लिये होता है। साम्यवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम तथा योग्यतानुसार पारिश्रमिक प्राप्त होगा। साम्यवाद मार्क्स द्वारा बताये गये समाज के विकास का अन्तिम चरण है। इसे मार्क्स तथा ऐंजिल्स के दर्शन का क्रान्तिकारी पक्ष कहकर भी पुकारते है। सारांश में साम्यवाद सर्वहारा क्रान्ति तथा मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप देने का एक महान प्रयत्न है।

साम्यवाद का आधार मार्क्स का दर्शन है, परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् मार्क्सवाद को सोशल डेमोक्रेट्स के प्रहार से बचाने तथा उसे व्यावहारिक रूप देने का श्रेय लेनिन को जाता है। कार्ल कातस्की प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता था। वह लेनिन और रूसी क्रान्ति का विरोधी था। उसके द्वारा वोल्शेविज्म का विरोध यह कहकर किया गया कि यह अल्पमत का शासन है जो पशुबल का प्रतिनिधित्व करता है। लेनिन ने अपनी समस्त शक्ति मार्क्सवाद को संशोधनवादियों से बचाने, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को रूसी क्रान्ति के रूप में व्यावहारिक रूप देने और साम्यवाद की पहली मंजिल सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने तथा साम्यवाद के लिये आग का मार्ग प्रशस्त करने में लगा दी। उसने इसके लिये साम्यवाद में कुछ संशोधन भी किये। यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो हम लेनिन को ही मार्क्सवाद का जनक कह सकत है। यद्यपि सिद्धान्ततः मार्क्स ने साम्यवाद का दर्शन प्रतिपादित किया था। लेनिन ने सर्वप्रथम रूस में सन् 1918 में साम्यवाद की स्थापना का श्रीगणेश किया तथा उसी के सिद्धान्त और नीतियों पर चलकर आगे अन्य देशों में भी साम्यवादी व्यवस्था प्रारम्भ की गई । वोल्शेविज्म पूर्णतः लेनिन की वृत्ति है। उसके बिना न तो वोल्शेविज्म पूर्णा ही है और न उसे समझा जा सकता है। लेनिन और मार्क्स की तुलना करते हुये त्रात्सकी ने लिखा है कि- ''मार्क्स को पूर्णतः समझने के लिये उसकी

पुस्तक ''दास केपिटल'' की भूमिका रूप में जो उसने साम्यवादियों की ओर से घोषण-पत्र (कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो) लिखा है। यदि मार्क्स प्रथम अन्तराष्ट्रीय श्रमिक परिषद की स्थापना करने में सफल रहता तो भी उसके महत्व में कुछ न्यूनता आ सकती थी। लेनिन तो निर्धनों और मजदूरों का प्रतिनिधि और तीसरी अन्तराष्ट्रीय परिषद् का प्रवर्तक होकर ही संसार में आया था।

लेनिन दार्शनिक विचारों को जनता की मनोवृत्ति की नींद मानते है। उनके विचार में दार्शनिक सिद्धान्तों पर भिन्न-भिन्न विश्वासों और श्रेणियों का संगठन होता है। विचार तथा व्यवहार दोनों में लेनिन क्रान्ति का पक्षपाती था। क्रान्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य था। क्रान्ति के लिये वह शक्ति के प्रयोग के भी पक्ष में था। 1905 की क्रान्ति में असफल हो जाने पर भी पूंजीवाद के पंजे से किसानों और मजदूरों को छुड़ाने के लिये वह सशस्त्र क्रान्ति को आवश्यक मानता था। लेनिन ने स्विट्जरलैण्ड के मजदूरों से एक संदेश में कहा था- ''शान्ति की रक्षा ही हम लोगों का उददेश्य नहीं है। हम साम्राज्य कामना से युद्ध करने के विरूद्ध है, परन्तु किसानों और मजदूरों के लिये जीवन का अधिकार प्राप्त करने के लिये हमें युद्ध करना पड़े तोहम उसके विरूद्ध नहीं है।[1] लेनिन सदैव साम्यवाद के वैज्ञानिक रूप का ही समर्थन करता रहा परन्तु उसने जिन उपायो से और जिस प्रकार के साम्यवाद को क्रियात्मक रूप दिया वह स्वयं उसके द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक साम्यवाद से भिन्न है। प्लेखनोव का सहयोगी अलेक्सरो जिसने रूस में मजदूर आन्दोलन को प्रारम्भ करने मे विशेष कार्य किया था। लेनिन को अराजक त्रासवादी के नाम से पुकारता है। स्विट्जरलैण्ड के प्रजातन्त्र साम्यवाद के समर्थक भी लेनिन पर स्विट्जरलैण्ड में रूसी अराजकता के फैलाने के दोष लगाते थे। रूस में साम्यवाद की स्थापना का प्रारम्भ लेनिन के अथक प्रयत्नों का परिणाम है।

---

1. डॉ0गुप्ता, आर.सी.-'माडर्न पालिटिकल थ्योरिज' पेज- 139

लेनिन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास कि साम्यवाद सबसे प्रथम किसी औद्योगिक देश में न आकर जिसकी मार्क्स ने आशा की था, रूस जैसे सामन्तशाही देश में कैसे आया। लेनिन के अनुसार इसका कारण यह है कि यद्यपि रूस औद्योगिक देश नहीं था तथा उसने पूंजीवाद और उद्योगवाद का अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया। तात्कालिक रूसी समाज सामन्तशाही, सैनिकवाद और निरंकुश हो रहा था जार शासन को फ्रांसीसी पूंजी से शक्ति मिल रही थी और जनता राहत देने वाले किसी भी परिवर्तन के लिये तैयार थी।

स्टालिन के काल में साम्यवाद की स्थिति

स्टालिन, लेनिन का अनुयायी था परन्तु उसने लेनिनवाद और मार्क्सवाद दोनों की आलोचना की। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतत्व से हटकर पार्टी के अधिनायकतत्व पर जोर दिया इस तथ्य पर लेनिन के अनुगामी स्टालिन ने पार्टी के अधिनायकतत्व को न स्वीकार कर व्यक्ति के अधिनायकतत्व को महत्ता प्रदान की जिससे साम्यवादी आत्मा ही परिवर्तित हो गई। लेनिन का लोकतांत्रिक शक्ति केन्द्रीयकरण के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं था और उसके हाथों में यह सिद्धान्त लोकतन्त्र की उपेक्षा केन्द्रीकृत अधिक हो गया। स्टालिन ने पार्टी के भीतर विरोधियों को कुचल दिया तथा स्वयं उसका नेता बना। इस दृष्टि से स्टालिन लेनिन की अपेक्षा हिटलर और मुसोलिनी के अधिक अनुरूप था ।

स्टालिन लेनिन के सिद्धान्त एक देश में समाजवाद पर डटा रहा। रूस के भीतर पूंजीवाद के अंश को पूर्णतः कुचल दिया। लेनिन द्वारा किये गये साम्राज्यवाद के विश्लेषण को स्टालिन मानता रहा और उसने साम्यवादी दल के भीतरी मतभेदों से पर्याप्त लाभ उठाया। कुछ समय तक लेनिन द्वारा स्थापित तृतीय अन्तराष्ट्रीय को कायम रखा गया परन्तु सन् 1943 में उसे अनावश्यक और रूस के युद्ध प्रयत्नों में

बाधक कहकर भंग कर दिया गया। इस तृतीय अन्तराष्ट्रदीय को कम्यूनिस्ट अन्तराष्ट्रदीय तथा कोमिन्टर्स भी कहते है। इस प्रकार रूस के हितों की सिद्धि के लिये 'सर्वहारा वर्ग की अन्तराष्ट्रदीय एकता' का कोरा नारा भर जीवित रह गया। दूसरे देशों के साम्यवादियों को कई बार सोवियत विदेश नीति को हानि पहुंचाने वाला पांचवा दस्ता समझा जाता है।

स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही तरीकों से स्टालिन ने यह सिद्ध कर दिया कि अन्तराष्ट्रीय साम्यवाद की अपेक्षा राष्ट्रीयतावाद अधिक सबल है। स्टालिन ने टीटो को सम्मानित साम्यवादियों की श्रेणी से अलग करने में तनिक भी हिचक नहीं की क्योंकि टीटों ने अपनी गृहनीति और विदेश नीति स्वतन्त्र रूप से निध ारित की और उसने रूस की आज्ञा मानना अस्वीकार कर दिया। चीन में भी साम्यवाद जब पूरी तरह स्थापित हो गया तभी स्टालिन ने चीन को विश्व साम्यवादी भ्रातृमण्डली का सदस्य स्वीकार किया। इसके पूर्व चीन के साम्यवाद को वह एक दक्षिणपंथी विचलन मानता था। इस प्रकार लेनिन ने सिद्धान्त तथा उसका साम्यवाद स्टालिन के हाथों में पड़कर भ्रष्ट हो गया। जिस आन्दोलन को स्टालिन ने प्रारम्भ किया था उसे सही अर्थो में मजदूरों और किसानों की क्रान्ति का आन्दोलन नहीं कहा जा सकता । सोवियत जनता के लोकतन्त्र का गढ़ होने की बजाय पार्टी के हाथों में एक साधन हो गया जिससे जनता पर कठोर नियन्त्रण रखा जा सके। इस प्रकार स्टालिन के हाथों में पड़कर साम्यवाद का रूप विकृत हो गया और सर्वहारा वर्ग का अधिनायतत्व व्यक्तिगत अनिधयकत्व में परिवर्तित हेा गया। खुश्चवे ने व्यक्तिगत अधिनायकत्व को शिथिल करके पुनः सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने तथा लोकतान्त्रिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त का पालन करने का (अपने शासनकाल में 1958 से लेकर 1964 तक) प्रयास किया किन्तु खुश्चेव भी आगे चलकर 'व्यक्तित्व पूजा' का केन्द्र बन गया। सच्चे साम्यवाद की स्थापना के लिये यह घातक था।

चीन में माओं का साम्यवाद

चीन में साम्यवाद लाने का श्रेय माओं को है। जहां तक चीन की साम्यवादी पार्टी का सम्बन्ध है। वह माओ के सिद्धान्तों से हटकर अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती चीन में साम्यवाद स्थापित होने से लेकर आज तक माओ की बनाई हुयी नीतियों पर ही चीनी शासन चलता रहा ।

माओं ने अपनी पुस्तक 'पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप' में नवीन प्रजातन्त्र की व्याख्या की है जो चीनी साम्यवाद की आधारशिला है। वह लिखता है 'हमारा वर्तमान कार्य जनता की पुलिस तथा जनता की अदालतों को जिससे राष्ट्र की रक्षा की जा सके तथा जनता की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। इन स्थितियों के होने पर चीन को कृषि प्रधान देश से औद्योगिक राष्ट्र में बदला जा सकेगा और धीरे–धीरे नवीन प्रजातन्त्र से समाजवाद और अन्ततः साम्यवाद की स्थापना की जा सकेगी और यह सर्वहारा वर्ग और साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा ।'[1]

माओ लेनिननन की भांति प्राचीन सभ्यता का विरोधी था। कुटुम्ब चीनी समाज व्यवस्था का आधार रहता है, उसे माओ के नेतृत्व में एक सीमा तक समाप्त कर दिया गाय। वह कैटुम्बिक व्यवस्था को सामन्तशाही व्यवस्था का चिन्ह मानता है। उसके स्थान पर सामूहिक साम्यवादी समाज के निर्माण किये जाने का तर्क दिया। चीन में आज कुटुम्ब का स्थान कम्नूयस लेते जा रहे है। इस प्रकार चीन में एक नवीन साम्यवादी व्यवस्था पनप रही है। माओ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कट्टर विरोधी था। वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता देने के पक्ष में नहीं है। स्वतन्त्रता को वह साम्यवाद के लिये घातक मानता है। लेनिन और माओ में यद्यपि बहुत कुछ साम्य है फिर भी लेनिन की अपेक्षा माओ के द्वारा अधिक कठोर नीतियों का निर्माण किया गया। लेनिन राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनो के विरोधी थे जबकि माओ इन दोनो नीतियों को व्यावहारिक रूप दे रहा था। यह दोनो नीतियां सच्चे साम्यवाद की विरोधी है। युद्ध से माओ को विशेष प्रेम था तथा वह युद्ध और आतंक

---

1. डॉ0गुप्ता, आर.सी.– 'मार्डन पालिटिकल थ्योरीज' – पृष्ठ – 145

के द्वारा साम्यवाद को सफल बनाना चाहता था। यह माओ के साम्यवाद का अत्यन्त घृणित रूप था। लेनिन की भांति माओ मानवता वादी नहीं है और न ही माओ का साम्यवाद लेनिन के साम्यवाद के पूर्णतः अनुरूप है हालांकि माओ अपने को मार्क्स लेनिन का पूर्ण अनुगामी कहता है।

साम्यवादी चीन में साम्यवादी रूस के संगठन का बड़ी बारीकी से अनुसरण किया गया जिसके लिये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर सबल प्रहार किये गये। पर चीन में माओ के नेतृत्व में किसानों के संगठन के सम्बन्ध में रूस से बिल्कुल भिन्न मार्ग अपनाया गया है। साम्यवादी रूस तो खेतों के समूहीकरण में बहुत आगे बढ़ चुका है पर चीन में किसानों को स्वामित्व एक सामान्य व्यवस्था है। किसी ऐसे व्यक्ति को जमीन रखने का अधिकार नहीं है जो उसे स्वयं न जोतता हो। इसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग समाप्त हो चुका है। माओ ने ग्रामीण सर्वहारा और शहरी सर्वहारा में बहुत अन्तर किया है। उसका साम्यवाद वास्तव में इस समय ग्रामीण सर्वहारा वर्ग का साम्यवाद है।

विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र में हीगल और मार्क्स के अन्तर्विरोधों के सिद्धान्त को माओ ने स्वीकार किया है। मार्क्स की भांति उसका भी विश्वास है कि विचारों का विकास पदार्थो से होता है। युद्धोत्तर ससार के बार माओ स्वीकार करता है कि संसार समाजवादी और पूंजीवादी गुटों में बंटा हुआ है। दोनो के ही अपने अर्न्तविरोध है। माओ के अनुसार उनमें केवल एक अन्तर यह है कि पूंजीवाद के अन्तविरोध केवल युद्ध और क्रान्ति के द्वारा ही दूर किये जा सकते है जबकि साम्यवाद के अन्तर्विरोध शान्तिपूर्वक दूर हो जायेंगे। यह केवल एक कल्पना है क्योंकि साम्यवाद के इतिहास से माओ के इस दावे की पुष्टि नहीं होती।

श्वार्ट्ज ने अपनी पुस्तक 'चाइनीज कम्यूनिज्म एण्ड राइज आफ माओ' में लिखा है कि –'चीनी साम्यवादी अपने को कट्टर मार्क्सवादी लेनिनवादी कहते है। वे अपनी पार्टी को ऐतिहासिक मुक्ति का एजेण्ट और सर्वाधिकारवाद को लेनिनवादी धारणा में निहित प्रवृति मानते है।[1] उनके अनुसार सारांश में यद्यपि चीनी साम्यवाद ने अन्तिम रूप से तथ्यों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि साम्यवादी पार्टी

1. डॉ0गुप्ता, आर.सी.– 'मार्डन पालिटिकल थ्योरीज' – पृष्ठ – 147

और सर्वहारा वर्ग के बीच किसी भी प्रकार के आवश्यक संगठनात्मक सम्बन्ध का अभाव है। फिर भी इस आन्दोलन में मार्क्स लेनिनवादी परम्परा के कुछ आधारभूत तत्व अब भी कायम है।

साम्यवादियों की कार्यविधि

साम्यवादियों के कार्य करने का तरीका क्रान्ति और संघर्ष का है यद्यपि स्वयं मार्क्स ने (जो आधुनिक साम्यवाद के प्रवर्तक है) कुछ स्थानों पर लिखा है कि इंग्लैण्ड जैसे देशों में जहां प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है वहां वैधानिक उपायो द्वारा भी साम्यवाद स्थापित हो सकता है और हिंसात्मक क्रान्ति अनिवार्य नहीं है किन्तु मार्क्स के अनुयायी तो यही मानते कि क्रमशः और शान्तिमय उपायों द्वारा साम्यवाद कभी स्थापित नही किया जा सकता। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि जब मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है तो समय आने पर वह समाप्त हो ही जायेगा फिर भी उसके लिये क्रान्ति और रक्तपात की क्या आवश्यकता इसके उत्तर में साम्यवादियों का मत है कि यद्यपि सामाजिक विकास की प्रवृत्ति साम्यवादी समाज की ओर है, फिर भी चुपचाप बैठे रहने से क्रान्ति स्वतः नहीं हो जायेगी और अगर होगी भी तो उसमें बहुत समय लगेगा। क्रान्ति के दो पक्ष होते है एक वाह्य परिस्थितियों संबंधी और दूसरा व्यक्तियों की मनोवृत्ति संबंधी यदि साम्यवादियों के मतानुसार, वाह्य परिस्थितियां क्रान्ति के अनुकूल भी हुयी तो लोग संगठित न रहे य अवसर के अनुकूल कार्य न कर सके तो अवसर यूं ही निकल जायेगा। अतः साम्यवादी विचारों का प्रचास एवं प्रसार साम्यवादी दल का संगठित होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि अवसर आने पर उसका लाभ उठाया जा सके। मार्क्सवादियों के अनुसार क्रान्ति की शुरूआत करना श्रमजीवी वर्ग के लिये आवश्यक है । क्रान्ति के लिये हिंसा व बल प्रयोग अनिवार्य है। मार्क्स ने लिखा है कि प्रत्येक नवसमाज का जन्म हिंसात्मक क्रान्ति रूपी दाई की सहायता से ही हो सकता है।

मार्क्स के दर्शन के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों का मूल तत्व यह है कि

जिस गति से उत्पादन प्रणाली में विकास होता है उस गति से सामाजिक संबंधों म विकास नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक संगठन का ढांचा विकास की दौड़ में उत्पादन प्रणाली के परिवर्तनों से सदैव पीछे रहता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामाजिक संबंधो का ढांचा उत्पादन प्रणाली के विकास के वेग को अपनी सीमा में रखने में असमर्थ हो जाता है उस समय विस्फोट होता है। समाज में विस्फोट का नाम ही संघर्ष अथवा क्रान्ति है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की गति इसी प्रकार के विस्फोटो से कायम रहती है। अतः पूंजीवाद के चरम सीमा पर पहुंचने पर जब उत्पादन प्रणाली की शक्ति को सामाजिक संगठन का ढांचा रोकने में पूर्णतः असमर्थ हो जायेगा तो फिर क्रान्ति रूपी विस्फोट का होना अनिवार्य है।

अतः मार्क्स के दर्शन की आत्मा क्रान्तिकारी है। उस क्रान्ति को लाने के लिये लेनिन तथा अन्य साम्यवादियों की दृष्टि में निम्नलिखित कार्यक्रम आवश्यक हैः–

1. श्रमजीवी वर्ग क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेता है। उसी के नेतृत्व में यह कार्य (क्रान्ति का कार्य) संभव है। इसका प्रधान कारण यह है कि श्रमजीवी वर्ग सम्पत्ति विहीन होने सें वर्तमान व्यवस्था के प्रलोभनों से पूर्णतः मुक्त है। यह बात किसानों तथा मध्यम वर्गीय लोगों में नहीं है। वे लोग अपनी थोड़ी बहुत पूंजी से संतुष्ट है तथा क्रान्ति से डरते है। अतः साम्यवादियों का सर्वप्रथम कार्य औद्योगिक श्रमजीवियों को संगठित कर उनका मजदूर सभाओं पर आधिपत्य स्थापित करना तथा साम्यवाद के मुख्य तत्वों को समझते हुये हड़ताल आदि की व्यवहारिक शिक्षा देना है जिससे वे समय आने पर क्रान्ति में सक्रिय भाग ले सके।
2. श्रमजीवियों के संगठन के बाद छात्रों को साम्यवादी क्रान्ति के लिये संगठित करना।
3. साम्यवादी कार्यक्रम की यह विशेषता है कि सर्वसाधारण में सिद्धान्त के नाम पर आन्दोलन न छेड़कर लोगो की तात्कालिक असुविधाओं को लेकर उनकी साम्यवाद के प्रति श्रद्धा जागृत कराना ।

साम्यवादी कार्यक्रम विभिन्न देशों में परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेता है। जैसे यदि देश परतन्त्र है तो साम्यवादी लोग अन्य दलों के साथ मिलकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहयोग करते है और धीरे-धीरे जनता का दिल जीतने की कोशिश करते है। पर यदि एक बार शासन साम्यवादी दल के हाथों में आ जाये तो वे शीघ्रता से प्रजातन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता का अन्त कर देते है और अधिनायकत्व स्थापित करने का प्रयास करते है। साथ ही वे लोग शक्ति प्राप्त करने के उपरान्त समस्त विरोधी दलों को समाप्त कर देते है। साम्यवाद के इस अप्रजातान्त्रिक रूप की प्रो0लास्की तथा रसेल जैसे विद्वानों ने जो कि साम्यवाद से प्रगाढ़ सहानुभूति रखते थे इन लोगो ने भी साम्यवाद की आलोचना की है। वास्तव में साम्यवादियों का विश्वास किसी भी तरह से सत्ता हस्तगत करने में है। यह साम्यवाद के जनक लेनिन का विचार था तथा इसी का अक्षरशः अनुसरण माओ और अन्य साम्यवादी करते है।

साम्यवाद का राज्य के प्रति दृष्टिकोण

मार्क्स और एंजेल्स राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शोषण करने वाली संस्था मानते थे। उनके अनुसार राज्य शक्ति पर आधारित है तथा वह एक वर्ग संस्था है। राज्य का कार्य सत्ताधारी दल की सम्पत्ति और उसके विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। उसकी शक्ति गरीबों का दमनकरने के लिये काम में लाई जाती है। साम्यवादी राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करते है। उनके लिये राज्य एक दार्शनिक कल्पना मात्र है। उनका तात्पर्य तो सरकार से है। जब तक समाज वर्गो में विभाजित रहेगा तव तक राज्य का अस्तित्व भी कायम रहेगा पर वर्गो के खत्म हो जाने पर सरकार स्वयं नष्ट हो जायेगी क्योंकि वर्गविहीन समाज में कोई कार्य नहीं रह जाता।

मार्क्स और एंजेल्स के इस मत में रूसी साम्यवादियों ने कुछ परिवर्तन कर दिये। रूसी साम्यवादियों का कहना है कि मार्क्स और एंजिल्स का अभिप्राय यह नहीं

था कि साम्यवाद के स्थापित होने पर राज्य लुप्त हो जायेगा, प्रत्युत्तर उनका यह अभिप्राय था कि संक्रमण काल की समाप्ति पर राज्य के वर्गीय रूप मात्र का लोप हो जायेगा अर्थात साम्यवादी व्यवस्था में राज्य वर्ग संस्था न रहकर सम्पूर्ण जनता की संस्था बन जायेगी। इस मत से माओं भी पूर्ण सहमत है। लेनिन के अनुसार हम लोग कल्पनावादी नही है। हम जानते है कि समाज में अपराधी व दुष्ट प्रकृति के लोग सदैव रहेंगे और उसके नियंत्रण के लिय राज्य की सदैव आवश्यकता पड़ेगी। अतः आज के साम्यवादी जो मार्क्स के नहीं वरन् लेनिन के अनुयायी है, राज्य के बने रहने में विश्वास करते है, उसके लुप्त होने में नहीं ।

साम्यवाद आधुनिक रूप में

आज साम्यवाद केवल एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन मात्र नहीं है। यह एक नवीन सभ्यता के रूप में विकसित हो रहा है। वेब ने अपनी पुस्तक सोवियत कम्युनिज्म में लिखा है 'आज साम्यवाद एक नई सभ्यता का रूप धारण कर रहा है। दर्शन, आचार शास्त्र, कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्मनीति आदि सभी विषयों में उसका अपना अलग दृष्टिकोण है।[1] साम्यवादी व्यवस्था वाला देश अपने आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदल लेने के बाद निश्चय ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन करेगा ।

साम्यवाद किसी एक निरपेक्ष और शाश्वत तत्व के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता । जिस परिस्थिति में जिस बात से काम चल जाये वही साम्यवाद के लिये सत्य है। अतः साम्यवाद की दृष्टि में सत्य निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। वह संबंध सूचक है। इस दृष्टि से साम्यवाद प्रैगमेटिक है तथा विचारों के क्षेत्र में व्यावहारिक एंव बहुलवादी है। वह प्रचलित परम्पराओं के विरूद्ध है। साम्यवाद धर्म का विरोधी है। मार्क्स ने धर्म को जनता के लिये अफीम की संज्ञा दी है। अतः साम्यवाद में धर्म के लिये कोई स्थान नहीं है।

---

1. डॉ.गुप्ता, आर.सी 'माडर्न पालिटिकल थ्योरीज' पृ0 - 150

साम्यवादियों के अनुसार उचित अनुचित का विवेक वर्गजन्य है। पूंजीवादी वर्ग के लिये जो उचित है वही श्रमिक वर्ग के लिये अनुचित है। वर्तमान आचार और नियम जैसे सत्य, अहिंसा, कृतज्ञता, वचनपालन, ईमानदारी, दया आदि पूंजीवादी आदर्श है। ये सब गरीबों के शोषण के लिये बने है। अतः साम्यवाद इन्हें धोखा कहता है। साम्यवाद भी नैतिकतापूर्ण अवसर वादी है जिससे काम चल जाये वही नैतिक है।

साम्यवाद पूंजीवादी कला, साहित्य आदि में विश्वास नहीं करता । साम्यवादी साहित्य व कला में यथार्थ का चित्रण किया जाता है तथा वह जनता की वस्तु होती है। साम्यवादी कला व साहित्य 'प्रगतिशील कला व साहित्य' के नाम से प्रसिद्ध है। जनता की वस्तुगत स्थितियों और यथार्थ मनोभावों का चित्रण साम्यवादी साहित्य में किया जाता है। इसे समाजवादी यथार्थ की संज्ञा दी गई है।

मार्क्सवाद पर नेहरू के विचार

नेहरू जी ने जो कि विश्वास और व्यवहार दोनों में लोकतंत्रीय समाजवादी थे अपने उपर मार्क्सवाद के प्रभावों का वर्णन अपनी आत्मकथा में बड़े ही रोचक ढ़ंग से किया है।

'मार्क्सवादी दर्शन ने मेरे मन के अन्धेरे झरोखों में बहुत सी रोशनी उत्पन्न की। मेरे लिये इतिहास का एक नया अध्याय प्रस्तुत हुआ। मार्क्सवादी व्याख्या ने इसके लिये बहुत सी जानकारी दी और यह एक क्रम और उददेश्य लिये हुये अनन्त नायक बन गया। कल और आज के कष्टों और निरर्थकताओं से युक्त भविष्य बहुत से खतरों के होते हुये भी आशावादी था। हठधर्मी से वांछनीय स्वतंत्रता और मार्क्सवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनो मेरे मन को भा गये।

सबसे महान विश्व संकट और आर्थिक मन्दी ने मार्क्सवादी विश्लेषण का औचित्य सिद्ध कर दिय जबकि अन्य समस्त प्रणलियां और सिद्धांत अंधकार में भटक रहे है। अकेला मार्क्सवाद इसका संतोषजनक विवरण दे सका और वास्तविक समाधान प्रदान कर सका।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

शोध परम्परा एवं अध्ययन विधि

2.1 शोध पुस्तकों का अवलोकन

2.2 शोध समस्या की कतिपय कल्पनायें

2.3 शोध समस्या के चर

2.4 तथ्य संकलन के उपकरण

क्रान्ति का अध्ययन अनेक सीमाओं से भरा है। अनेक बन्धनों से बन्धित है ओर एक क्रान्तिकारी प्रक्रिया का अध्ययन करना तो अत्यन्त कठिन कार्य है। भारत जैसे देश के लिये यह प्रक्रिया ओर भी कठिन बन जाती है। भारत अध्ययन की दृष्टि से एक कठिन इकाई अपनी प्रकृति से बन जाता है। तीसरी दुनिया का यह नेतृत्व करता है एवं एक रहस्यात्मक तथ्य यह है कि यह अमीरी के विकास का भी नेतृत्व करता है साथ ही गरीबी की खाई भी यहाॅ चरम सीमा पर विघमान है। इस परिपेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि जहाॅ भारतीय जनता पार्टी,स्वतंत्र दल जैसे दलों ने एक रूढ़िवादी जीवन–पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया है वहीं कांग्रेस, जनता दल जैसी राजनीतिक इकाइयों ने एक उदारवादी जीवन पद्धति को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया हैं। यही वह स्थल है जहाॅ अपनी सारी खामियों के बावजूद समाजवादी दल ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी निर्णय ले रखा है और इस निर्णय का आधार है भारत में शोषण विहीन, अन्याय मुक्त समाजवादी समाज की पुर्नरचना। अंततः हम यह कह सकते है कि साम्यवादी दल चाहे मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी हो या भाजपा हो या नक्सलवादी हो एक सुनिश्चित प्रगतिशील राष्ट्रीय पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया है। वे मात्र बंगाल और केरल जैसे राज्यों में ही आंशिक रूप से सफल हो सके है। वे विश्व इकाई की कड़ी है वे क्रान्तिकारी समाज की रचना की प्रकिया में अग्रणी है। असंख्य यूखी,वस्त्रविहीन जनता के लिये साम्यवादी दल आज भी आशा का प्रतीक है।

इसी महत्व को देखते हुये हमने अपने इस वर्तमान अध्ययन का चयन किया है और यह उचित भी होगा कि हम इस अध्ययन से सम्बन्धित कुछ शोघ पुस्तकों की चर्चा यहाॅ कर लें। उपरोक्त संदर्भ में ही हमने निम्नलिखित पुस्तकों का अवलोकन किया है।

यह स्पष्ट है कि साम्यवादी दृष्टिकोण से अध्ययनगत जनपद पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गयी यहै। इसका अर्थ यह होता है कि उपलब्ध साम्यवादी साहित्य की ओर देखें और उनमें चर्चित प्रवेश की ओर इंगित करें। इसी दृष्टिकोण से हमने ऐलन गिलबर्ट द्वारा 'रचित मार्क्सस पालिटिक्स एक्ट सिटीजन्स' नामक पुस्तक का अवलोकन किया।[1] सम्पूर्ण पुस्तक तीन भागों में बटी हुयी है। इसके प्रथम अध्याय में मार्क्सवाद का परिचय दिया गया है जिसमें भौतिक द्वन्द्ववाद और मार्क्सवाद की राजनीति, मार्क्स की दो प्रकार की थ्योरी और सहायक व्यक्तव्यों के बारे में लिखा गया है। साथ ही साम्यवाद और नागरिकों के मध्य सम्बन्धों का भी वर्णन किया गया है। इसके प्रथम भाग में सात अध्याय है। द्वितीय अध्याय में फ्रेंच रिवोल्यूशन एण्ड मार्क्स स्टेटिजी तृतीय अध्याय में किश्चियन्स एण्ड मार्क्स सेकेण्ड रिवोल्यूशन,चतुर्थ अध्याय में मार्क्स आर्गनाइजिंग एण्ड द लीग आफद जस्ट, पांचवे अध्याय में मार्क्स एण्ड पूदों, छठे अध्याय में फिलॉसफी एण्ड द प्रोलटेरियट, सातवे अध्याय में मार्क्स आर्गनाइजिंग इन ब्रूसेल्स एण्ड जर्मनी, आठवे में द कम्यूनिस्ट मैनीफिस्टो एण्ड मार्क्स स्टेटि्जिक को दिया गया है। पुस्तक के द्वितीय भाग में मार्क्स इन द जर्मन रिवोल्यूशन का वर्णन है जिसके अन्तर्गत नवें अध्याय में मार्क्स इन्टरनेशनिलज्म, दसवे में मार्क्स स्टेटि्र्जा फार जर्मनी–द फ्रेंच रिवोल्यूशन रैडिकलाइज्ड को दिया गया है जिसमें जर्मनी के साम्यवाद की मांगो और मार्क्स की 1849 की उपलब्धियों का वर्णन है। पुस्तक के तृतीय भाग में रिवोल्यूशन आफटर रिवोल्यूशन का वर्णन है जिसके अन्तर्गत ग्यारहवें अध्याय में मार्क्स एण्ड द प्रीजेन्टस, बारहवे अध्याय में मार्क्स एण्ड द स्टेट, तेरहवे अध्याय में रिवोल्यूशनरी पार्टी वर्सेज कान्सप्रेसी एवं चौदहवें अध्याय में

---

1. **ऐलन,गिलबर्ट, मार्क्सस पालिटिक्स, कम्यूनिस्ट एण्ड सिटजिन्स,म्यूटि्न राबर्टसन,आक्सफोर्ट 1981**

निष्कर्ष दिया गया है। पुस्तक की विशेषता यह है कि लेखक ने विभिन्न घटनाओं के वर्णन के द्वारा साम्यवाद और नागरिकों के दृष्टिकोणों का वर्णन किया हैं। द कम्यूनिस्ट रिवोल्यूशन इन एशिया वैक्टजि,गोल्स एण्ड एचविमेन्टस' पुस्तक में लगभग 417 पेज हैं।[1] सम्पूर्ण पुस्तक में विभिन्न–लेखकों के द्वारा साम्यवाद के विषय से सम्बद्ध लेखों को संकलन किया गया हे। इसमें एशियाई जगत में साम्यवादी क्रान्ति के तरीकों,लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। पुस्तक का प्रथम अध्याय कम्यूनिज्म इन एशिया, टूवर्डस ए कम्परैटिव ऐनालिसिस है जिसके लेखक श्री राबर्ट ए स्केलपिनो है। दूसरे अध्याय का विषय बिल्डिंग ए कम्यूनिस्ट नेशन इन इण्डिया है। इसके लेखक चाल्सर्स जान्सन है। इसमें इन्होंने चीन में साम्यवदी व्यवस्था की स्थापना के तथ्यों का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय का विषय मंगेलिया, द फर्स्ट कम्यूनिस्ट स्टेट इन एशिया है इसके लेखक एम.टी.हेंगगार्ड है। इसमें इन्होंने एशियाई जगत के प्रथम साम्यवादी राष्ट्र मंगेलिया की साम्यवादी व्यवस्था का वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में स्टैलिनिज्म इन द ईस्ट, कम्यूनिज्म इन नार्थ कोरिया का वर्णन है। इसके लेखक श्री चांग सिफली है। पांचवे अध्याय में नार्थ वियतनाम लेफ्ट आफ मास्को, राइट आफ पीकिंग विषय से सम्बन्धित तथ्यों का विवेचन किया गया हैं इस लेख के संकलनकर्ता श्री जान सी.डानेल एण्ड मेलविन गुरूवेव है। छठे अध्याय का विषय द पैथिक लो, ए लिबरेशन पार्टी है जिसमें उदारवादी पार्टी के दृष्टिकोणों का वर्णन है। सांतवे अध्याय का विषय द जैवनीज कम्यूनिस्ट पार्टी है। इसे हंस एच बैरवाल्ड ने लिखा हैं आठवे अध्याय में कम्यूनिज्म इन सिंगापुर एण्ड मलेशिया, ए मल्टीकन्ट स्टूगल के बारे में फ्रेंस एल स्टानर ने लिखा है। नवें अध्याय में द राइज आफ द कम्यूनिस्ट पार्टी इन इण्डोनेशिया में लेखक ग्यू जे पायूकर ने

1– राबर्ट ए.स्केलपिनो, द कम्यूनिस्ट रिवोल्यूशन इन इण्डिया, टैक्ट्रीज,गोल्स एण्ड एचविमेन्ट,ऐंगिलवुड किलप्स,न्यू जेसे ।

इण्डोनेशियाई साम्यवादी दल के उदय होने एवं पुनः पतन की परिस्थितियों का वर्णन किया है। दसवें अध्याय में श्री जान एच.बेडग्रेली ने द कम्यूनिस्ट पार्टीज आफ वर्मा के बारे में लिखा है।

ग्यारहवें अध्याय में रिवजिनिस्ट एण्ड स्टेरियन्स इण्डियाज टू कम्यूनिस्ट पार्टीज विषय पर रालफ रेटजेलफ ने लिखा है। बारहवे अध्याय में कम्यूनिज्म अण्डर हाई ऐटमासफेरिक कन्डीन्स द पार्टी इन नेपाल के बारे में लीओ ई.रोज ने अपने दृष्टिकोणों को दिया है। अन्तिम अध्याय मे राबर्ट एन.ब्रीमे ने द कम्यूनिस्ट पार्टीज आफ सीलोन रीवेरे एण्ड रेलाइन्स के बारे में लिखा है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य पुस्तक शशी बाईरथी द्वारा रचित कम्यूनिज्म एण्ड नेशनिलिज्म इन इण्डिया, ए स्टडी इन इण्डरनेशनलशिप 1819–1847 का अवलोकन किया।[1] प्रस्तुत पुस्तक में लगभग 239 पेज हैं एवं आठ अध्याय है। पुस्तक के प्रारम्भ में भूमिका दी गयी है। पुस्तक के अन्त में संदर्भ ग्रन्थ सूची है जिसमें प्राइमरी स्त्रोत व द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से पुस्तक सूची दी गयी है। प्रारमरी के अंतर्गत ओरजिनल रिकार्डस व द्वितीयक के अंतर्गत विभिन्न लेखकों की पुस्तकों की सूची है। प्रथम अध्याय में कम्यूनिज्म एण्ड नेशनलिज्म ए हिस्टोरिकल प्रकिटिशन को दिया गया है। द्वितीय अध्याय में 1919 से 1929 तक के अन्तराष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के बारे में विवेचन है। तृतीय में भारत में साम्यवादी आन्दोलन की शुरूवात जिसमें सन् 1922–1925 तक का ऐतिहासिक विवेचन है। चतुर्थ अध्याय का विषय द इव आफ द नेशनल टाइड–द कम्यूनिस्ट स्वराजिस्ट एण्ड टेररिस्ट रेवोल्यूनेशरिज के बारे में विवेचन किया गया है। पांचवे अध्याय में द कम्यूनिस्ट मूवमेन्ट एण्ड द लेफट नेशनलिस्ट। छठें में कम्यूनिस्ट एटटियूड टुवर्डस सेकेण्ड वर्ल्ड

1– शशी,बाईरथी,कम्यूनिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इण्डिया, ए स्टडी इन इण्टरनेशनल शिप–1919–1947,अनुमिका प्रकाशन,दिल्ली

वारएण्ड ट्रान्सफर्र आफ पावर के बारे में लिखा गया है। अन्तिम अध्याय में निष्कर्ष दिया गया है।

साम्यवादी विचारधारा से सम्बन्धित पुस्तक के परिपेक्ष्य में हमने के.एन. पणिक्कर द्वारा रचित पुस्तक नेशनल एण्ड लेफट मूवमेन्ट इन इण्डिया का अध्ययन किया।[1] प्रस्तुत पुस्तक का यह भाग दामोदरन की स्मृति में लिखा गया है इसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा साम्यवादी दर्शन से सम्बन्धित लेखों को संकलित किया है। एस.गोपाल का द फारमेटिक आइडोलॉजी आफ जवाहर लाल नेहरू लेख प्रथम अध्याय के रूप में है। सुमित सरकार का प्रीमिटिव रिबिलिन एण्ड माडर्न नेशनलिज्म,ए नोट आन फोरेस्ट सत्याग्रह इन द नान कार्पोरेशन एण्ड सिविल डिस्ओबिडेन्स मूवमेन्ट पर लेख है। इसके अतिरिक्त भट्टाचार्य,आदित्य मुकर्जी,विपिन चन्द्रा, नम्बूद्रीवाद,पी.सी. जोशी, जे.बनर्जी आदि के लेख है। दामोदरन पर मुख्य रूप से जी.अधिकारी, एन.सी. शेखर के लेख है। सम्पूर्ण–पुस्तक मे लगभग 317 पेज है।

अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विषय के संदर्भ में हमने के सिरिल द्वारा रचित पुस्तक कम्यूनिज्म इन इण्डिया का अवलोकन किया जिसके लेखक एवं अनुवादक सुबोध राय है।[2] प्रस्तुत पुस्तक दो भागो में बंटी हुयी हैं। प्रथम भाग में कम्यूनिज्म इन इण्डिया के बारे में दिया गया है जिसमें भारत में साम्यवादी दल के उदय और भारत के विकास,भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अनपब्लिश रिकार्ड संग्रह है जो कि 1919 से 1924 तक के हैं। इनमें 1919 का इण्डियन ऐफेयर इन यूरोप 1920 के रिकार्डस है। इस पुस्तक के पेज नम्वर 160 में लिखा है।

1– के.एन. पणिक्कर, नेशनल एण्ड लेफट भूवमेन्ट इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्राइवेट लिमिटेड– दिल्ली

2–सिरिल,केंप, अनुवादक–सुबोध्र रॉप, कम्यूनिज्म इन इण्डिया अनपब्लिश डाकूमेन्टस फाम नेशनल आर काइव्ज इन इण्डिया, 1919–1924 कलकत्ता 1

इण्डिया फार द इण्डियन्स ब्लू बुक कलेशन आफ द सीक्रेट डाकूमेन्टस।

मूल्यांकन के आधार पर हम यह कह सकते है कि राष्ट्रीय समाज का अध्ययन साम्यवादी दृष्टि से किया गया है लेकिन जनपदीय समाज का अध्ययन अधूरा है।इसी दृष्टि से मैंने बॉदा जनपद का अध्ययन करना सुनिश्चित किया है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बॉदा अनन्त सॉस्कृतिक विरासत के बावजूद आर्थिक दृष्टि से एक अविकसित जनपद माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इस जनपद का अध्यपन एक प्रगतिशील दल के दृष्टिकोण के परिपेक्ष्य में किया जाये । इस दृष्टि से हमने निम्नलिखित परिकल्पनाओं को चयनित किया है।

अ– अनेक आलोचनाओं के बावजूद साम्यवादी सिद्धान्त एक परीक्षणीय सिद्धान्त है।

ब– इस सिद्धान्त का एक सुनिश्चित संगठनात्मक स्वरूप है जिसका एक अभिन्न अंग जनपदीय समाज है।

स– सम्पूर्ण जनपदीय समाज इस संगठन के लिये एक चुनौती है जिसकी उपयोगिता आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हैं।

द– बॉदा जनपद के परिवेश में साम्यवादी दल ने कुछ ठोस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का साहस किया है।

इन परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिये हमने कुछ चरो का चयन किया है। वे चर इस प्रकार के होगें –

क्रान्ति	–	व्यवस्था परिवर्तन
साम्यवादी क्रान्ति	–	वर्गविहीन एवं शोषण विहीन व्यवस्था के लिये संघर्ष करना
पूंजीवाद	–	धनिक वर्ग का अधिपत्य
सामाजिक न्याय	–	समता का अधिकार
विषमता	–	दो वर्गो के मध्य भेदभावपूर्ण स्थिति
स्थानीय समाज	–	प्रारम्भिक राजनीतिक व्यवस्था
दलील व्यवस्था	–	राजनीतिक व्यवस्था की इकाई

उपरोक्त अध्ययन के लिये हम मूल रूप से तीन प्रकार के तथ्यों का उपयोग करेगें। विचारधारा के लिये हम कुछ प्रगतिशील साहित्य का अवलोकन करेगें। जनपदीय समाज को समझने के लिये हम कुछ राजकीय रपट में उपलब्ध लक्ष्यों को अपने विश्लेषण का आधर बनायेंगे। बॉदा में साम्यवादी दल की संरचना उसके कार्यक्रम,उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का प्रयास करेगें।

सूचना संकलन हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान को आधार बनाया जायेगा। जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सीधे सम्पर्क में आता है ऐसा इसलिये होता है कि इस विधि के अन्तर्गत अनुसंधान कर्ता को अपने विषय से सबंधित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों से सीधे तौर पर तथ्यों को सम्मिलत करना पड़ता है। और उद्देशय की पूर्ति के लिये अनुसंधान कर्ता को उनके साथ निकट या घनिष्ठ संबंध स्थापित करना पड़ता हैं सर्वेक्षण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों से सीधा सम्पर्क करने में कितना सफल हो सकता है।

<u>तथ्य संकलन के उपकरण</u>–अनुसंधान की समस्या के अनुसार तथ्य संकलन के लिये उपयुक्त उपकरण का चुनाव करना होता है। शोध अध्ययन के व्यवहार्थ अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण निम्न होते हैं–

1– प्रश्नावली

2– साक्षात्कार सूची

3– पैमाने की दर

4– जॉच या सत्यापन शीलत

<u>प्रश्नावली</u>– आधुनिक शोधो में प्रश्नावली का उद्देश्य अध्ययन विषय से संबधित प्राथमिक तथ्य सामग्री को एकत्र करना है। प्रश्नावली का अर्थ उस सुव्यवस्थित तालिका से है जो विषय के संबंध में सूचनायें प्राप्त करने में सहयोग देती है।

गुडे तथा हैट के शब्दों में –

"In Genenal the word Questionnaie refers to a device for pecuring on swexs to quesfions by using a form which the respondent filis in himself"[1]

2– साक्षात्कार अनुसूची– तथ्य संकलन का एक अति प्रचलित उपकरण साक्षात्कार अनुसूची है। जिसमें अनुसंधान समस्या से संबधित तर्क संगत प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता उतरदाताओं से प्रायः पूर्व निर्धारित सम्पर्क के अनुसार संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है एवं सूची को स्वयं अपने आप भरता है। स्पष्टतः" अनुंसूची का ताप्पर्य अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के आयोजित एवं व्यवस्थित प्रपत्र से है।[2]

प्रस्तुत शोध प्रबंध में मेरे द्वारा प्रश्नावली एवं साक्षात्कार दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जावेगा अनुसूची के द्वारा एकत्रित उत्तर उस सीमा तक ही सत्य होगें जिस सीमा तक उत्तर दाताओं ने सत्य उत्तर दिये हैं। अतः निष्कर्ष इसी आधार पर निकाला जायेगा।

संकलित तथ्यों के विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग किया जायेगां विभिन्न चुनावों में साम्यवादी दल की स्थिति स्पष्ट करने हेतु बिन्दुरेखीय चित्र,चार्ट एवं विधानसभा चुनावों में परिणाम का अंकीय चित्रण किया जायेगा।

1– गुडे एण्ड हॉट मेथडस इन सोशल रिसर्च

2– गुप्ता आर.बी.एवं गुप्ता मीरा– सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान, कानपुर उ.प्र.

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय

भौगोलिक स्थिति एवं समाज

3.1 समुदाय

3.2 बांदा जनपद की पूर्ण भौगोलिक स्थिति

3.3 बांदा जनपद का विकास

उत्तर-प्रदेश के मानचित्र
में बाँदा जनपद
की स्थिति
अध्ययन गत
जनपद
हिमाचल प्रदेश
हरियाणा
दिल्ली
राजस्थान
मध्य प्रदेश
बिहार
बाँदा
70°E
75°
80°
82°
84°
86°E
24°
26°
28°
30°
N

समाज की भांति 'समुदाय' शब्द भी अत्यन्त ही साधारण प्रतीत होता है। इसका अर्थ भी व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। नगर, गॉव, देश आदि शब्द एक प्रकार से समुदाय के रूप में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। पर केवल इतना कह देने से समुदाय शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता।

यदि समुदाय के शब्दिक अर्थ का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा के 'कम्युनिटी' शब्द लैटिन के दो शब्दों 'कम' और 'म्यूनिस से मिलकर बना है। इन शब्दों का क्रमशः अर्थ एक साथ और सेवा करना होता है अर्थातः कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की पूति के लिये एक निश्चित भूभाग पर जीवन यापन करता है तो उसको समुदाय कहा जा सकता है।

मैकाइवर और पेज के अनुसार [1]"जहॉं कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुये किसी विशेष उद्देश्य में रूचि न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उस समूह को हम समुदाय कहते है।" अर्थात एक निश्चित स्थान में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संगठित समूह को समुदाय कहते है।

समुदाय के कुछ समुदाय होते है–

1. व्यक्तियों का समूह
2 निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
3 सामुदायिक भावना,

समुदाय की कुछ निश्चित विशेषतायें भी हैं –

1. सामान्य जीवन क्रम
2 विशिष्ट नाम
3 स्थायीपन

---

1. आर.एम.मैकाइवर एवं सी.एच.पेज, सोसायटी, मैकनिलन एण्डन कम्पनी, लन्दन, पेज–9

4. स्वतः उत्पति

5. सामान्य नियम

6. आत्म निर्भरता

समुदाय अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार के हो सकते है। इस सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं है। पर सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मनुष्य मुख्यतः दो प्रकार के समुदायों में रहता है।

1. ग्रामीण

2. नगरीय

ग्रामीण- समुदाय वह समुदाय है जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके विपरीत नगरीय-समुदाय सामाजिक विभिन्नताओं का वह समूह है जो द्वितीयक समूहों, नियंत्रणो उद्योग व व्यापार, घनी आबादी और अव्यैक्तिक सम्बन्धों की प्रधानता रखती है। "हम की भावना" का नितान्त अभाव रहता है।

प्रो.ई.एम. बोगाईस ने चार प्रकार के समुदायों का उल्लेख किया है-

1. ग्रामीण समुदाय

2. नगरीय समुदाय

3. क्षेत्रीय समुदाय

4. राष्ट्रीय समुदाय

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि विद्वानों ने अपने अपने ढ्ग से समुदाय के प्रकारों का उल्लेख किया है पर उन सभी ने ग्रामीण व नगरीय समुदायों का निश्चय ही उल्लेख किया है। गॉव व नगरों के विस्तार से क्षेत्रीय समुदायों का विस्तार हुआ और एक समाज के सभी क्षेत्रीय समुदाय के समग्र रूप को ही हम राष्ट्रीय समुदाय कहते हैं। और यदि हम एक कदम आगे बढ्कर कल्पना करें तो हम समुदाय का एक और प्रकार भी ढूढ निकाल सकते है। और वह है मानव के सह अस्तित्व का चरम रूप और परम प्राप्ति-विश्व समुदाय या मानवता का समुदाय।

उपरोक्त समुदाय की परिभाषा के आधार पर बॉदा जनपद की सामुदायिक (भौगोलिक एवं सामाजिक) रचना को देखने का प्रयास करेगें।

भारत को 28 राज्यों में बाँटा गया है जिसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है। जिसका क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग कि.मी. है। जनसंख्या 13,87,60,417 है जिसमें 7,37,43,994 पुरूष तथा 65,14,423 स्त्रियाँ है। उ.प्र. में कुल 69 जिले है जिसमें बॉदा भी एक जिला है। चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय भी बाँदा में स्थित है। बॉदा का नाम बॉदा वामदेव ऋषि के नाम पर रखा गया है जो कर्णवती (केन नदी) के तट पर स्थित है। बॉदा जनपद का भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश में चौथा स्थान है, परन्तु पठारी क्षेत्र होने के कारण आर्थिक दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा है। परन्तु इधर कुछ वर्षो से इसके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाँदा जनपद की पावन भूमि को भगवान रामचन्द्र जी ने अपना वनवास स्थल बनाया था। शिरोमणि श्री तुलसीदास ऋषि की तपस्थली होने का गौरव प्राप्त है। कांलिजर किला तथा अन्य किलों के भग्नावशेष प्राचीन वैभव तथा संस्कृति के प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम में इस जनपद का महान योगदान चिरस्मरणीय रहेगा।

बाँदा जनपद उ.प्र. की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 76.24 वर्ग किलोमीटर है। बाँदा जिले के उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (म.प्र.) है। पूर्व में इलाहाबाद व रीवा (म.प्र.) है तथा पश्चिम में हमीरपुर जनपद है। बाँदा जिला 24.52 से 25°, 25° उत्तरी अक्षांश 80.40" 81.34 पूर्वी देशान्तर में स्थित है। पूर्व से पश्चिम 146 कि.मी. लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 104 कि.मी. चौड़ा है। पूर्व में बरगढ़ से पशि्चम में मटौंध तथा उत्तर में चंदवारा तथा दक्षिण में कांलिजर तक फैला हैं। बाँदा जिला यमुना नदी और विधांचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग छोड़कर शेष भाग ऊँचा नीचा तथा पहाड़ी है।

बाँदा जिले की जनसंख्या 1991 में 18,62,139 है। इसमें 16,22,718 ग्रामीण जनसंख्या है तथा 1,88,013 नगरीय जनसंख्या है।[1] यहाँ जनसंख्या घनत्व 232 वर्ग कि.मी. है। इसमें लगभग 528 हजार व्यक्ति साषर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद में 04 तहसीलें है जिसमें 08 विकास खण्ड है किन्तु हमने कर्वी जनपद को भी बाँदा जनपद की पूर्व संरचना के आधार पर अपने अध्ययन में शमिल किया है क्योंकि सामयवादी दल का अस्तित्व देखने के लिये पूर्व संरचना के आधार पर ही निष्कर्ष सामने आ पायेगें। अतः जनपद में 05 तहसीले (कर्वी) एवं 13 सामुदायिक विकास खण्ड 10 नगर एवं नगर समूह है। कुल 1204 ग्राम है जिनमें से 918 ग्राम सभा व 118 ग्राम पंचायत एवं 03 नगर पालिकायें हैं। जनपद में 33 राष्ट्रीयकृत बैंक 85 ग्रामीण बैंक, 15 सहकारी बैंक शाखायें एवं 04 भूमि विकास बैंक की शाखायें है।

कृषि के क्षेत्र में 98,99 के अनुसार कुल बोया गया क्षेत्रफल 541 हेक्टेयर है। खाद्यान उत्पादन 539 मीप्री टन था। सिंचाई के लिये नहरों की कुल लम्बाई 1804 कि.मी. है। लगभग 400 राजकीय नलकूप लगाये जा चुके है।

98-99 के अनुसार औद्योगिक अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कुल 8 कारखाने है जिसमें 265 श्रमिक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जिला विकास के पथ पर हैं। जिले में लगभग कुल 1475 हाईस्कूल, 70 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-डिग्री कालेज हैं। साक्षरता प्रतिशत 150.30 हैं। जिले में 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में 63 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। 35 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं। सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत लगभग 2000 कि.मी. लम्बी पक्की सड़के हैं। मातृभाषा के आधार पर कुल जनसंख्या में से 95.21प्रतिशत हिन्दी भाषी 4.66 प्रतिशत उर्दु भाषी, 0.02 प्रतिशत पंजाबी भाषी, 0.01 प्रतिशत बंगला भाषी, 0.10 प्रतिशत अन्य भाषा बोलने वालों का हैं। 362 राजपत्रित अधिकारी, 1,14,460 अराजत्रित अधिकारी है।

---

1. सांख्यिकी पत्रिका- 1999-2000

सामाजिक संरचना के आधार जनपद को दो वर्गो में बाँटा जा सकता हैं-

1. सवर्ण

2 निम्नवर्ण

प्रभावकारी वर्ग में ब्राह्मण,वैश्य लोग सम्मिलित है। जबकि शोषित वर्ग के अंतर्गत डुमार, धानुक,लोधी,चमार, मेहतर आदि सम्मिलित है। शेष जातियों की भूमिका कही उदासीनता की कहीं के द्वारा स्वार्थीपन की है। यही कारण है कि इस जिले मे`वर्ग संघर्ष है अतः समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ एक ओर राजनीतिक अववस्था अशिक्षा रूढ़िग्रस्तता, धार्मिक ढ़ोग, श्रम का निरादर, असम्मान इस समाज में देखने को मिलता है। वही दूसरी ओर धार्मिक प्रवृति का पाया जाना, देश के प्रति निष्ठा की भावना है। कुल मिलाकर समाज की दशा शोचनीय है।

जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा है। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान है। इस जनपद की प्रति व्यक्ति आय उ0प्र0 के अन्य जिलों की तुलना में निम्नस्तरीय है। यहां के कुल उत्पादन का 92 प्रतिशत क्षेत्र कृषि से प्राप्त होता है किन्तु जनपद में कृषि क्षेत्र की दशा थोड़ी शोचनीय है। कृषि प्रधान क्षेत्र भी बांदा के आर्थिक पिछड़ेपन के लिये उत्तरदायी है। यहां का औद्योगिक पिछड़ापन भी जनपद के आर्थिक विकास की दर को कम करने में सहायक है।

यहां हम स्पष्ट कर चुके कि बांदा जिले का ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक स्वरूप किस प्रकार है। अब हम कुछ और सूचना प्रस्तुत करना चाहेंगे जिसका संबंध बांदा जिले के क्षेत्रफल, जनसंख्या, यातायात, शिक्षा, विद्युत एवं उद्योग आदि में है।

जनपदीय - व्यवस्था

अ. शासन औचित्य
1. भारतीय संविधान
2. विधायी कानून
3. कार्यपालिका के आदेश
4. न्यायपालिका के आदेश
5. जिला परिषद की संस्तुति
6. क्षेत्रिय समिति के प्रयास
7. ग्राम की ग्रामेच्छा
8. दलीय कार्यक्रम
9. अन्य दलों के साथ साम्यवादी दल का घोषणा - पत्र

ब.
1. लोकसभा के सदस्य
2. विधानसभा के सदस्य
3. प्रशासक
4. ग्रामीण सामंत
5. नगरीय अभिजन
6. दलीय नेतृत्व (साम्यवादी दल का नेतृत्व)

स. समुदाय
1. जनपदीय जनसंख्या
2. जनपदीय मतदाता
3. जनपदीय नागरिक
4. निर्वाचक
5. उच्च वर्ग
6. मध्यम वर्ग
7. निम्न वर्ग
8. अन्य वर्ग
9. साम्यवादी दल के कार्यकर्ता

द. निवेश
1. औद्योगिक विकास की मांग 80 प्रतिशत
2. सिचाई का विस्तार 80 प्रतिशत
3. संचार विस्तार 90 प्रतिशत
4. अधिक धनराशि 60 प्रतिशत

य. आगत
1. शिक्षा
2. विद्युत

र. फीड बैक
साम्यवादी दल अन्य दलों के साथ फीड बैक का कार्य करती है

ल. वातावरण
1. उत्तर - अर्द्ध विकसित क्षेत्र
2. दक्षिण - दस्यु प्रभावित क्षेत्र
3. पूर्व - सांस्कृतिक क्षेत्र
4. पश्चिम - दस्यु प्रभावित क्षेत्र

तालिका संख्या 3.1
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या
(जनपद की प्रति दस वर्ष की जनसंख्या 1961-1991)

वर्ष	योग	पुरूष	स्त्री	ग्रामीण	नगरीय	गत दशक में प्रतिशत वृद्धि
1961	953731	500573	453158	890270	63461	20.7 प्रतिशत
1971	1182215	631921	550294	1084259	97956	29.9 प्रतिशत
1981	1533990	822816	711174	1352905	181085	29.67 -"-
1991	1862129	1052100	810029	1622718	188013	32.16 -"-

जनसंख्या की दृष्टि से जनपद की स्थिति अध्ययन योग्य है। आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दशक में औसतन 5 प्रतिशत से कम ही रही है। इस स्थिति में आर्थिक समानता सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो सकता है। स्पष्टतः ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है और बांदा में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत ही मन्द है।

इस जनपद में 05 तहसीले थी परन्तु चित्रकूट धाम मण्डल बन जाने के पश्चात् कर्वी तहसील को जिला बना दिया गया किन्तु हमने अपने अध्ययन में इसको भी शामिल किया है। सबसे अधिक विकसित स्थिति कर्वी की है जबकि सबसे दयनीय स्थिति मऊ की है। विकास खण्डों की संख्या अनियमित है उदाहरण के लिये कर्वी में 03 नरैनी में 02 बबेरू में 03 बांदा में 03 और 'मऊ' में 02 विकासखण्ड है। विकास खण्ड से जिला मुख्यालय की दूरी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा करती है। अधिक से अधिक दूरी 120 कि.मी. है। कम से कम 4 कि.मी.। यह स्पष्ट है कि दूरी के पीछे प्रकृति अधिक है और सुनिश्चित योजना की पहल दिखती है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट होता है ।

तालिका संख्या 3.2

जनपद में विकासखण्ड कुछ सूचनार्यें

तहसील का नाम		विकासखण्ड का नाम	जिला मुख्यालय से विकासखण्ड की दूरी
1. कर्णी	1.	चित्रकूट	70
	2	पहाड़ी	85
	3	मानिकपुर	101
2. नरैनी	4	नरैनी	38
	5	महुआ	13
3. बबेरु	6	बबेरु	62
	7.	कमासिन	40
	8	बिसण्डा	38
4. बांदा	9	जसपुरा	50
	10	तिन्दवारी	32
	11.	बडोखर खुर्द	04
5. मऊ	12	मऊ	120
	13	रामनगर	105

सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। प्रत्येक गांव में औसत 01 जूनियर हाईस्कूल तक उपलब्ध नहीं है। जनपद में परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को देखते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत अभी तक एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

तालिका संख्या 3.3

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	योग
1.	खादी ग्रामोद्योग	1368
2.	खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण उद्योग	96
3.	लघु उद्योग इकाई	113
4	3.1 इंजीनियरिंग	54
	3.2 रासायनिक	06
	3.3 विघारान	06
	3.4 हथकरघा	08
	3.5 रेशम	994
	3.6 नारियल की जटा	669
	3.7 हस्तशिल्प	--
	3.8 अन्य	--
	योग	3288

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयॉ व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा ही चालित है जो लगभग 1070 हैं जबकि सरकारी संस्थाओं द्वारा चालित केवल 15 इकाइयॉ ही है। जनपद में एक बड़ी कताई मिल पी जो वर्तमान में बन्द चल रही हैं। जनपद में पूंजीपतियों का वर्चस्व बना हुआ हैं ऐसी स्थिति में सामाजिक आर्थिक न्याय, शोषण विहीन व्यवस्था की आशा करना शायद कल्पना मात्र होगा।

जनपद में प्राविधिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मात्र 05 संस्थाये हैं इसमें भर्ती होने वाले पुरुषों की संख्या को देखते हुये हम कह सकते हैं कि इस ओर पुरुषों एवं महिलाओं की रूचि कम हैं।

जनपद में विघुत उपयोग कृषि के क्षेत्र मं बढ़ा है जो कि लगभग 46,430 हजार कि वाट घन था अर्थात कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार ग्रामीण इलाकों मे विघुत उपलब्ध तो करा रही है परन्तु आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही यहै। जनपदउ में प्रति व्यक्ति विघुत उपयोग लगभग 52.19 है।

उपरोक्त आकड़ो को देखने से यह स्वत. स्पष्ट हो जाता है कि बाँदा जनपद की भौगिलिक स्थिति पठारी होने के कारण कृषि की स्थिति भी अच्छी नहीं है साथ ही सामाजिक वातावरण भी दूषित है। जाति पांति एवं पारस्परिक वैमनस्य के कारण ग्रामीण समाज के अधिकांश लोग पारिवारिक कलह के शिकार है। अन्य स्थानों की भांति समाज में हत्या, लूट, कत्ल, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि सामाजिक अपराध चरम सीमा पर है। आर्थिक दृष्टि से भी जनपद पिछड़ा है। औद्योगिक पिछड़ापन बाँदा के आर्थिक पिछड़ेपन के लियें उत्तरदायी है।

चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्याय

दलीय संरचना

4.1 दल पद्धति

4.2 भारतीय साम्यवादी दल की संरचना

4.3 जिला स्तर पर साम्यवादी दल का संगठन

4.4 विभिन्न आम चुनावों में साम्यवादी दल की स्थिति

लोकतन्त्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। 'राजनीतिक' शब्द का उच्चारण करते समय उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि झंकृत होती है। लोकतन्त्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है इसलिये उन्हें लोकतन्त्र का प्राण कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। प्रो. मुनरो के शब्दों मे-

''लोकतन्त्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतन्त्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो।''

दल पद्धति और दबाबकारी गुटों की चर्चा राजनीति विषय के अध्ययन का एक आवश्यक अंग है। क्योंकि यह हमें राजनीतिक सिद्धान्त और व्यवहार के अतीत और वर्तमान रूपों की परम्परागत परिधि से परे ले जाती है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के आधुनिक रूप ने दल प्रणाली को प्रत्येक राजनीतिक समाज के एक अपरिहार्य कारक के रूप में प्रस्तुत किया है। एण्मण्ड बर्क की क्लासिकल व्याख्या कि राजनीतिक दल किन्ही सहमत विशेष सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय हित का सवंर्धन करने के लिये एकत्रित व्यक्तियों का समूह है।[1] में संशोधन करने की आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवहार की वर्तमान प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखकर डीन एवं शूमैन ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक दल संस्थाओं का रूप धारण कर चुके हैं ताकि हितबद्ध समूहों के उद्देश्यों को अमली जामा पहनाया जा सके।

राजनीतिक दल की एक सम्भव परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है- राजनीतिक दलों से हमारा अभिपाय अग्रणी लोगों से या उनके शिथिल रूप से गुंफित गुट से नही होता है जिनका स्थानीय प्रत्यंगों से सीमित और सविराम सम्बन्ध होता है।

---

1. एडमंड वर्क,- थाट आन द काजेज आफ द प्रेजेन्ट डिस्कान्वेन्ट, 1970, पेज नं.-16

दल संरचना के कई निर्धारक तत्व होते है। ये धार्मिक व सामाजिक से लेकर आर्थिक और राजनीतिक हो सकते है। कई राजनीतिक दल जातीय या वंशीय सम्बन्धों पर आधारित होते है। यद्यपि दल संरचना के निर्धारक तत्व अलग अलग हो सकते हैं किन्तु इन्हें तीन प्रमुख कारकों में सीमित किया जा सकता है।

1. ऐतिहासिक
2 सामाजिक
3 विचारधारात्मक

सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ राजनीतिक परिवर्तन होते है। जिससे राजनीतिक दलों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है- किन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक विचारधारा है। समाजवादी और साम्यवादी दलों का संगठन एक विशेष विचारधारा के आधार पर किया जा सकता है। इन दलों को इसलिये वामपंथी कहा जाता है कि ये यथास्थिति को बदलने के लिये संघर्ष करते है।

विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों में राजनीतिक दलों की संख्या और किस्मों अर्थात दल प्रणालियों का प्रारूप विज्ञानात्मक विवरण कई कारकों के आधीन होता है। मौरिस डुवेरजर के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान दल व्यवस्था में लागू नहीं होता है जिसमें एक, दो और बहुदलीय राजनीतिक दलों का सीधा सादा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। एक दल पद्धति के दो उपवर्ग है- सर्वाधिकारवादी एवं लोकतंत्रिक।

एकदल पद्धति- के सर्वाधिकारवादी प्रतिमान में दो और उपवर्ग है। विचारधारा से प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध। विचारधारात्मक प्रतिबद्धता भी दो प्रकार की होती है- दक्षिणपंथी एवं वापपंथी।

द्विदलीय पद्धति- इस पद्धति में दो प्रमुख दल होते हैं।[1] इस पद्धति के तीन उपसर्ग है- दो दल प्रणाली, दो से अधिक प्रणाली और बहुत से दलों के मध्य में

---

1. एम.,करटिस,'क पैरेटिव गवर्नमेण्ट एण्ड पालिटिक्स, न्यूयार्क, हाइयर एण्ड रॉ., 1968 पृ. 154

दल प्रणाली
एक
दो
बहु
सर्वाधिकारवादी
लोकतांत्रिक
धारा के प्रति प्रतिबद्ध
विचारधारा के प्रति अप्रतिबद्ध
क्षेण पंथी
वामपंथी
एक से अधिक
एक का प्रभुत्व
एक अन्य सभी दलों को समेटने वाली
दो
दो से अधिक
बहुत के मध्य में
अस्थायी
स्थायी

दो दल प्रणाली। बहुदल पद्धति ऐसी पद्धति है जो मिली जुली सरकारों की ओर पाई जाती है। बहुदल पद्धति दो प्रकार की होती है- (1)स्थायी और (2) अस्थायी। दल प्रणाली के उपरोक्त वर्गीकरण को चार्ट नं.-1 की सहायता से समझा जा सकता है।[1] दल प्रणाली का कोई बहुत ही स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिसे प्रत्येक स्थिति और स्थान पर लागू किया जा सके। भारतीय दल पद्धति का अध्ययन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। भारतीय जनता अन्य दलों की तुलना में धर्म को अधिक महत्व देती है। भारतीय जीवन सम्प्रदायवाद से रहे ओत-प्रोत है। भारतीय जनता मूलतः ग्रामीण है। हमारे देश में शिक्षा की कमी है। 40 प्रतिशत से भी अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करती है। भारतवासी भाग्यवादी और अंधविश्वासी होते हुये भी नये विचारों को अपनाने में तत्पर रहते है। भारतवासी शन्ति प्रेमी है और सहिष्णुता में भी विश्वास करते हैं। विविधिता में एकता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है।

भारतीय साम्यवादी दल की संरचना-

पाश्चात्य प्रजातन्त्रीय धारणा के अनुसार राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में विचारों की एकता पर आधारित ऐसे संगठित समुदाय होते है जिनके द्वारा सवैधानिक साधनों के आधार पर राष्ट्रीय हित की साधना की जाती है लेकिन इस सम्बन्ध में साम्यवादी मान्यता भिन्न है और उसके अनुसार राजनीतिक दल वर्गीय संगठन होते है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित नहीं वरन वर्गीय हित भी साधना होता है। साम्यवादी दर्शन में राजनीतिक दल का तत्व कार्ल मार्क्स की नहीं, वरन लेनिन की देन है।

फरवरी क्रांति तथा जार का तख्ता पलटने के समाचार ने, जो ब्रिटिश प्रेस के जरिये भारत पहुँचा था, भारतीय राष्ट्रवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय

---

1. एम.,करटिस,'क पैरेटिव गवर्नमेण्ट एण्ड पालिटिक्स, न्यूयार्क, हाइयर एण्ड रॉ., 1968 पृ.- 155

राष्ट्रवादी प्रेस का रूख इलाहाबाद के अखबार "अम्युदय" (24 मार्च 1917) में प्रकाशित एक लेख में अभिव्यक होता है। इस लेख में कहा गया था कि " रूसी क्रांति हमें इसका विश्वास दिलाती है कि दुनियाँ में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसे स्फूर्तिदायी और जीवनदायी राष्ट्रवाद पराजित न कर सकता हो।[1] प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों के विभिन्न केन्द्रों और 1918 में स्थापित नवोदित सोवियत जनतंत्र के बीच सम्पर्को ने इन क्रांतिकारियों में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार का मार्गप्रशस्त किया। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा धीरे-धीरे क्रांतिकारियों के बीच फैलने लगी। इस कार्य में एम.एन.राय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राय के अलावा निर्वासित भारतीयों के बीच कम्युनिस्ट गुटे के संगठन मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति अवनी मुखर्जी थे। पार्टी का पहला समन्वित कार्य यह था कि भारत की ठेस परिस्थितियों में मार्क्स और लेनिन के विचारों को लागू करके राष्ट्रीय आंदोलन के लिये एक कार्यक्रम पेश किया जिसमें आंदोलन के लक्ष्यों तथा उन तक पहुँचने के उपायों का दिग्दर्शन कराया गया था।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर से साम्राज्यवादी शिंकजे को हटाने, जमीदारों और राजे रजवाड़ों को समाप्त करने और श्रमजीवी लोगों को पूर्णतया लोकतंत्रिक स्वतंत्राये दिये जाने की मांग करके सभी वर्गो के लोगों के लिये इसने स्वाधीनता के लक्ष्य को ठेस रूप प्रदान किया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की सभी शक्तियों की एकता के माध्यम से लाई गयी जन क्रांति के जरिये ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को हटाने का आहावन किया। इस जन क्रांति में मजदूरों और किसानों के संगठनों और उनके कार्यो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।[2]

---

1. को.उन. अतोनोव, ग्रि.म. बोगर्द- लेनिन, ग्री.ग्रि. कोतोवस्की, "भारत पर अक्टूबर क्रांति का प्रभाव" (हिन्दी अनुवाद-नरेश वेदो, ददन उपाध्याय प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1984 पृ. 54)
2 डॉ सुनील कुमार श्रीवास्तव- 'विरोधी दलों की राजनीति'- राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली- पृ0- 71

दमनकारी औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय कम्यूनिस्टों के कानूनी गतिविधियों का क्षेत्र बहुत सीमित था। 1924 में कम्यूनिस्टों के खिलाफ पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद शौकत उस्मानी आदि को करावास की सजा दी गई। भारतीय कम्यूनिस्टों पर "वोल्शेविक एजेन्ट" होने का दोषारोपण किया गया।[1] 1924-25 में मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने अपनी गतिविधियाँ और तेज कर दी। सन् 1925 (28-30 दिसम्बर) में कानपुर में मद्रास के कम्यूनिस्ट नेता एम सिंगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में भारतीय कम्यूनिस्टों का पहला अधिवेशन हुआ। जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के गठन का फैसला किया गया। पार्टी का मुख्यालय बम्बई में रखने का निश्चय किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी गई।

जे.पी. बगरहट्टा और एम.पी. घाटे उसके सचिव निर्वाचित हुये। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में भारत में सभी मुख्य कम्यूनिष्ट गुटों के प्रतिनिधि शमिल थे।

भारत में सामरूवादी दल की स्थापना 1924 में हुई किन्तु 1943 तक अधिकांश समय के लिये यह अवैध रहने के कारण अपने कार्यो को छुपकर करता रहा। इसके संविधान का प्रारूप सन् 1931 में बना जिसे सन् 1943 में दलीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन के अवसर पर स्वीकार किया गया। यह दल सोवियत साम्यवादी दल के निर्देशन में कार्य करता रहा। सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण साम्यवादी दल को भारतीय जनता पर अपना प्रभाव फैलाने का सुनहरा अवसर मिला। 23 मई, 1943 को बम्बई में भारतीय पार्टी का पहला वैध सम्मेलन हुआ जिसमें पी.सी. जोशी के नेतृत्व में नयी केन्द्रीय समिति को चुना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् साम्यवादी दल मे सैद्धान्तिक मतभेद प्रारम्भ हुये। रणदिवे गुट ने कांग्रेस से किसी प्रकार से समझौते का विरोध किया जबकि जोशी गुट ने कांग्रेस का समर्थन किया। रणदिवे गुट हिंसक उपायों के पक्ष में था। कांग्रेस सरकार ने साम्यवादियों के

---

1. अयोध्या सिंह - 'भारत का मुक्ति संग्राम' - मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड 1982, पृ0-503

हिंसक तरीकों का सामना करने के लिये कड़े कदम उठाये।

सन् 1952 के आम चुनाव में साम्यवादी दल ने भाग लिया। इसे लोकसभा में 26 तथा राज्य की विधान सभओं में 173 स्थान प्राप्त हुये। सन् 1957 के आम चुनाव में साम्यवादी दल को केन्द्र में 29 तथा राज्यों में 162 स्थान प्राप्त हुये। केरल में साम्यवादी दल ने मंत्रिमण्डल भी बनाया। लेकिन इसका शासन अधिक दिनों तक नही चल सका और साम्यवादी मंत्रिमण्डल को पदच्युत कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तीसरे आम चुनाव के बाद मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नाम से एक नया दल निर्मित किया गया। इस दल के नेता ज्योतिमय बसु एवं ई.एम.एच.नम्बूदीवाद है।

श्रीपाद अमृत डांगे तथा राजेश्वराव दक्षिण पंथी साम्यवादी दल अर्थात् भारतीय साम्यवादी दल के प्रमुख नेता थे। इस दल की अधिकांश नीतियाँ मास्को से निर्देशित होती है। भारतीय साम्यवादी दल की नीति इंदिरा गांधी के विरोधियों का विरोध करने की थी। सन् 1977 के ऐतिहासिक आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल को केवल 07 स्थान प्राप्त हुये जबकि मार्क्सवादी साम्यवादी दल को 22 स्थान प्राप्त हुये।

भारतीय साम्यवादी दल के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

(1) भारत का राष्ट्रमंडल से नाता जोड़ना।

(2) जागीरदार को बिना मुआवजा दिये खत्म करना।

(3) विदेशी उद्योगों तथा पूंजी का राष्ट्रीयकरण ।

(4) मजदूरों को पूर्ण वेतन।

(5) पुलिस की समाप्ति तथा राष्ट्रीय सैन्य दल का संगठन।

(6) नागरिक स्वतंत्रताओं को पूर्ण सुरक्षा।

(7) राज्यों का भाषा के आधार पर गठन।

(8) पूर्ण रोजगारी तथा पूर्ण सामाजिक सुरक्षा।

(9) उद्योगों और राष्ट्रीय सम्पति की वृद्धि।

(10)बड़े देशों के मध्य समझौता कराने का प्रयत्न करना।

कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हैं तथा जिसे दल के दो सदस्य प्रतिभूत करें दल का सदस्य हो सकता है। उसे शपथ ग्रहण कर दल के प्रति निष्टा व्यक्त करनी पड़ती है। तथा सदस्यता के लिये अनुदान देना पड़ता हैं। इस दल का संग्ठन एक पिरामिड की भांति है। सबसे ऊपर अखिल भारतीय साम्यवादी दल है जिसके सदस्यों को प्रदेश समितियॉ चुनती है। प्रदेश समितियों के नीचे जिला अथवा क्षेत्रीय समितियॉ भी हैं दल के सर्वोच्च नियंत्रण के अधिकार प्राप्त निकाय दल पोलित ब्यूरो है। केन्द्रीय समिति इसकी कार्यकारिणी है जिसमें लगभग 30 सदस्य है।

भारत में समग्र साम्यवादी आंदोलन चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी अथवा उग्र वामपंथी क्रांति द्वारा वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिये प्रतिबद्ध है और वह अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से स्वयं को अलग करके नहीं देखता है। सन् 1948 के सशस्त्र विद्रोह की विकलता के बाद से आज तक भारतीय साम्यवादी दल ने कभी भी हिंसा का विरोध नहीं किया। सन् 1967 में नक्सलवादियों के मार्क्सवादी साम्यवादी दल से अलग होने से लेकर अब तक न तो दक्षिण पंथी साम्यवादियों और न ही मार्स्सवादियों ने उनकी हिंसा का खुलकर विरोध किया।

भारत में साम्यवादी दल की आज तक की भूमिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि साम्यवादी दल अलग-अलग रंग के नकाब पहनकर एक समान लक्ष्य तक पहुॅचने के लिये प्रयत्नशील रहा है। 1972 के विधान सभा चुनावों मे साम्यवादी दल ने कई राज्यों में कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ा। सन् 1967 के चुनावों की तुलना में 1972 में उसकी लोकप्रियता बड़ी। सन् 1974 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस ने साथ चुनावी समझौता करके उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर विधान सभाओं का चुनाव लड़ा। भारतीय साम्यवादी दल ने 9 फरवरी सन् 1977 को दसवी लोकसभा के लिये अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें भारतीय मतदाताओं को प्रजातंत्र की रक्षा और उसके विस्तार का आश्वासन दिया।

जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' में लिखा है कि

"मैं जानता हूँ कि भारत में कम्यूनिस्ट दल उन समस्त राष्ट्रीय परम्पराओं से पूर्णतः अनभिज्ञ है जिनसे कि जनता की विचार शक्ति समृद्ध होती है। इस दल का विश्वास है कि कम्यूनिज्म आवश्यक रूप से अतीत का तिरस्कार करता हैं। जहाॅ तक इस दल वालों का सम्बन्ध है ये मानते है कि विश्व का इतिहास नवम्बर 1917 से प्रारम्भ हुआ। उससे पहले जो कुछ भी हुआ वह इनकी तैयारी और नेतृतव ही था। सामान्यतः भारत जैसे विशाल देश में जहाँ कि अत्यधिक लोग भूख से दिन काट रहे है और आर्थिक ढांचा तड़क रहा है। कम्यूनिज्म की दृष्टि संकुचित नहीं होनी चाहिये।"[1]

कम्यूनिस्ट पार्टी की एकता और संघर्ष की नीति का इतिहास बहुत दिलचस्प है। पार्टी ने हमेशा अपने को अग्निकीट के रूप में देखा है और किसी भी तरह यह विश्वास करती रही कि वह जिस कीट के इर्द गिर्द घूमेगी उसी अग्नि कीट में बदल देगी। कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास के दौर में कांग्रेस के ऊपर अपने को आरोपित करने मे सफल नहीं हुयी। कांग्रेस की जो नीतियां उसके अनुकूल पड़ी उन्हीं को वह अपनी सफलता या उपदान मानकर प्रसन्न और संतुष्ट होती रही।

उपरोक्त विवेचन का उद्देश्य दलीय संरचना के वैचारिक पक्ष को देखना है।

जिला स्तर पर साम्यवादी दल का संगठन-

पार्टी का गठन करने में मुख्य भूमिका कामरेड सरदार ज्वाला सिंह की थी। उनके सहयोगी कामरेड प्रहलाद थे। वर्तमान समय मे कामरेड महादेव भाई, रामकृपाल पांडे, मुंशी गंगा सिंह जीवित हैं- जिसमें महादेव भाई ने 1965 ई. में कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता त्याग दीं मुंशी गंगा सिंह दस-बारह सालो से पार्टी के सदस्य नहीं है इन लोगों ने पार्टी का विस्तार किया और पार्टी में कामरेड दुर्जन भाई, कामरेड रामसजीवन सिंह, चन्द्रभान आजाद, अमर मोहन गोयल, देवकुमार यादव आदि को शामिल किया जिन्होंने पार्टी का विस्तार कर जन आधार प्रदान किया।

---

1. जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृ. - 459-460

सन् 1954 से 1966 तक कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी चुनाव में भाग नहीं लिया। सन् 1966 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने मेम्बर आफ पार्लियामेण्ट और बॉदा, बबेरू, कर्वी, नरैनी मऊ विधान सभा से चुनाव लड़ी। उसके श्री जागेश्वर यादव मेम्बर आफ पालियामेण्ट भी सीट पर विजयी हुये। शेष सभी विधान सभाओं मे कम्युनिस्ट पार्टी पराजित रही।

सन् 1971 में मेम्बर आफ पालियामेण्ट की सीट पर देव कुमार यादव चुनाव लड़े। कर्वी से रामसजीवन सिंह, नरैनी से चन्द्रभान आजाद, बबेरू से दुर्जन भाई विधानसभा की सीट के लिये विजयी हुये। तिन्दवारी से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शिवराम यादव चुनाव हार गये।

1977 में कर्वी से रामसजीवन सिंह, बबेरू से देवकुमार यादव, नरैनी से सुरेन्द्रपाल वर्मा विधानसभा की सीट पर विजयी हुये। बाँदा व तिन्दवारी में विधानसभा सीट में कम्युनिस्ट पार्टी पुनः पराजित हुयी 1980 में कर्वी से रामसजीवन सिंह, बबेरू से देवकुमार यादव, नरैनी से सुरेन्द्रपाल वर्मा विधानसभा सीट के लिये विजयी हुये। वाँदा व तिन्दवारी विधानसभा क्षेत्र में कम्यूनिस्ट पार्टी पुनः पराजित हुयी। बाँदा में मेम्बर आफ पार्लियामेण्ट में लिये केवल एक सीट है। विधानसभा क्षेत्र में बाँदा, कर्वी, तिन्दवारी, बबेरू, नरैनी, मऊ निर्वाचन क्षेत्र हैं। सन् 1971 में तिन्दवारी नया निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया।

बाँदा निर्वाचन क्षेत्रों मे विधानसभा में तीन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा और जिले में महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिहीन लोगों को संगठित कर उनको भूमि दिलाने हेतु आन्दोलन चलाया विशेष तौर पर कामरेड दुर्जन ने जिले के हरिजनों को संगठित कर उन्हें एक शक्ति के रूप में उभारा। हरिजनों के संगठित होने से इनके ऊपर जुल्म अत्याचार कम हो गया और वह अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी में हरिजन यादव, लोद, कुर्मी जातियों को मिलाकर जिले में एक बड़ा संगठन तैयार किया जिसमें कुरमियों के नेता रामसजीवन थे। हरिजनों के नेता कामरेड दुर्जन भाई थे। यादवों के नेता देवकुमार

यादव, लोद के नेता कामरेड चन्द्रभान आजाद, सुरेन्द्रपाल वर्मा थें। इन सभी के बने रहने से कम्युनिस्ट पार्टी जिले के आधे विधान सभा क्षेत्रों पर विजयी होती रही और अपना राजनैतिक दबाब बनाये रखती हैं ।

कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रमुख रूप से सन् 1966 में भूमि सुधार आन्दोलन चलाया जिसमें काफी लोग पुलिस की गोलियाँ के शिकार हुये और जो आन्दोलन बाँदा के इतिहास में बाँदा गोलीकाण्ड के नाम से विख्यात हुआ। इस आन्दोलन में हुये गोलीकाण्ड के विरोध में महीनों वकीलों, व्यापारियों आदि की जिले में हड़ताल रही। सन् 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बाँदा में वहत् स्तर पर खाद्यान्न समस्या को लेकर आन्दोलन चालया जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुये। सन! 1974 में पुलिस जुल्म तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (मेहरबार सिंह) के विरूद्ध एक माह तक जनसभाएं, घेराव, प्रदर्शन आदि का आन्दोलन चलता रहा। इसके अलावा समय-समय पर कम्यूनिस्ट पार्टी जन समस्याओं को लेकर आन्दोलन करती रही।

कम्युनिस्ट पार्टी व उसके नेता कार्यकर्त्ता वास्तव में कम्युनिस्ट दर्शन के अनुसार काम नहीं करते ब्लकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने मूल सिद्धान्तों से हट्कर एक जाति, समीकरण पर आधारित पार्टी है और पार्टी अपने सिद्धान्त के आधार पर व जाति समीकरण के आधार पर चुनाव में विजयी होती है। भविष्य में कामरेड दुर्जन भाई का विशेष सहयेाग रहा। उनका निधन बाँदा कम्युनिस्ट पार्टी के लिये एक अपूर्णनीय क्षति है जिसे भविष्य में पूरा होना असम्भव लगता है। बॉदा का हरिजन मतदाता आगामी चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का साथ न देकर कांग्रेस, बी.एस.पी. का साथ देगा। नयी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई नया नेतृत्व नहीं कर पा रहा हैं। थोड़ी बहुत सम्भावनाएं कामरेड रणवीर सिंह चौहान पर आधारित है कि वह बॉदा कम्युनिस्ट पार्टी को कोई सैद्धान्तिक रूवरूप प्रदान कर कम्युनिस्ट विचारधारा को सही रूप प्रदान कर सकेगें अन्यथा 'कामरेड दुर्जन भाई का निधन', देवकुमार यादव का पार्टी से अलग होना एवं चन्द्रभान आजाद के निष्क्रिय होने से हरिजन यादव और कुछ सीमा तक लोद मतदाता कम्युनिस्ट पार्टी से अपना जुड़ाव स्थापित नहीं रख पायेंगें।

विभिन्न चुनावों में साम्यवादी दल की स्थिति (1967 से 2001 तक)

उ0प्र0 की राजनीति में बांदा जनपद को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु सम्पूर्ण जनपद को जनसंख्या के अनुपात में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभक किया गया है। ये निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित हैः-

1. मानिकपुर
2. कर्वी
3. वबेरू
4. तिन्दवारी
5. बाँदा
6. नरैनी

उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में से मानिकपुर विधानसभ क्षेत्र अ.जा. के लिये आरक्षित है। सन् 1974 मे तिन्दवारी नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। जनपद में साम्यवादी दल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि चुनावी आकड़ों पर दृष्टिपात किया जाये। अतः मैने सन् 1967 से 2001 तक के विभिन्न चुनावों के आकाड़ों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। सन् 1967 से पूर्व जनपद में साम्यवादी दल का गठ्न तो हो चुका था परन्तु सन् 1967 से ही साम्यवादी दल ने चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करना शुरू किया एवं कुछ चुनावों में अपने प्रत्याशियों को विजय भी हासिल हुयी। हम यहां यह भी कहना चाहेंगे कि जनपद में सामंतवादी व्यवस्था के होते हुये भी साम्यवादी दल के प्रजातांत्रिक तरीके से कर्वी निर्वाचन क्षेत्र से तीन वार विधानसभा के लिये चुना गया। मात्र अवलोकन के लिये हमने चुनावी तथ्य को प्रस्तुत किया है। तथ्य के सहारे चुनाव का क्षेत्र, चुनाव का समय मतदाता की संख्या, दलीय शक्ति आदि स्पष्ट हो जाती है।

तालिका नम्बर - 4.1

विभिन्न चुनावों में मानिकपुर क्षेत्र के चुनावों के परिणाम

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतदाता		प्रत्याशी का नाम	द ल	वोट प्रतिशत में
1967	मानिकपुर (एस.सी.)				
	5. 93268		इन्द्रपाल	भा0ज0पा0	38.5
	41992		एस0दुलारी (स्त्री)	आई0एन0सी0	36.6
	38724		लालूराम	पी0एस0पी0	10.6
	38724		प्रहलाद	आर0आर0ई0	8.5
				सी0पी0एम0	5.8
1969	4.	100241	एस0दुलारी (स्त्री)	आई0एन0सी0	51.0
		39929	वी0पी0महावर	बी0के0डी0	29.9
		38428	ननको भाई	सी0पी0एम0	10.8
			लालू राम	पी0एस0पी0	8.3
1974	5.	101157	एल0प्रसाद	भा0ज0पा0	42.9
		49373	एस0दुलारी (स्त्री)	आई0एन0एस0	31.4
		47184	इन्द्रपाल	सी0पी0आई0	12.4
			बी0पाल	आई0एन0डी0	8.9
			बी0पी0महावर	एन0सी0ओ0	4.4

1977	4.	105250	रमेश चन्द्र	जे0एन0पी0	51.1
		41709	शिरोमणि	आई0एन0सी0	36.9
		40590	एमचन्द्र	आई0एन0डी0	6.5
			मनोरमा (स्त्री)	आई0एन0डी0	5.5
1980	8.	121759	शिरोमणि	आई0एन0सी0	47.7
		40619	आर0सी0कुरी	भा0ज0पा0	20.3
		39525	जी0प्रसाद	सी0पी0आई0	13.2
			एल0प्रसाद	आई0एन0डी0	8.3
			जे0एन0पी0एस0पी0		
			जे0पी0एस0आर		7.1
			आई0एन0सी0यू0		
			आर विश्वा	आई0एन0डी0	3.4
1985	10.	136530	शिरोमणि	आई0एन0सी0	48.1
		37436	रमेश चन्द्र	भा0ज0पा0	17.4
		37669	कामता	सी0पी0आई	16.8
			एल0पी0वर्मा	एल0के0डी0	9.0
			जे0एन0पी0+डी0डी0		3.6
			पी0+आई0पी0जे0		5.1
			निर्दलीय-3		
1989		1,56,469	कामता प्रसाद	साम्यवादी दल(एम)	4.90
		58,853	मनू लाल	भारतीय जनता पार्टी	24.05
		62,534	रामाधार	दूरदर्शी पार्टी	1.59
			रामेश्वर प्रसाद	भारतीय साम्यवादी दल	24.17
			सिया दुलारी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	32.85
			हीरालाल	बहुजन समाजपार्टी	12.44

1993	1,83,417	छितानी लाल श्रीवास	बहुजन क्रांति दल जय	0.52
	74,524	दादडू प्रसाद	बी. एस. पी.	28.08
	76,589	मन्नू लाल कुरील	बी. जे. पी.	33.86
		मूलचन्द्र	भारतीय रिप. पार्टी	0.90
		रामाधार	दूरदर्शी पार्टी	0.42
		रितुराज कुमार वर्मा	भा.लोक.मजदूर दल	0.30
		सत्यनारायण	ज.पा	2.27
		सिया दुलारी	भा.रा.कांग्रेस	12.83
		निर्दलीय-5		
1996	2,00,713	ददडू प्रसाद	बी. एस. पी.	45.77
	87,793	मन्नू लाल कुरी	बी. जे.पी.	35.97
	89,507	----------	सी.पी.आई	9.26
		----------	ए.डी.	4.53
		निर्दलीय- 4		
2002	10,4,324	दादू प्रसाद	बी.एस.पी	47.76
		लखन लाल	बी.जे.पी.	25.41
		सत्य नारायण	एस.पी.	15.18
		शिरोमणी भाई	आई.एस.सी.	3.27
		रामनारायण	ए.डी.	2.88
		महेश प्रसाद	आर.टी.के.पी.	1.30
		निर्दलीय-3		

मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में
साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

तालिका नम्बर- 4.2

विभिन्न चुनावों में बबेरू क्षेत्र के चुनावों के परिणाम

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रत्याशी का नाम	दल	वोट प्रतिशत
1967	बबेरू-7			
	1,08,722	देशराज सिंह	आई.एन.सी.	34.0
	60,040	दुर्जन	सी.पी.आई	33.7
	55,955	जब्बन सिंह	भा.ज.पा.	27.3
		एन.राम	आई.एन.डी.	2.5
		फूल चन्द्र	पी.एस.पी.	1.0
		आई.एन.डी.-2		1.0
1969 8	1,14,663	दुर्जन	सी.पी.आई.	40.9
	58,284	अर्जुन सिंह	आई.एन.सी.	29.3
	56,180	जब्बन सिंह	भा.ज.पा.	17.5
		चुन्ना सिंह	आर.आर.आई	7.2
		वी.के.डी.	एस.एस.पी0	3.3
		आई.एन.डी.-2		1.8
1974 8.	1,14,562	देव कुमार	सी0पी0आई0	45.7
	96,391	जे0सिंह	भा0ज0पा0	26.0
	72,975	डी0आर0सिंह	आई0एन0डी0	14.5
		आर0दास	आई0एन0सी0	7.00
		एन0सी0ओ0	वी0के0डी0	4.8
		एस0डब्ल्यू0एस0		2.0
		एल0टी0एस0,	आई0एन0डी0	51.1
1977	4. 1,18,127	देव कुमार	सी0पी0आई0	41.7
	71,945	ए0पी0सिंह	जे0एन0पी0	4.6

	70310	राम सजीवन	आई0एन0डी0	2.6
		बी0लाल	" "	
1980	5. 1,35,948	आर0प्रसाद	आई0एन0सी0आई	53.1
	81,893	डी0के0यादव	सी0पी0आई0	24.5
	79,316	आर0एन0त्रिपाठी	भा0ज0पा0	16.3
		ए0अवतार	ज0एन0पी0ए0सी0	4.6
		आर0ए0केसरी	आई0एन0डी0	1.5
1985	12. 1,53,220	डी0के0यादव	आई0एन0डी	29.6
	66890	डी0सिंह	आई0एन0सी0	26.7
	65864	दुर्जन	सी0पी0आई0	26.2
		विशम्भर	एल0के0डी0	5.0
		भा0ज0पा0+जे0एम0पी0+डी0डी0पी0		6.9
		+आई0सी0जे0		3.6
		आई0एन0डी0-4		
1989	1,76,964	गयाचरन दिनकर	बी0एस0पी0	21.27
	78,404	देव कुमार यादव	आई0एन0सी0	31.67
	83,398	पुष्पेन्द्र कुमार	जे0डी0	0.54
		विहारीलाल	सी0पी0आई0	18.11
		रामचन्द्र	भा0लो0मजदूर दल	1.37
		वंशरूप	वी0जे0पी0	0.36
		श्री कृष्ण	दूरदर्शी	0.56
		निर्दलीय - 8		
1993	2,02,487	कृष्ण कुमार भारतीय	बी0जे0पी0	30.48
	1,08,535	गयाचरन दिनकर	बी0एस0पी0	32.62

	1,10,604	देवकुमार यादव	आई0एन0सी0	21.36
		देशराज सिंह	जनता दल	5.14
		रामबली	जनता पार्टी	3.18
		सुन्दरलाल	दूरदर्शी	0.30
		निर्दलीय - 10		
1996	2,21,803	शिवशंकर	बी0जे0पी0	31.68
	1,18,072	गयाचरन दिनकर	बी0एस0पी0	30.68
	1,20,319	भगवती प्रसाद	एस0पी0	20.79
		देवकुमार	यू0सी0पी0आई0	12.84
		रामप्रसाद	एस0एच0एस0	1.13
		सुरेश	बी0जे0एस0	0.85
		निर्दलीय - 2		
2002	1,29,243	गयाचरन दिनकर	बी0एस0पी0	33.68
		रामअवतार/गौरीशंकर	एस0पी0	26.08
		शिवशंकर सिंह	बी0जे0पी0	25.22
		राम कृपाल	ऐ0डी0	3.70
		रामअवतार/नत्थूप्रसाद	आई0एन0सी0	1.37
		शमशेर सिह	एस0एच0एस0	0.96
		देवकुमार	यू0सी0पी0आई0	0.91
		अवधेश कुमार	आई0टी0के0पी0	0.84
		शमीम खान भारतीय	ए0एस0पी0	0.43
		निर्दलीय -6		

बबेरू विधानसभा क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

तालिका नंम्बर- 4.3

<u>विभिन्न चुनावों में कर्वी क्षेत्र के चुनावों के परिणाम</u>

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदाता	प्रत्याशी का नाम	द ल	वोट प्रतिशत
	कर्वी				
1967	9.	101839	रामसंजीवन	सी0पी0आई	30.9
		43787	डी0दयाल	आई0एन0सी0	22.2
		39499	जोगेन्द्र सिंह	भा0ज0पा0	17.4
			राम निवास	आई0एम0डी0	12.4
			पी0एस0पी0+सी0पी0एम0		6.9
			आई0एन0डी0 - 3		10.2
1969	5.	110866	आर0के0गोस्वामी	आई0एन0सी0	37.4
		54659	राम संजीवन	सी0पी0आई0	33.0
		52186	जगपत सिंह	भा0ज0पा0	24.6
			प्रेम चन्द	आई0एन0डी0	2.9
			जे0पी0करवेरिया	वी0के0डी0	2.1
1974	9.	109974	राम संजीवन	सी0पी0आई0	41.7
		65198	श्री आर0कृष्ण	आई0एम0सी0	24.00
		62144	ए0प्रसाद	भा0ज0पा0	23.7
			वावू लाल	वी0के0डी0	3.4
			एन0सी0ओ0		2.8
			+एस0डब्ल्यू0ए0		4.4
			+ आई0एन0डी - 3		
1977	6.	107719	रामसजीवन	सी0पी0आई0	50.1
		68411	वी0कुमार	जे0एन0पी0	45.4
		66829	रामदीन	आई0एन0डी0	1.9

	रामपाल	आई0एन0डी0	1.0
	जे0लाल	आई0एन0डी0	0.9
	एच0प्रसाद	आई0एन0डी0	0.7
1980. 124378	एस0 नरेश	आई0एन0सी0	39.0
65145	राम सजीवन	सी0पी0आई0	25.6
63529	जी0आर0कृष्ण	आई0एन0डी0	25.5
	आर0एस0 यादव	जे0एन0पी0एस0	6.9
	के0सी0 द्विवेदी	भा0ज0पा0	2.1
	जे0 लाल	आई0एन0डी	0.9
1985. 137014	रामसजीवन	सी0पी0आई0	47.0
60705	आर0मिश्रा	आई0एन0सी0	26.0
59751	जी0आर0कृष्ण	एल0के0डी0	12.2
	आर0डी0यादव	आई0एन0डी0	3.8
	भा0ज0पा0 +		5.9
	सी0जे0 +डी0डी0पी0		
	आई0एन0डी03		5.1
1989. 1,62,122	कमलेश कुमार	जनता दल	5.66
75,585	कामता प्रसाद	दूरदर्शी पार्टी	0.44
79,976	गया प्रसाद भारतीय	सि0पार्टी	0.95
	गोपाल कृष्ण करवरिया	भा0राष्ट्रीय कांग्रेस	12.68
	भैरो प्रसाद	भा0ज0पा0	11.32
	राजबहादुर सिंह यादव	लोकदल (ब)	1.35
	रामप्रसाद सिंह	भारतीय साम्यवादी दल	24.34
	रामस्वंयर	बी0एस0पी0	18.15
	निर्दलीय 7		

1993	1,84,348	गजराज	भा0रिपब्लिकन पार्टी	0.24
	1,02,188	भैरो प्रसाद मिश्र	भा0ज0पा0	26.91
	1,05,060	रामकृपाल	बी0एस0पी0	26.71
		रामप्रसाद सिंह	भा0साम्यवादी दल	11.39
		हीरालाल पाण्डेय	भा0राष्ट्रीय कांग्रेस	19.34
		सन्तोष कुमार पाण्डेय	दूरदर्शी	0.16
		निर्दलीय - 19		
1996	205024	रामकृपाल सिंह	बी0एस0पी0	46.76
	109714	रामप्रकाश	बी0जे0पी0	24.16
		वीरेन्द्र प्रकाश	सी0पी0आई0	13.17
		बहोरन प्रसाद मिश्रा	एस0एच0एस0	9.81
		रामप्रसाद	बी0एस0पी0 (आर)	1.01
		राजकुमार ए0डी0	0.76	
		निर्दलीय - 5		
2002	119754	आर0के0 सिंह पटेल	बी0एस0पी0	40.66
		दहोरन प्रसाद मिश्रा	बी0जे0पी0	27.70
		प्रो0 शशांक द्विवेदी	एस0पी0	19.42
		नाथूराम	ए0डी	3.79
		वेद प्रकाश	आई0एन0सी0	2.98
		महावीर	आर0टी0के0पी0	1.78
		निर्दलीय - 2		

कर्वी विधानसभा क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

तालिका नंम्बर- 4.4

विभिन्न चुनावों में बाँदा क्षेत्र के चुनावों के परिणाम

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतदाता	प्रत्याशी का नाम	दल	वोट प्रतिशत
	बाँदा			
1967	10 99243	जी0 एस0 सर्राफ	भा0 ज0 पा 0	31.8
	41446	वाई0 सिंह	पी0 एस0 पी0	21.9
	38094	बी0 एल0 गुप्ता	आई0 एन0 सी0	13.8
		वदलू	सी0 पी0 आई	11.6
		आर0 आर0	सी0 पी0 एम,आई	9.9
		आई0 एन0 डी0 4		11.0
1969	9 109018	एम0 डी0 सिंह	आई0 एन0 सी	38.2
	58309	जै0 प्रसाद	पी0 एस0 पी0	26.2
	56090	सिया राम	सी0 पी0 आई0	14.4
		जी0 एस0 सरफि	भा0 ज0 पा0	1.4
		आर0 आर0 आई0		3.2
		एम0 पी0 ए0		6.4
		आई0 एन0 डी0		
1974	8 114281	ज0 प्रसाद	सोशलिस्ट	26.9
ट	69867	दुर्जन	सी0 पी0 आई0	25.7
	67492	आर0 शंकर	भा0 ज0 पा0	17.9
		राम सजीवन		16.9
		वी0के0डी0एल0टी0	सी0 पी0 आई	3.0
		एस0 आई0 एन0 डी 2		9.6

1977	118751	जे0 प्रसाद	जे0 एन0 पी0	49 1
	68919	दुर्जन	सी0 पी0 आई0	46 2
	67602	एन0 खान0	आई0 एन0 डी0	2 2
		के0 प्रसाद	आई0 एन0 डी0	2 1
		क्यू0 अहमद	आई0 एन0 डी0	0 5
1980	13802	सी0पी0शर्मा	आई0एन0सी0आई0	46.5
	64091	जे0प्रसाद	जे0एन0पी0जे0पी0	18.4
	62668	दुर्जन	सी0पी0आई	18.3
		एम0प्रसाद	आई0एन0पी0	7.0
		भा0ज0पा0 आई	एस0सी0	6.5
		एन0सी0यू0		3.3
		आई0एन0डी0-2		
1985	155397	जे0प्रसाद	जे0एन0पी0	33.5
	52892	आर0एन0दुबे	आई0एन0सी0	17.2
	52237	एम0हाक्यू	सी0पी0आई0	17.1
		पी0लाल	एल0के0डी0	10.4
		भा0ज0पा0+डी0डी0पी0		5.6
		आई0एन0डी0 - 12		
1989	186487	चन्द्रप्रकाश शर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	18.11
	83298	जमुना प्रसाद बोस	जनता दल	28.61
	88,087	वद्री प्रसाद	लोकदल	0.56
		वावूलाल कुशवाह	वहुजन समाज पार्टी	22.58
		श्री विशाल	दूरदर्शी पार्टी	0.80
		सन्तोष कुमार गुप्ता	भा0ज0पा0	10.54
		निर्दलीय -12		

1993	214549	अनिल कुमार गुप्त	शिवसेना	0.13
	110467	कल्लूराम	जनता पार्टी	0.36
	113517	कामता	दूरदर्शी	0.28
		चन्द्रप्रकाश शर्मा	आई0एन0सी0	7.74
		जमुना प्रसाद बोस	जनता दल	3.83
		जयकरन	भा0रिप0	0.40
		नसीमउददीन सिददीकी	बी0एस0पी0	40.14
		मृदुबाला श्रीवास्तव	बहुजन कांतिदल	0.51
		रम्भू प्रसाद	भा0लोक मजदूर दल	0.33
		राजकुमार शिवहरे	भा0ज0पा0	41.00
		हरीशंकर	बहुजन कांति दल	0.13
		निर्दलीय - 15		
1996	257037	विवेक कुमार सिंह	आई0एन0सी0	33.07
	114066	सन्तोष कुमार गुप्ता	बी0जे0पी0	31.20
	111808	चन्द्रप्रकाश शर्मा	ऐ0एच0सी0 (टी)	22.76
		नौशाद हुसेन	बी0एस0पी0	4.44
		कृष्ण नरेन्द्र प्रकाश	ए0डी0	2.58
		राम प्रकाश अग्निहोत्री	एस0एच0एस0	1.25
		निर्दलीय एवं अन्य-08		
2002	117639	बाबूलाल कुशवाह	बी0एस0पी0	31.24
		जमुना प्रसाद बोस	एस0पी0	29.51
		सन्तोष कुमार बोस	बी0जे0पी0	20.12
		संजय गुप्ता	आई0एन0सी0	7.19
		शिवप्रसाद राजपूत	ए0डी0	4.81
		नरेन्द्र नाथ	आर0टी0के0पी0	1.84
		निर्दलीय एवं अन्य - 09		

बांदा विधानसभा क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

तालिका नंम्बर- 4.5

विभिन्न चुनावों में नरैनी क्षेत्र के चुनावों के परिणाम

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतदाता नरैनी	प्रत्याशी का नाम	दल	वोट प्रतिशत
1967				
	110064	जगपत सिंह	भा0ज0पा0	31.0
	57861	सी0पी0पान्डेय	आई0एन0सी0	23.2
	53378	सी0एस0आजाद	एस0एस0पी0	20.9
		पारसन	आर0आर0आई0	11.0
		ठाकुरवा	सी0पी0एम0	3.6
		आई0एन0डी-3		10.0
1969				
	116596	एच0प्रसाद	आई0एन0सी0	33.4
	60566	आर0आर0वाजपेई	भा0ज0पा0	19.7
	58458	आसद	सी0पी0आई0	15.4
		जगन्नाथ	ए0ए0पी0	14.6
		पारसन	बी0के0डी0	9.4
		आर0आर0आई0		7.5
1974				
	109974	सी0आजाद	सी0पी0आई0	32.3
	67267	जे0सिंह	भा0ज0पा0	26.2
	64641	एच0प्रसाद	आई0एन0सी0	19.6
		आर0कुमार	एल0टी0टी0+बी0के0डी0	8.2
			+एस0डब्लू0ए0	6.2
		आई0एन0डी0-6		8.6

1977				
	113176	सुरेन्द्र पाल	सी0पी0आई	49.4
	63388	आर0के0 गोस्वामी	जे0एन0पी0	46.2
	62208	राम विसाल	आई0एन0पी0	1.9
		के0कान्ति	आई0एन0पी0	0.8
		एस0प्रकाश	आई0एन0पी0	
		एस0 चन्द्रा	आई0एन0पी0	
1980				
	136244	एच0पी0पान्डेय	आई0एन0सी0एफ0	41.6
	70722	सुरेन्द्र पाल	सी0पी0आई0	21.9
	68620	ए0कुमार	आई0एन0सी0यू0	11.1
		आई0एन0डी0-4		6.3
1985				
	154798	सुरेन्द्र पाल	सी0पी0आई0	40.9
	57333	कान्ता देव	आई0एन0सी0	39.3
	56330	एस0 शुक्ला	भा0ज0पा0	6.9
		आर0 लखन	एल0के0डी0	2.6
		आई0सी0जे0+		3.3
		एन0पी0+डी0डी0पी0		7.3
1989	1,86,676	कल्लू उ0प्र0	खि0पार्टी	2.40
	87,863	प्रमोद कुमार	दूरदर्शी पार्टी	0.36
	92,946	बाबूलाल तिवारी	बी0जे0पी0	12.08
		रामलखन सिंह	बी0एम0पी0	11.24
		सुरेन्द्रपाल वर्मा	भा0 साम्यवादी दल	25.50
		हरवंश प्रसाद पाण्डेय	भा0 राष्टीय कांग्रेस	17.37
		निर्दलीय एवं अन्य	14	

1993	2,15,508	अजब सिंह	दूरदर्शी पार्टी	0.02
	1,20,291	रमेश चन्द्र द्विवेदी	भा0ज0पा0	23.82
	1,23,312	विजय वंशबीर	भा0रि0 पार्टी	2.20
		विजय बहादुर	भा0क0पार्टी	4.24
		शंभू सिंह चन्देल	जनता पार्टी	0.65
		शारदा प्रसाद	वहुजन कांतिदल (जप)	1.71
		स्वर्ण प्रकाश गोस्वामी	भा0राष्ट्रीय कांग्रेस	17.17
		सुरेन्द्रपाल वर्मा	समाजवादी पार्टी	36.06
		निर्दलीय ए0 अप-23		
1996	230525	बाबू लाल कुशवाहा	बी0एस0पी0	33.92
	135852	सुरेन्द्रपाल वर्मा	एस0पी0	26.14
		पुरुषोतम पान्डेय	बी0जे0पी0	18.30
		वसीम अहमद	ए0डी0	7.32
		फूला देवी	आर0पी0 आई0	0.34
		निर्दलीय -07		
2002	134670	डा0सुरेन्द्रपाल वर्मा	बी0एस0पी0	30.30
		नवल किशोर	एस0पी0	25.29
		रवि शंकर	बी0जे0पी0	20.57
		राजकरण कवीर	ए0डी0	8.26
		संजीव कुमार अवस्थी	आई0एन0सी0	6.29
		निर्दलीय एवं अन्य - 06		

नरैनी विधानसभा क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

तालिका नम्बर 4.6

विभिन्न चुनावों में तिन्दवारी क्षेत्र के चुनावों के परिणाम

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतदाता	प्रत्याशी का नाम	द ल	वोट प्रतिशत
1974	तिन्दवारी			
	109968	जे0सिंह	भा0ज0पा0	30.8
	624214	वी0पी0सिंह	आई0एन0सी0	19.9
	61650	शिव राम	सी0पी0आई0	17.2
		जे0 पाल	एस0डब्लू0	15.5
		एस0एस0डी0ऐ0		16.5
		बी0के0डी0		
		+एन0सी0ओ0		
		आर0पी0ए0		
		आई0एन0डी0-3		3.4
1977	112995	जे0सिंह	जे0एन0पी0	47.6
	62922	जे0सिंह	आई0एन0सी0	40.5
	61204	के0किशोर	सी0पी0एम0	3.1
		आर0 आसरे	आई0एन0डी0	2.1
		एम0बी0 हुसैन	आई0एन0डी0	1.6
		आई0एन0डी0-05		5.2
1980	129813	एस0पी0सिंह	आई0एन0सी0	38.4
	55262	आर0सिंह	जे0एन0पी0	15.4
	54019	आर0बी0सिंह	सी0पी0आई0	14.0

		आर0एस0सिंह	भा0ज0पा0	13.2
		जे0एन0पी0जे0पी0		
		+जे0एन0पी0एस0आर0		12.2
		+आई0एम0सी0यू0		
		+बी0एस0पी0		
		आई0एन0डी0-7		
1985	12. 147167	अर्जुन सिंह	आई0एन0सी0	56.9
	56272	गया प्रसाद	एल0के0डी0	11.5
	55463	के0जी0शास्त्री	भा0ज0पा0	9.5
		आई0बी0एस0गौतम	जे0एन0पी0	7.2
		रामाधीन		
		आई0एन0डी0-7 डी0डी0पी0		14.3
1989	1,71,225	अर्जुन सिंह	भा0 राष्ट्रीय कांग्रेस	21.29
	79,729	चंद्रभान सिंह	जनता दल	61.85
	83,327	मूलचंद्र	रिपब्लिकन पार्टी आफइ	04.99
		रामसजीवन प्रजापति	बी0एस0पी0	7.57
		रामधार	दूरदर्शी पार्टी	0.41
		निर्दलीय - 08		
1993	1,92,333	अजय कुमार सिंह	भा0 खि0पथ	0.33
	96,331	जगराम सिंह	भा0 लोक मजदूर दल	0.36
	98,615	दिनेश सिंह	जनता दल	0.98
		रणवीर सिंह	इण्डियन पीपुल्स फुट	1.08
		रमेश चंद्र	दूरदर्शी पार्टी	0.21

	विशम्भर प्रसाद	बहुजन समाज पार्टी	47.93
	शीतल प्रसाद त्रिपाठी	भारतीय समाज पार्टी	29.00
	हरीशंकर सिंह	भा० राष्ट्रीय कांग्रेस	0.85
1996. 210191	महेन्द्र पाल निषाद	बी०एस.पी०	37.39
106016	राम हित	बी०जे०पी०	29.87
	चंद्रपाल सिंह	एस०पी०	24.82
	मुन्ना	ए०डी०	4.37
	इंद्रभान	एस.जे.आर (आर)	1.21
	बिन्दा	सी०पी०आई० (एम)	0.58
	निर्दलीय एवं अन्य - 3		
2002. 119252	विशम्भर प्रसाद निषाद	एस०पी०	35.30
	विवेक कुमार सिंह	बी०जे०पी०	32.85
	महेन्द्र प्रसाद निषाद	बी०एस०पी०	19.22
	अर्जुन सिंह	आई०एन०सी०	3.10
	रूहफ अली	ए०डी०	2.96
	निर्दलीय एवं अन्य - 11		

अतः हमने चुनावी तथ्यों का अवलोकन किया।

तिन्दवारी विधानसभा क्षेत्र में साम्यवादी दल को प्राप्त मत प्रतिशत

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय

दलीय दृष्टिकोण

5.1 दल के नेताओं के विचार

5.2 सदस्यों की स्थिति एवं प्राप्त मतों की स्थिति की विवेचना

5.3 बांदा जनपद की सम्पूर्ण व्यवस्था को विकास के मार्ग में लाने पर साम्यवादी दल की भूमिका

दल के नेताओं के विचार

शोध की दृष्टि से यह सर्वथा उपयोगी ही होगा कि जनपदीय दलीय दृष्टिकोण को समझने के लिये दल के नेताओं के विचारों को जाना जाये। इसके लिये हमने साम्यवादी दले के कुछ प्रमुख नेताओं से साक्षात्कार लिय जो कि निम्नवत् हैः—

कामरेड देवकुमार यादव

आप वर्तमान में संयुक्त मा.क.पा. के प्रादेशिक सचिव है। आपका जन्म बॉदा जनपद के ग्राम—जाखी मजरा ममसी के कृषक परिवार में हुआ। पिताजी स्व. श्री बैजनाथ एवं माताजी स्व0 श्रीमती जगरानी यादव ने आपको शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी प्राथमिक शिक्षा सांग सानी गॉव के प्राथमिक स्कूल में हुयी। राजकीय इण्टर कालेज, अतर्रा बॉदा से इण्टरमीडिएंट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

आपने साम्यवादी विचारधारा के विभिन्न नेताओं जैसे कामरेड रमेश सिन्हा, कामरेड पी.सी.जोशी, कामरेड एस.ए.डांगे आदि के विचारों से प्रभावित होकर साम्यवादी दल को सदस्यता ग्रहण कर ली। आप जीविकोपार्जन के रूप में वकालत करते है एंव बॉदा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिये प्रयासरत् है। आप वर्तमान राजनीतिक विचारों का आधार आप साम्यवादी चिन्तन को मानते हे।

साम्यवादी दर्शन एवं व्यवहार की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की स्थिति के संदर्भ में आपके विचार है कि साम्यवादी दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उत्तर प्रदेश एंव बॉदा जनपद की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में कमी होने का कारण ये जातिवादी एवं साम्प्रदायकि तत्व को मानते है। इनका मानना है कि आज राजनीति

में जातिवादी नेताओं का प्रभाव है, किन्तु अब साम्प्रदायिक एवं जातिवादी राजनीति का पर्दाफाश शुरू हो गया है। इनका मत है कि अगले 5 वर्षों में इनके पराभव की सम्भावनायें दृष्टिगोचर हो रही है। आज पुनः साम्यवादी दल में आपसी मेल मिलाप की भावनायें पनप रही है। कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के ध्रुवीकरण के प्रयास कर रही है। वर्तमान राजनीति का संकट आस्थाओं का संकट है। आज इसीलिये राजनीति ने एक व्यवसाय या उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया है। राजनैतिक शिक्षा का आभाव होने के कारण राजनीति दिशाहीन हो गई है। आज मतदाता जाति एवं धर्म की भावनाओं से प्रभावित है। इसलिये मूल्यों की राजनीति करने वालों को संगठित होकर इन शक्तियों के विरूद्ध संघर्ष करना चाहिये। परिवर्तन में आम जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

साम्यवादी दर्शन की भविष्य की स्थिति के संबंध में आपका विचार है कि परिवर्तन में देर भले ही लगे परन्तु अन्ततः विजय साम्यवाद की होंगी क्योंकि व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक संकट एवं भ्रष्टाचार को कोई अन्य विचारधारा समाप्त नहीं कर सकती है।

है। बॉदा जनपद की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं छोटे कृषकों की हालत में बदलाव लाने के लिये समय–समय पर सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किये। साथ ही जनपद के शैक्षिक वातावरण को भी विकसित करने के लिये प्रयासरत् है क्योंकि इनका मानना है कि आम जनता का साक्षर होना आवश्यक है तभी साम्यवादी दर्शन पुनः अपना अस्तित्व स्थपित कर पायेगा।

कामरेड चन्द्रपाल पाल

आप वर्तमान में सी.पी.आई. राज्य काउंसिल के सदस्य है।साथ ही जिला सहायक सचिव के पद का दायित्व निभा रहे है। आपका जन्म चित्रकूट जनपद की तहसील कर्वी के ग्राम सकरोली में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा राजापुर चित्रकूट से ग्रहण की एवं उच्च शिक्षा बी.ए., एलएल.बी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण विश्वविद्यालय में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर साम्यवाद से जुड गये। वर्तमान में आप वकालत कर रहे है एवं मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति में है।

वर्तमान राजनीति के संदर्भ में आपका विचार हैकि राजनीति जांत पांत व सम्प्रदाय पर आधारित हो गई है। राजनीतिक दलों ने निजी स्वार्थ में इसका प्रयोग किया है। इनका मत है कि आर्थिक असमानता को लेकर लड़ाई लड़ी जानी चाहिये। आर्थिक व सामाजिक आधार पर गैर बराबरी की राजनीति होनी चाहिये। इनका मानना है कि बी.जे.पी., बी.एस.पी. व स.पा. जनता को धोखा दे रही है।

साम्यवादी दर्शन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य पर आपका कहना है कि मतदाता भ्रमित है जिससे वर्तमान में साम्यवाद को धक्का लगा है किन्तु ज्यादा दिन तक जाति और सम्प्रदाय पर आधारित राजनीति भारतीय समाज में नही चल पायेगी और भविष्य में मतदाता फिर साम्यवाद की ओर दौड़ेगा एवं यह पुनः अपनी पूरी ताकत से स्थापित होगा।

कामरेड रामप्रसाद

आप वर्तमान में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य है। पूर्व में सन् 1989 एवं 1991 में कर्वी विधानसभा क्षेत्र से साम्यवादी दल से विधायक रह चुके है।

आपका जन्म जनपद चित्रकूट तहसील कर्वी के ग्राम परसौंजा में हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा गांव में तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा कर्वी के शासकीय विद्यालय से ग्रहण की। बी.ए. इलाहाबाद वि.वि. से एवं एम.ए., एलएल.बी. रीवा कालेज (सागर वि.वि.) से किया।

एम.ए.अर्थशास्त्र में करने के कारण साम्यवादी आर्थिक विचारों से प्रभावित हुये एवं राजनीति शास्त्र में भी साम्यवादी विचारों को पढ़ा। आप सन् 1964 से वकालत कर रहे है जिससे जनपद की आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को बहुत करीब से देखा और प्रभावित होकर साम्यवादी राजनीति में सक्रिय हो गये। मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति होने के कारण और ज्यादा प्रभावित हुये।

वर्तमान राजनीति से आप सहमत नहीं हैं इनका मानना है मौजूदा परिस्थितियों में साम्यवादी व्यवस्था ही समाधान है। जातिवादी साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रीयतावादी राजनीति से देश का हित नहीं होगा। वर्तमान दिखावे की राजनीति एवं पूंजीवादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा।

साम्यवादी दर्शन की वर्तमान में उपयोगिता एवं भविष्य में उसकी उपयोगिता क्या है, के संदर्भ में आपका विचार है कि प्रदेश एवं देश की राजनीति में जातिवादी ताकते जोर पकड़ रही है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन का विघटन साम्यवाद को सबसे बड़ा झटका है। किन्तु फिर भी दुनिया और देश का अंतिम विकल्प साम्यवाद ही होगा। साम्यवाद पुनः मजबूत होगा। वर्तमान राजनीतिक प्रयोगों से लोग पुनः हटकर साम्यवादी व्यवस्था की ओर आकर्षित होंगे।

कामरेड बद्री विशाल सिंह

श्री बद्री विशाल सिंह वर्तमान में चित्रकूट जनपद की जिला इकाई के सदस्य है। आप पेशे से वकील है। मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति है। आपका जन्म चित्रकूट जनपद की तहसील कर्वी के ग्राम रैपुरा में हुआ। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा कर्वी से प्राप्त की। बी.ए., एलएल.बी. इलाहाबाद वि.वि. से किया। सांसद रामसंजीवन सिंह जी से प्रेरणा लेकर साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण की।

इनका मानना है कि आज की राजनीति जांत पांत एवं क्षेत्रीयता की राजनीति है। वर्तमान में साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद की राजनीति ने साम्यवाद को कमजोर किया है। बिना शिक्षा के साम्यवाद का पनपना मुश्किल है। अतः समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना जरूरी है। तभी उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयेगी। पूंजीवादी ताकतो तथा अशिक्षित मतदाताओं के चलते साम्यवाद को ताकत नहीं मिल रही है। किन्तु भावी परिस्थितियों में ऐसा आभास हो रहा है कि मतदाता सभी जगह से थक कर साम्यवाद की ओर आयेगा वैसे वर्तमान समय में हिन्दुस्तान में यह कार्य अत्यन्त कठिन है।

कामरेड शिवकुमार मिश्रा

आपका जन्म बॉदा जनपद के ग्राम जमालपुर में कृषक परिवार में हुआ। माध्यमिक शिक्षा बॉदा के राजकीय इंटर कालेज से प्राप्त की। तत्पश्चात् बी.एस.सी, एम.ए. एवं एलएल.बी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया एवं वर्तमान में वकालत कर रहे है। मध्यमवर्गीय आर्थिक स्थिति है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान प्रगतिशील छात्र संगठन की सदस्यता ली। इलाहाबाद प्रतापगढ़ गोण्डा एवं कानपुर के छात्र संगठनों के लिये कार्य किया। यहीं से राजनीतिक जीवन की शुरूआत हुई और साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली।

साम्यवाद की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आपका मत है कि देश की स्थापित वामपंथी पार्टियां साम्यवादी दर्शन एवं व्यवहार के दृष्टिकोण से बेहद असफल हो रही है। इसका कारण वे मानते है कि ये पूंजीवादी पार्टियों के पिछलग्गूपन से उबर नहीं पा रहे है। इसीलिये राजनीतिक स्थितियां अनुकूल होने के बावजूद स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति के बतौर वे कोई उदाहरणात्मक हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। साम्यवादी दल की भविष्य की स्थिति के संबंध इनका मानना है कि जिस तरह से

अमेरिकी साम्राज्यवाद का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है तथा फासिस्ट ताकते बेनकाब होती जा रही है साथ ही भारतीय अर्थतन्त्र ध्वस्त होने की ओर बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में वामपंथ का भविष्य उज्जवल है तथा मार्क्सवादी दर्शन व व्यवहार की दृष्टि से चीजे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी।

कामरेड रूद्रप्रताप मिश्र

आप वर्तमान में साम्यवादी दल की जिला कार्यकारिणी के सदस्य है। आपका जन्म मध्यमवर्गीय कृषक परिवार में चित्रकूट जिले के ग्राम बगरेही में हुआ। जनपद के इण्टर कालेज से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। बी.ए., एलएल.बी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उच्च शिक्षा के दौरान साम्यवादी दर्शन एवं विचारधारा से संबंधित साहित्य को पढ़ने से प्रभावित होकर इससे जुड़ गये। विश्वविद्यालय में छात्र नेता कामरेड रणवीर सिंह चौहान जी से प्रेरणा और बल मिला और साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। जीविकोपार्जन हेतु वकालत कर रहे है।

वर्तमान राजनीति के संदर्भ में आपका मत है कि आज की राजनीति में जाति और धर्म की गलत प्रस्तुति के जरिये राजनीतिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। साम्यवादी दर्शन की लोकप्रियता में हिन्दुस्तान में गिरावट आई है क्योंकि भारत की परिस्थितियों के मुताबिक इसमें तालमेल नहीं बैठाया गया। देश की परिस्थितियों से तालमेल के अभाव में साम्यवादी दल जनता से दूर होता गया। इनका सोचना है कि जनता सभी राजनीतिक दलों की राजनीति एवं कार्य प्रणाली को देखकर पुनः साम्यवाद की तरफ आकर्षित होगी। और एक समय ऐसा आयेगा जब देश में साम्यवाद पहले स्थान पर आयेगा। यद्यपि पूंजीवादी व्यवस्था ने साम्यवाद को गिरा दिया पर अब यह फिर खड़ा होने लगा है। ब्राजील इसका उदाहरण है। यहां अभी साम्यवाद की परचम फहराया है।

कामरेड रामसजीवन सिंह

आप वर्तमान में सांसद (ब.स.पा.) है। आपका जन्म चित्रकूट जनपद की तहसील कर्वी के ग्राम सोनपुरे के कृषक परिवार में हुआ। आपका बचपन गांव मे

बीता। माध्यमिक शिक्षा कर्वी में हुयी। एम.ए. राजनीति शास्त्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण अध्ययन के दौरान मार्क्स एवं लेनिन के विचारों से प्रभावित हुये और साम्यवादी दर्शन की तरफ रूझान बढ़ा। साथ ही विश्वविद्यालय के दो शिक्षक साम्यवादी विचारों के थे जिनसे प्रेरणा लेकर साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। कम्यूनिस्ट पार्टी से चार बार विधायक रह चुके है।

वर्तमान में आपने बी.एस.पी. की सदस्यता ग्रहण कर ली है एवं इसी दल से सांसद है। आप कृषि एवं समाज सेवा से जुड़े है। एवं आर्थिक स्थिति मध्यमवर्गीय है। साम्यवादी दल की सदस्यता छोड़ने के पीछे इनका मत है कि समतामूलक समाज के लिये साम्यवादी विचारधारा अच्छी थी पर भारत की परिस्थितियों के अनुसार इसे ढाला नहीं गया। एवं इसी कारण लोग इस दल से दूर हो गये। दलितों एवं पिछड़ों की सही पहचान नहीं की गई । साम्यवादी दर्शन के सर्वहारा वर्ग (मजदूर वर्ग) के रूप में वर्तमान में केवल सरकारी मजदूरों को मजदूर माना गया जिससे समाज के एक बहुत बड़े तपके दलित वर्ग की उपेक्षा हुई। और इसी कारण साम्यवादी दल की सदस्यता त्याग कर बी.एस.पी. की सदस्यता ग्रहण कर ली।

वर्तमान राजनीति में अगर भारतीय समाज को देखा जाये तो भारत में सर्वाधित गरीब दलित समाज है। साम्यवादियों को इन दलितों को आधार बनाना चाहिये था किन्तु साम्यवाद में इस दलित वर्ग की सेवा नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि इनकी बात करने वालों को जातिवादी कहा जाता था। जबकि आज बहुजन समाज पार्टी इन्हीं दलितों को आधार बनाकर भारतीय संविधान की मूल भावना के तहत काम कर रही है। दलितों पिछड़ों को बराबरी पर लाना ही आज की राजनीति का आधार है।

इनका मत है कि वर्तमान में साम्यवादी दर्शन लगातार नीचे की ओर जा रहा है। 1950–51 में संसद में कांग्रेस के बाद साम्यवादी दल दूसरे नंबर की पार्टी

थी। आज क्षेत्रीय दलों से नीचे चली गई। भविष्य में भारत में इसकी तरक्की की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। साम्यवादी दल कुछ लोगों तक सिमट कर रह गया है।

कामरेड चन्द्रभान आजाद

आपका जन्म बाँदा जनपद की नरैनी तहसील के नौहाई ग्राम में हुआ। आप कृषि करते है। मध्यमवर्गीय आर्थिक स्थिति है। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। आर्थिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाये। बांदा के एक प्राइवेट कालेज किरण कालेज के प्रधानाचार्य जो कि एक गणमान्य नागरिक है श्री रामभजन निगम के विचारों से प्रभावित होकर साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। किन्तु साम्यवादी दल में पार्टी के अपने दर्शन से अलग हटकर कार्य करने के कारण आपने सन् 1996 से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।

इनका कहना है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्रिक व्यवस्था समाजवादी विचारधारा में ज्यादा सुदृढ़ है। साम्यवादी विचारधारा में कुछ व्यक्तियों के हाथ में शक्ति निहित हो जाती है।

साम्यवादी दल की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के संबंध में आपका विचार है कि साम्यवादी दर्शन अब एक जमाने की बात हो गई है। विश्व के बड़े–बड़े देश रूस आदि इस दर्शन से बिखर गये है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर यह नहीं फल–फूल पाया और एक क्षेत्रीय विचारधारा बनकर रह गया है। जिसमें केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों की इच्छा के अनुरूप कार्य होता है। भविष्य में इस दर्शन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। सही व्यवस्था नहीं हो पा रही और उत्पादन तथा उपभोग का तालमेल नहीं बैठ पाता। इनका मानना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इस विचारधारा की अर्थव्यवस्था तालमेल नहीं बैठा पा रही है। इसी कारण अन्य देशों से पिछड़ जाती है। वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्व है। अतः ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिये जिसमें तकनीकी विकास समुचित रूप में हो सके।

उपरोक्त नेताओं के साक्षात्कार के अतिरिक्त हमने जनपद की साम्यवादी

दल के कुछ सदस्यों से भी साक्षात्कार लिये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण करने का उददेश्य मात्र पदों को प्राप्त करने तक को सीमित नहीं है। उपरोक्त साक्षात्कारों में दो नेताओं के द्वारा साम्यवादी दल की सदस्यता त्यागकर अन्य दलों की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है। नीचे कुछ सदस्यों के साक्षात्कार निम्नवत् हैः–

उत्तरदाता नं0 – 1

मेरा जन्म बांदा के प्रख्यात ठाकुर परिवार में सन् 1950 में हुआ। पिताजी के बांदा में रहने के कारण मेरी शिक्षा भी बांदा में हुयी। मैंने एम.ए. तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वकालत करने के उददेश्य से एल.एल.बी. की परीक्षा दी एवं तत्पश्चात् बांदा कोर्ट में ही प्रेक्टिस शुरू कर दी। मुझे प्रेक्टिस से लगभग 1500 रूपये मासिक आय की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही मेरे पास 25 बीघा कृषि योग्य जमीन है जिस पर में कृषि कार्य करवाता हूं। कृषि से मुझे 16,000 रूपये सालाना आय प्राप्त होती है। मैने विद्यार्थी जीवन से ही कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मै पार्टी में किसी के सहयोग से नहीं आया वरन् मैने स्वयं सदस्यता ग्रहण की। मेरे पार्टी में आने का उददेश्य मैने सोचा कि समता एवं समाजवाद की स्थापना का कार्य मात्र कम्यूनिस्ट पार्टी ही कर सकती है एवं इस उददेश्य की पूर्ति हेतु मैने कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की,, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य के अतिरिक्त मैं अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं जिनमें विभिन्न श्रमिक एवं कृषक संगठनों का पदाधिकारी हूं। इन संस्थाओं में रहकर मैने मजदूर एवं किसानों के हितों की सुरक्षा एवं उनको सही न्याय दिलाने के लिये संघर्ष किया है। बांदा जिले के हरिजन वर्ग का उत्थान एवं समतावादी समाज की स्थापना हेतु मैने साम्यवादी दल एवं विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की जिससे में समाज की सेवा का कार्य करने में आपने को समर्थ पाता हूं। मेरे में समाज सेवा का भाव शुरू से ही था। बांदा जनपद के उत्थान के विषय में तो मेरा विचार यह है कि यदि जमीन का सही बटवारा कर दिया

जाये, साथ ही सिंचाई के साधान उपलब्ध कराये जाये तो शायद कृषकों की हालत सुधर सकती है। साथ ही रोजगार की व्यवस्था भी की जाये जिससे शिक्षित व्यक्तियों एंव मजदूरों व श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी दूर हो सके एंव बांदा जनपद अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं अपनी राजनीतिक जिज्ञासा को शान्त करने के लिये टाइम्स आफ इण्डिया, नवभारत टाइम्स एवं दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र नियमित पढ़ता हूं। इसके अतिरिक्त मुझे राजनीतिक साहित्य रूचिकर लगता है जिनमें मेन स्ट्रीट सोवियत भूमि, इंडिया टुडे आदि पढ़ता हूं। साथ ही मुझे कम्युनिस्ट विचारधारा से मिलता जुलता साहित्य अच्छा लगता है। मैं साम्यवादी विचारधारा एवं उसके दर्शन को समझने व साम्यवादी विचारधारा में हो रहे परिवर्तनों की जानकार रखने के लिये सोवियत भूमि एवं कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं को पढ़ने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं अपनी इस सूचना में यह विचार देना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर दिया जाये तो शायद लोक कल्याणकारी जिसका कि आधार समतावादी समाज है, की स्थापना हो सकेगी।

<u>उत्तरदाता न0 – 2</u>

मेरा जन्म बांदा के पास एक छोटे से कस्बे मे हुआ। मेरी जाति ब्राह्मण है। मेरी प्रारम्भिक शिक्षा कस्बे के प्राइमरी स्कूल मे हुयी। तत्पश्चात् मैंने बांदा से हाईस्कूल एंव इण्टर की परीक्षायें उत्तीर्ण की। मैंने बी0ए0 तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वकालत पढ़ी। मेरी राजनीतिक क्षेत्र में शुरू से ही रूचि थी। साथ ही कस्बे के लागों की हालत देखकर भी मेरे मन में यह भावना जागी कि इस वर्ग के उत्थान के लिये कुछ करना चाहिये। वकालत पढ़ने के पश्चात् मैंने बांदा कोर्ट में वकालत करनी शुरू कर दी। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। कम्यूनिस्ट पार्टी में आने से पूर्व मैं प्रजा सोशलिस्ट एवं जनता पार्टी का सदस्य था। उस दल में राजनीतिक भावना से था परन्तु पूर्व दल में मेरी बातों को नहीं सुना जाता था जिससे मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। और मुझे पार्टी की नीतियां पसन्द नहीं

आती। अतः मैं 82–83 के करीब कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी में लाने का श्रेय मेरे साथियों को है जो कि पहले से कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता गहण किये हुये थे। पार्टी में मुझे सदस्यता दिलवाने में कामरेड रामदयाल, कामरेड रणवीर सिंह आदि ने सहयोग प्रदान किया। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी का घोषण पत्र अत्याधिक पसन्द आया क्योंकि इसमे समाज के दलित वर्ग के शोषण को रोकने की बात कहीं गई हैं। साथ ही समानता की बात कहीं गयी है जो कि साम्यवादियों का प्रमुख उददेश्य है। वर्तमान में सोवियत रूस 3न्की व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया है उससे प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिलेगी और समतावादी समाज की स्थापना में सहायता मिलेगी। कुछ वर्षों पूर्व चीन में छात्रों के द्वारा प्रजातंत्र की मांग को लेकर किया जाने वाला प्रदर्शन सही है क्योंकि तब तक साम्यवादी दर्शन को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मैंने साम्यवादी दल की सदस्यता इसलिये ग्रहण की क्योंकि मैं बांदा के पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहता हूं। इसके लिये मैं अपने दल के माध्यम से संघर्ष करता रहूंगा। मेरा विचार है कि अगर शिक्षा का सही प्रबंध किया जाये तो शायद पिछड़े वर्ग की हालत सुधर सकती है। साथ ही श्रमिक वर्ग की हालत को सुधारने के लिये उनकी उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक दिलवाने की भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अभी भी कहीं–कहीं पर बिहार के बंधुआ मजदूरों की भांति यहां के मजदूरों की स्थिति है। अतः इस स्थिति को समाप्त करने के लिये आवश्यक है कि साम्यवादी दल की तरफ से रचनात्मक आन्दोलन चलाये जाये। बांदा में अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ने सराहनीय योगदान दिया है। यहा पर भूमि सुधार के लिये प्रयास किये गये। पार्टी ने भूमि के सही बंटवारे के लिये आन्दोलन किये एवं साथ ही चुनावों में विजय हासिल करके समय–समय पर सरकार से अनुदान प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी योजनायें चलायी जिसका लाभ पिछड़े वर्ग को मिल सके। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि दल के सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे साम्यवादी दल के दर्शन पर आधारित अपने विचारों को प्रकट

करते हुये समाज का उत्थान करे एंव बांदा का सही विकास करने में सहायता प्रदान करें।

उत्तरदाता नं0 – 3

मेरा जन्म बांदा में हुआ। मेरे पिताजी वैश्य थे एवं जीविकोपार्जन के लिये व्यापार करते थे जिसका मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। मेरी प्रारम्भिक शिक्षा बांदा में ही सम्पन्न हुयी। मैने बांदा से ही बी0ए0 पास किया एवं पिताजी के साथ व्यापार में लग गया। मेरी पारिवारिक स्थित सुदृढ़ है। मुझे अपने व्यापार से लगभग 3000 रूपये मासिक आमदनी होती है। घर पर एकाकी परिवार का स्वरूप है। मेरे मन में व्यापार करने के साथ–साथ समाज की गतिविधियों में भाग लेने की रूचि थी। मेरी इस रूचि ने एवं मेरे साथियों के आग्रह ने मुझे प्रेरित किया और मैं कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य बन गया। मैने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता सन् 1970 में ग्रहण की। मैने कभी भी चुनाव लड़ने या विधान परिषद् का सदस्य बनने के उददेश्य से पार्टी में नहीं किया। मेरे पार्टी में आने का प्रमुख कारण मेरे मित्रों के द्वारा साम्यवादी विचारधारा से मेरे को इस तरह प्रभावित किया कि मुझे महसूस होने लगा कि शायद दल के साथ रहकर एवं सहयोग प्रदान करके बांदा के पिछड़े वर्ग की हालत सुधारी जा सकती है। कम्यूनिस्ट पार्टी में आने से पहले मैने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की क्योंकि मेरे परिवार का वातावरण इस प्रकार का नहीं था कि मेरे अन्दर शुरू से ही राजनीतिक चेतना जाग्रत हो पाती। सामाजिक स्तर के रूप में मैं हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगो के उत्थान के विषय में सोचता हूं किन्तु इसके लिये मैने अभी तक किसी भी सामाजिक संस्था की सदस्यता नहीं ग्रहण की। मैं अपने राजनीतिक स्तर को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये नियमित रूप से बांदा का स्थानीय समाचार पत्र एवं कानपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक जागरण समाचार पत्र पढ़ता हूं। साथ ही मुझे राजनीतिक पत्र पत्रिकायें पढ़ने में भी रूचि है। मैं दिनमान, माया,साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि पढ़ता हूं। साम्यवादी विचारधारा से संबंधित साहित्य में मैं सोवियत भूमि पढ़ता हूं साथ ही अगर कोई अन्य साहित्य जो कि साम्यवादी दर्शन पर आधारित हो मुझे

अच्छा लगता है। जहां तक सोवियत शासन व्यवस्था में गोर्वाच्योव के द्वारा किये गये परिवर्तन का प्रश्न है तो में यही कहूंगा कि यह सही है । इससे सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सोवियत रूस की शासन व्यवस्था चूंकि साम्यवादी दर्शन पर आधारित है। अतः सामाजि, आर्थिक न्याय के लिये इस प्रकार की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था सही प्रतीत होती है। अन्त में मैं अपने साक्षात्कार में यही कहना चाहूंगा कि साम्यवादी विचारधारा वास्तव में एक परिवर्तनकारी विचार धारा है जिसके माध्यम से बांदा की कम्युनिस्ट पार्टी यहां के श्रमिक वर्ग की हालत सुधार सकती है किन्तु इसके लिये आवश्यक होगा कि यहां की जन चेतना इतनी जाग्रत हो कि वह पार्टी को सत्ता में आने का अवसर दे।

<u>उत्तरदाता न0 – 4</u>

किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। मेरे जीवन में भी यही हुआ। मेरा जन्म बांदा जनपद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इस समय मेरी आयु 44 वर्ष है। मैंने बांदा में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की एवं एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् एलएल.बी. की पढाई की। पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात् मैने व्यवसाय के रूप में वकालत करनी शुरू कर दी। इसके साथी ही साथ मेरे पास काफी कृषि योग्य भूमि है जिससे मुझे 20,000 रू. के लगभग वार्षिक आय प्राप्त हो जाती है। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे कम्यूनिस्ट पार्टी में आने का कारण मुझे साम्यवादी साहित्य अच्छा लगता था जिसको पढ़ने के पश्चात् मैंने साम्यवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निश्चय किया और सन् 1970 में बांदा की कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पार्टी में किसी नेता के दबाव या प्रभाव से नहीं आया। मेरे पार्टी में आने का उददेश्य भारत में साम्यवादी पार्टी के द्वारा समतावादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु मैने इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान करने की उददेश्य से प्रवेश किया। साथ ही गरीब जनता के उत्थान के लिये सहयोग प्रदान करना। इसके

पहले में किसी भी सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं था। मैने शुरू से ही साम्यवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार की थी। मैं बांदा जनपद के विकास के लिये साम्यवादी पार्टी के साथ संघर्षरत रहूंगा।मेरे विचार से तो बांदा की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण जनपद में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये सरकारी अकर्मण्यता के विरूद्ध संघर्ष की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना हम समाज में समानता नहीं ला सकते हैं। मैं राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी रखने व अपने राजनैतिक स्तर को सुधारने के लिसे नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, आदि समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ता हूं। साथ ही मुझे राजनैतिक साहित्य रूचिकर लगता है। मैं माया, इंडिया टुडे, दिनमान आदि पत्रिकाये पढ़ता हूं। साम्यवादी विचारधारा में ही दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों की स्थिति को समझने के लिये मैं साम्यवादी विचारधारा का साहित्य भी पड़ता हूं। जिनमें पार्टी संघर्ष, जनसत्ता, मुक्ति संघर्ष एवं अन्य रूसी पत्रिकायें पढ़ता हूं। मैं बांदा के उत्थान के लिये यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार सही तरीके से योजनायें चलाये एवं लागू करे तो शायद बांदा के मजदूरों एवं पिछड़े वर्ग की हालत में सुधार लाया जा सकता है।

उत्तरदाता नं0 – 5

साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर एंव कामरेड रामसजीवन सिंह के सहयोग से मैने आज से लगभग 30 वर्षों पूर्व पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मेरे पार्टी में आने का मुख्य उददेश्य राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना था। मेरा जन्म बांदा में हुआ। मैने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा यहां पर प्राप्त की एवं साथ ही अपनी उच्च शिक्षा भी यही प्राप्त की। मैने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की। व्यवसाय के रूप में मैं कृषि करवाता हूं। मुझे कृषि से 25000 रूपये वार्षिक आमदनी होती है। मेरे परिवार का स्वरूप संयुक्त है। मैने साम्यवादी दल की सदस्यता 30 वर्ष पहले सन् 1973 में ग्रहण की थी।मैं पार्टी में इसलिये आया क्योंकि मैं साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था इसके पीछे कारण यह था कि मैं साम्यवादी दर्शन से अत्यधिक

प्रभावित था। मुझे पार्टी में लाने का श्रेय कामरेड रामसजीवन सिंह को है। मैं उन्हीं के सहयोग से पार्टी में आया।इससे पहले में किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं था। मैं बांदा जनपद के उत्थान के विषय में यह कहना चाहूंगा कि जिलें में जमीन के असमान वितरण की समस्या है। अतः इसको अगर दूर कर दिया जाये तो शायद ग्रामीण इलाके मे रहने वाले श्रमिकों व कृषकों को अपनी मेहनत व उपज का सही मूल्य मिल सकेगा। मैं स्वयं कृषि का कार्य करवाता हूं इसलिये मैने गांवों में स्वयं इस समस्या का विकराल रूप देखा है। मैं अपनी दिनचर्या में समाचार पत्र को महत्व देता हूं। मैं नियमित रूप से दैनिक जागरण एवं बांदा से प्रकाशित होने वाला स्थानीय समाचार पत्र दैनिक कर्मयुग प्रकाश पढ़ता हूं। मैं अन्य कोई साहित्य नहीं पढ़ता क्योंकि उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगामी चुनाव में अगर बांदा की जनता ने हमारी पार्टी को सत्ता में आने का अवसर दिया तो हम प्रयास करेंगे कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का सही ढ़ंग से विकास हो सके जिसके लिये जरूरी है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित किया जाये। साम्यवादी विचारधारा एवं विश्व में साम्यवादी व्यवस्था में हुये परिवर्तन से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूं। मुझे सोवियत रूस में किये गये परिवर्तन का मुद्‌दा पसन्द आया। मैं साम्यवादी दल के समर्थन में यही कहना चाहूंगा कि बांदा जिले में साम्यवादी पार्टी को चाहिये कि वह अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को समझे एवं ज्ञापनों के द्वारा सरकार को इन परिस्थितियों से अवगत कराती रहे।

सदस्यों की स्थिति एवं प्राप्त मतों की स्थिति की विवेचना

जनपदीप राजनीति में साम्यवादी दल के सदस्यों की स्थिति को देखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि चुनावी आकड़ों को देखा जाये। इसके लिये हमने सन् 1967 से लेकर 2002 तक के चुनावी आकड़ों का विश्लेषण किया है। सन् 1991 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। जनपद में समस्त विधानसभा क्षेत्रों में अगर दृष्टिपात करें तो साम्यवादी अपना दल ने 85 तक कर्वी बबेरू एवं नरैनी विधानसभा क्षेत्रों मे अपना कब्जा बनाये रखा अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

की प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में रही।

मानिकपुर निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1967 में इसके प्रत्याक्षी प्रहलाद सिंह 8.5 प्रतिशत मत प्राप्त कर चौथे स्थान पर रहे। सन् 1989 में साम्यवादी दल के ननकोब भाई 10.8 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। सन् 1974 में इन्द्रपाल 12.4 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहें। 1977 में इसके प्रत्याक्षी को कोई स्थान नहीं मिला। सन् 1980 में श्री प्रसाद 13.2 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहें। सन् 1989 में रामेश्वर प्रसाद दूसरे स्थान पर रहें। 93, 96 एवं 2002 में इसके प्रत्याशियों को कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ। इन सभी चुनावों में 89 तक राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में रही। 93 के बाद बी.एस.पी. प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी है।

बबेरू निर्वाचन क्षेत्र से 1967 में साम्यवादी दल के दुर्जन भाई 33.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहे। 1969 में साम्यवादी दल के दुर्जन भाई ने 40.9 प्रतिशत मत प्राप्त कर चुनाव जीता। 1974 में श्री देवकुमार यादव ने 45.7 प्रतिशत मत हासिल कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1977 में साम्यवादी दल के श्री देवकुमार यादव ने 41.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर चुनाव जीता। सन् 1980 में डी.के.यादव 24.5 प्रतिशत मत प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहे। 1985 में दुर्जन भाई 26.2 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे 89 में बिहारी लाल 18.11 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहें। 93, 96 एवं 2002 के चुनावों में इसके प्रत्याशियों को कोइ स्थान नहीं प्राप्त हो सका।

कर्वी निर्वाचन क्षेत्र में 1985 तक साम्यवादी दल अपनी स्थिति मजबूत बनाये रही। सन् 1967 के चुनावों में साम्यवादी दल के श्री रामसजीवन सिंह 30.9 प्रतिशत मत हासिल कर विजयी हुये। 1969 के चुनावों में रामसजीवन सिंह 33.0 प्रतिशत मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहें। 1974 के चुनावों में रामसजीवन सिंह 41.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर पुनः विजयी रहे। 1977 के चुनावों में रामसजीवन सिंह

50.1 प्रतिशत मत प्राप्त कर विजयी रहे। 1980 के चुनावों में रामसजीवन सिंह 25.6 प्रतिशत मत हासिलकर द्वितीय स्थान पर रहें। 1985 के चुनावों में साम्यवादी दल के श्री रामसजीवन सिंह ने 47.0 प्रतिशत मत हासिल कर पुनः विजय प्राप्त की। इस प्रकार रामसजीवन सिंह साम्यवादी दल से चार बार विधायक रहे।

1989 में पुनः साम्यवादी दल के प्रत्याक्षी रामप्रसाद सिंह 24.34 प्रतिशत मत हासिलकर विजयी रहे। 1993 में इसके प्रत्याक्षी रामप्रसाद सिंह 11.39 प्रतिशत मत हासिलकर तीसरे स्थान पर रहे। 1996 में वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा 13.17 प्रतिशत मत हासिलकर तीसरे पर रहे। 2002 में साम्यवादी दल को कोई स्थान नही मिला ।

बॉदा निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1967 से लेकर 1985 तक एक भी बार साम्यवादी दल के प्रत्याक्षी विजयी नहीं रहे। 1969 में साम्यवादी दल के प्रत्याक्षी श्री सियाराम 14.4 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। 1974 में दुर्जन भाई 25.7 प्रतिशत मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। 1977 में दुर्जन भाई 46.2 प्रतिशत मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर हे। 1980 में पुनः दुर्जन भाई 18.3 प्रतिशत मत प्राप्तकर तीसरे स्थान पर रहे। 1985 में एम हाक्यू 17.1 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। 1989 एवं 93 में इसको कोई स्थान नहीं मिल सका। 96 एवं 2002 में भी इसमे प्रत्याक्षी कोई स्थान हासिल नहीं कर सके।

जनपद के नरैनी विधानसभा क्षेत्र से साम्यवादी दल के प्रतयाशिक्षों ने चार बार विजय हासिल की। सन् 1967 में इसके प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे। 1969 में साम्यवादी दल में श्री आसद 15.4 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। सन् 1974 साम्यवादी दल के चन्द्रभान आजाद 32.3 प्रतिशत मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे। 1977 में साम्यवादी दल के श्री सुरेन्द्र वर्मा प्रथम स्थान पर रहे है। 1980 में साम्यवादी दल के श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा 21.9 प्रतिशत मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। सन् 1985 में साम्यवादी दल के प्रत्याशी सुरेन्द्रपाल वर्मा ने 40.9 प्रतिशत

मत प्राप्त कर विजय हासिल की। 1989 के चुनावों में इसी दल के सुरेन्द्रपाल वर्मा ने पुनः 25.50 प्रतिशत मत प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 93, 96 एवं 2002 के चुनावों में इसके प्रतयाशियों को कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सका।

जनपद के तिन्दवारी विधानसभा क्षेत्र जो कि सन् 1974 में अस्तित्व में आया साम्यवादी दल की स्थिति कमजोर ही दिखाई पड़ती है क्योंकि किसी भी चुनाव में इसके प्रत्याशियों को विजय नहीं हासिल हो पाई। सन् 1974 के चुनावों में साम्यवादी दल के प्रत्याशी शिवराम 17.2 प्रतिशत मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। 1977 के चुनावों में इसके प्रत्याशी पांचवे स्थान में रहे। 1980 के चुनावों में साम्यवादी दल के प्रत्याशी आर.बी.सिंह 14.0 प्रतिशत मत प्राप्त कर तीसरे स्थान रहे। 5, 89 में कोई स्थान नहीं मिला। सन् 1996 में इसके प्रत्याशी बिन्दा 0.58 प्रतिशत मत प्राप्त कर सातवें स्थान पर रहें। 2002 में पुनः कोई स्थान हासिल नहीं हो पाया।,

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपद के तीन विधानसभा क्षेत्रों में साम्यवादी दल 1989 तक अपना कब्जा बनाये हुये थी एवं इसकी प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी परन्तु 1989 के बाद के चुनावों में प्रमुख विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो गयी है। इसके प्रमुख नेता कामरेड रामसजीवन सिंह के ब.स.पा. की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सुरेन्द्रपाल वर्मा एवं चन्द्रभान आजाद ने समाजवादी पाटी की सदस्या ग्रहण कर ली है।

बॉदा जनपद की सम्पूर्ण व्यवस्था को विकास के मार्ग में लाने पर साम्यवादी दल की भूमिका

बॉदा जनपद की सम्पूर्ण व्यवस्था को विकास के मार्ग में लाने पर साम्यवादी दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईस्टन और आमंड की आयत निर्गत (input output) संकल्पना के आधार पर जनपदीप विकास को देखे तो सम्पूर्ण जनपदीय व्यवस्था में निवेश और आगत के साथ साम्यवादी दल अन्य दलों

के साथ मिलकर फीडबैक (Feedback) का कार्य करता है।

जनपदीय विकास निर्गत (Input) और आंगत (Out put) को देखने के लिये कृषि विकास, हरिजन और पिछड़े वर्गो को विकास उत्थान एवं कल्याण साथ ही औद्योगिक विकास के संबंध में दल के सदस्यों के दृष्टिकोण को प्रश्नावली के माध्यम से जानने का प्रयत्न किया ।

जनपद में शेक्षिक वातावरण आदि को देखने एवं सामाजिक संरचना, परिवारिक स्थिति आदि का अध्ययन भी किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये साम्यवादी दल मे सदस्यों का दृष्टिकोण प्रश्नावली से ज्ञात किया गया है।

हम यहां साम्यवादी दल के 20 जनपद स्तरीय सदस्यों का विकास संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहेंगे। उत्तरदाताओं के उत्तर से दो दृष्टिकोण परिचित्रित होते हैं। उच्च जाति के 77 प्रतिशत, मध्यम जाति के 33 प्रतिशत एवं निम्न जाति के 50 प्रतिशत लोग कृषि का विकास, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहते है। शैक्षिक दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा निम्न जाति के 66 प्रतिशत उत्तरदाता इस क्षेत्र की प्रगति में रूचि रखते है। 73 प्रतिशत व्यस्क आयु उत्तरदाता कृषि का विकास एवं पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहते है।

5.1 कृषि विकास, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का उत्थान एवं कल्याण

जाति	कुल व्यक्तियों की संख्या		प्रतिशत
उच्च	09	07	77
मध्यम	03	01	33
निम्न	08	04	50
शिक्षा			
उच्च	12	07	58
मध्यम	06	03	50
निम्न	03	02	66

आयु

1(20 से 35 वर्ष)	04	01	25
2(35 से 50 वर्ष)	15	11	73
3(50 से 65 वर्ष)	01	01	100

आय (मासिक)

उच्च	07	04	57
मध्यम	02	00	00
निम्न	02	01	50

57 प्रतिशत उच्च आय वर्ग विकास चाहते है एवं 50 प्रतिशत निम्न आय वर्ग ।

उपरोक्त निदर्श को देखने से स्पष्ट होता है कि उच्च जाति के लोग विकास में रूचि रखते है साथ ही निम्न शिक्षा वाला वर्ग भी विकास के प्रति जागरूक है। अतः यह कहा जा सकता है कि बांदा जनपद की जनता विकास के प्रति जागरूक है।

कृषि विकास ही नहीं अपितु औद्योगिक विकास के संदर्भ में भी निदर्श से उनके दृष्टिकोणों को जानने का प्रयत्न किया। 33 प्रतिशत उच्च जाति के, 33 प्रतिशत मध्यम जाति के एवं 50 प्रतिशत उच्च शिक्षित एवं 50 प्रतिशत मध्यम शिक्षित उत्तरदाता औद्योगिक विकास के प्रति चैतन्य है। शिक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत उच्च शिक्षित एवं 50 प्रतिशत मध्यम शिक्षित उत्तरदाता औद्योगिक विकास के प्रति चैतन्य है। इसके साथ निम्न शिक्षित उत्तरदाताओं में इस ओर कोई चैतन्यता दृष्टिगोचर नहीं होती।

5.2 बाँदा का औद्योगिक विकास

जाति	कुल व्यक्तियों की संख्या	विकास चाहने वालो की संख्या	प्रतिशत
उच्च	09	03	33
मध्यम	03	01	33
निम्न	08	04	50

शिक्षा	कुल व्यक्तियों की संख्या	विकास चाहने वालो की संख्या	प्रतिशत
उच्च	12	06	50
मध्यम	06	03	50
निम्न	03	00	00
आयु			
1 (20 से 35 वर्ष)	04	03	75
2 (35 से 50 वर्ष)	15	06	40
3 (50 से 65 वर्ष)	01	01	100
आय (मासिक)			
उच्च	07	05	71
मध्यम	02	00	00
निम्न	02	01	50

आयु के आधार पर 75 प्रतिशत युवक वर्ग, 40 प्रतिशत व्यस्क वर्ग एवं शत प्रतिशत वयोवृद्ध वर्ग के उत्तरदाता औद्योगिक विकास चाहते है। 71 प्रतिशत उच्च आय वर्ग, 50 प्रतिशत निम्न आय वर्ग औद्योगिक विकास चाहता है।

उपरोक्त निदर्श संख्या के प्रतिशत से स्पष्ट होता है कि जनपद में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उच्च आय वर्ग, उच्च शिक्षित वर्ग अधिक चैतन्य है अर्थात एक प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था स्पष्ट होती है।

प्रस्तुत सारणी के संदर्भ में इनके संचार चैतन्य को समझने का प्रयत्न किया गया है। इसमें हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि निदर्श के किस हिस्से को समाचार पत्र उपलब्ध है, किस तपके को पत्रिकाओं के प्रति रूझान है। निदर्श को देखने पर पता चलता है कि समचार पत्र पढ़ने वालों में शत प्रतिशत मध्यम वर्ग 77 प्रतिशत उच्च वर्ग एवं 50 प्रतिशत निम्न वर्ग रूचि लेता है। पत्रिकाओं के सम्बन्ध में

स्थिति विपरीत है मात्र 66 प्रतिशत मध्यम जाति के लोग 55 प्रतिशत उच्च वर्ग एवं 12 प्रतिशत निम्न वर्ग पत्रिकाओं का अध्ययन करता है।

5.3. सदस्यों का राजनैतिक स्तर (दैनिक समाचार पत्र एवं राजनीतिक पत्रिकायें पढ़ने वालों की संख्या)

जाति	कुल व्यक्तियों की संख्या	समाचार पत्र पढ़ने वाले	प्रतिशत	पत्रिकाये पढ़ने वाले	प्रतिशत
उच्च	09	07	77	05	55
मध्यम	03	03	100	02	66
निम्न	08	04	50	01	12
शिक्षा					
उच्च	12	10	83	08	66
मध्यम	06	05	83	00	00
निम्न	03	00	00	00	00
आयु					
?(20 से 35 वर्ष)	04	02	50	01	25
?(35 से 50 वर्ष)	15	11	73	06	40
?(50 से 65 वर्ष)	01	00	00	00	
आय (मासिक)					
उच्च	07	07	100	06	85
मध्यम	02	01	50	00	00
निम्न	02	01	50	00	00

शिक्षा जगत मे निम्न शिक्षा वालों के अध्ययन के लिये कोई भी पत्रिका, समाचार पत्र उपलब्ध नहीं है। उच्च व मध्यम वर्ग में समाचार-पत्र का स्थान अधिक

है। आय की दृष्टि से भी निम्न वर्ग में पढ़ने की आदत कम दिखती है। आयु की दृष्टि से मध्यम वर्ग सबसे अधिक समाचार पत्र व पत्रिकायें पड़ता है। इन चारो को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि एक प्रकार का संचारी पूंजीवाद हमारे समाज में निहित है जो कि चिन्तन को वितरित होने से रोकता है।

भौतिकवादी दौड़ में छोटे परिवार का महत्व है। छोटा परिवार जहां प्रगति का मापीय आधार बन सकता है वही विघटन के कगार पर खड़ा होता है लेकिन संयुक्त परिवार से सामूहिकता पारस्परिकता एवं वास्तविक प्रगति का आधार मजबूत होता है। इसी संदर्भ में हमने जनपद स्तरीय साम्यवादी दल के सदस्यों की पारिवारिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया । इनमें 77 प्रतिशत उच्च जाति, 33 प्रतिशत मध्यम जाति एवं 75 प्रतिशत निम्न जाति वर्ग में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत है। शिक्षा के आधार पर 75 प्रतिशत उच्च शिक्षित, 83 प्रतिशत मध्यम शिक्षित एवं 66 प्रतिशत निम्न शिक्षित वर्ग में संयुक्त परिवार है 73 प्रतिशत व्यस्क आयु वर्ग में संयुक्त परिवार है जबकि इसी आयु वर्ग में 26 प्रतिशत एकाकी परिवारों का प्रतिशत है।

5.4. संयुक्त एवं एकाकी परिवारों का प्रतिशत

	कुल व्यक्तियों की संख्या	संयुक्त परिवारों की संख्या	प्रतिशत	एकाकी परिवारों की संख्या	प्रतिशत
जाति					
उच्च	09	07	77	02	22
मध्यम	03	01	33	00	00
निम्न	08	06	75	02	25
शिक्षा					
उच्च	12	09	75	03	25
मध्यम	06	05	83	00	00
निम्न	03	02	66	01	33

आयु					
1(20 से 35 वर्ष)	04	04	100	00	00
2(35 से 50 वर्ष)	15	11	73	04	26
3(50 से 65 वर्ष)	01	01	100	00	00
आय (मासिक)					
उच्च	07	07	100	03	42
मध्यम	02	00	00	00	00
निम्न	02	00	00	00	00

उपरोक्त प्रतिशत को देखकर हम कह सकते है कि अभी भी संयुक्त परिवारों का प्रतिशत अधिक है। एकाकी परिवारों का कम जनपद में एकता की भावना नजर आती है। सामूहिक विकास की भावना है।

शिक्षा ही विकास का आधार है। वर्तमान विकसित व्यवस्था के लिये शिक्षित समाज अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर हम साम्यवादी दल के 20 जनपदस्तरीय सदस्यों की शैक्षिक स्थिति प्रस्तुत करना चाहेंगे। उच्च जाति वर्ग में शिक्षित परिवारों का प्रतिशत शत प्रतिशत है। 62 प्रतिशत निम्न जाति वर्ग शिक्षित है जबकि इस वर्ग में 37 प्रतिशत परिवार अशिक्षित है।

आयु वर्ग में युवा वर्ग शत प्रतिशत शिक्षित है। 66 प्रतिशत व्यस्क वर्ग शिक्षित है एवं वयोवृद्ध वर्ग में शिक्षित परिवारों का प्रतिशत शत प्रतिशत है। साथ ही 13 प्रतिशत परिवार व्यस्क आयु वर्ग में अशिक्षित है।

5.5 शिक्षित एवं अशिक्षित परिवारों का प्रतिशत

	कुल व्यक्तियों की संख्या	शिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
जाति					
उच्च	09	09	100	00	00
मध्यम	03	03	100	00	00
निम्न	08	05	62	03	37
आयु					
1(20 से 35 वर्ष)	04	04	100	00	00
2(35 से 50 वर्ष)	15	13	86	02	13
3(50 से 65 वर्ष)	01	01	100	00	00
आय (मासिक)					
उच्च	07	07	100	00	00
मध्यम	02	01	50	01	50
निम्न	02	01	50	01	50

आय वर्ग में उच्च आय वर्ग में शत प्रतिशत परिवार शिक्षित है। 50 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग एवं 50 प्रतिशत निम्न आय वर्ग के परिवार शिक्षित है। 50 प्रतिशत परिवार मध्यम आय में एवं 50 प्रशित परिवार निम्न आय वर्ग में अशिक्षित है।

उपरोक्त चरों के आधार पर निकाले गये प्रतिशत से स्पष्ट होता है कि उच्च आय वर्ग शिक्षा ग्रहण करने में अभी ज्यादा समर्थ है। उच्च आय वर्ग का जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अधिपत्य दिखायी देता है जो कि शावद समाजवादी व्यवस्था के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। राजनीतिक

दलों का उददेश्य सरकारी तंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने के साथ-साथ जनता के विकास के प्रति भी जागरूक रहता है। हमने साम्यवादी दल के जनपद स्तरीय 20 सदस्यों से उनके साम्यवादी दल में आने का उददेश्य पूछा। 44 प्रतिशत उच्च जाति वर्ग, 66 प्रतिशत मध्यम जाति वर्ग, 50 प्रतिशत निम्न जाति वर्ग के सदस्यों ने राजनीतिक उददेश्य से दल की सदस्यता ग्रहण की।

शिक्षा के आधार पर 42 प्रतिशत उच्च शिक्षित, 33 प्रतिशत मध्यम शिक्षित उत्तरदाताओं ने राजनीतिक उददेश्य से दल में प्रवेश किया। सामाजिक दृष्टिकोण से मात्र एक सदस्य ने दल की सदस्यता ग्रहण की ।

5.6 साम्यवादी दल मे आने का उददेश्य (राजनीतिक, सामाजिक उददेश्य)

	कुल व्यक्तियों की संख्या	राजनैतिक दृष्टिकोण	प्रतिशत	सामाजिक दृष्टिकोण	प्रतिशत
जाति					
उच्च	09	04	44	01	11
मध्यम	03	02	66	00	00
निम्न	08	04	50	00	00
शिक्षा					
उच्च	12	05	41	00	00
मध्यम	06	02	33	01	16
निम्न	03	00	00	00	00
आयु					
1(25 से 35)	04	02	50	00	00
2(35 से 50)	15	05	33	01	6.1
3 (50 से 65)	01	01	100	00	00

आय (मासिक)

उच्च	07	04	57	00	00
मध्यम	02	00	00	00	00
निम्न	02	02	100	00	00

आयु वर्ग में 50 प्रतिशत युवा वर्ग, 33 प्रतिशत व्यस्क वर्ग एवं वयोवृद्ध वर्ग में शत प्रतिशत सदस्यों ने राजनीतिक उददेश्य से सदस्यता ग्रहण की ।

आय वर्ग में निम्न आय वर्ग शत प्रतिशत राजनीतिक उददेश्य से दल की सदस्यता ग्रहण किय हुये है।

साम्यवादी दल के सदस्यों से दल में आने के सम्बन्ध में दो तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत किये। 44 प्रतिशत उच्च जाति वर्ग, 66 प्रतिशत पिछड़े व हरिजन वर्ग के उत्थान हेतु दल की सदस्यता ग्रहण की।

शिक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत उच्च शिक्षित वर्ग, 33 प्रतिशत मध्यम शिक्षित वर्ग पिछड़े एवं हरिजन वर्ग का उत्थान चाहता है निम्न शिक्षित वर्ग का इस क्षेत्र में कोई रूझान नहीं है।

आयु के आधार पर 75 प्रतिशत युवा वर्ग एवं 33 प्रतिशत व्यस्क वर्ग पिछड़े व हरिजन वर्ग का उत्थान चाहता है।

5.7 पिछड़े व हरिजन वर्ग के उत्थान हेतु एवं अन्य कारण

जाति	कुल व्यक्तियों की संख्या	हरिजन व पिछड़े वर्ग के उत्थाने हेतु	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत
उच्च	09	04	44	01	11
मध्यम	03	02	66	01	33
निम्न	08	02	25	02	25

शिक्षा					
उच्च	12	06	50	00	00
मध्यम06		02	33	04	66
निम्न	03	00	00	00	00
आयु					
1(25से35)04		03	75	00	00
2(35से50)15		05	33	04	26
3(50से65)		01	00	00	00
आय					
उच्च	07	04	57	02	28.1
मध्यम	02	01	50	00	00
निम्न	02	02	100	00	00

57 प्रतिशत उच्च आय वर्ग, 50 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग एवं शत प्रतिशत निम्न आय वर्ग इस ओर रूचि रखता है। उपरोक्त प्रतिशत में देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद की जनता पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रति चैतन्य है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य ने अन्य कारणों से भी दल की सदस्यता ग्रहण की।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि साम्यवादी दल जनपद में पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विकास चाहती है। औद्योगिक विकास के प्रति भी चैतन्य है।शैक्षिक विकास के लिये भी प्रयात्नशील है। एवं राजनीतिक जागरूकता बनाये रखने के लिये दल के कार्यकर्त्ता राजनीतिक साहित्य को पढ़ते है।

साम्यवादी दल ने भूमिहीन लोगों को संगठित कर उनको भूमि दिलाने हेतु आन्दोलन चलाया विशेष तौर पर कामरेड दुर्जन भाई ने जिले के हरिजनों को संगठित कर उन्हें एक शकि के रूप में उभरा। हरिजनों के संगठित होने से इनके उपर

जुल्म अत्याचार कम हो गया और वह अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने लगें। साम्यवादी दल में हरिजन यादव, लोद, कुर्मी, जातियों को मिलाकर जिले में एक बड़ा सगठन तैयार किया जिसमें कुर्मियों के नेता रामसजीवन सिंह थे। हरिजनों के नेता दुर्घन भाई थे। यादवों के नेता देवकुमार यादव, लोद के नेता कामरेड चन्द्रभान आजाद, सुरेन्द्रपाल वर्मा थे। इन सभी के बने रहने से साम्यवादी दल जिले के आधे विधानसभा क्षेत्रों पर विजयी होती रही और अपना राजनैतिक दबाब बनाये हुये था।

साम्यवादी दल ने प्रमुख रूप से सन् 1966 में भूमि सुधार आन्दोलन चलाया जिसमें काफी लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हुये और जो आन्दोलन बॉदा के इतिहास में बॉदा गोलीकाण्ड के नाम से विख्यात हुआ। जिसके विरोध में महीनों वकीलों, व्यापारियों आदि ने जिले में हड़ताल की। सन् 1972 में कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकताओं ने वृहत स्तर पर जिले में खाद्यान्न समस्या को लेकर आन्दोलन चलाया। सन् 1974 में पुलिस जुल्म तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मेहरवान सिंह के विरूद्ध एक माह तक जनसभायें, घेराव, प्रद्रर्शन आदि का आन्दोलन चलता रहा। इसके अलावा समय–समय पर कम्युनिस्ट पार्टी जन समस्याओं को लेकर आन्दोलन करती रही।

षष्टम अध्याय

षष्टम अध्याय

बाँदा की राजनीतिक दलीय व्यवस्था एवं साम्यवादी दल की भूमिका

6.1 वर्तमान में राजनीतिक दलों की विघनकारी प्रवृत्तियों पर चर्चा

6.2 विघटन के कारण

6.3 दल-बदल विधेयक पर चर्चा

6.4 बदलती दलीय प्रवृत्तियों के परिवेश में साम्यवादी दल में विघटन के कारण

लोकतंत्रिक देशों में दल व्यवस्था का स्वरूप संबंधित देशो के राजनीतिक इतिहास सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की देन होता है। भारतीय दल व्यवस्था की भी अपनी विशेषतायें है। हमारा संविधान नागरिकों को समुदाय बनाने विचार अभिव्यक्ति तथा शासन की क्रिया में भाग लेने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है इसलिये भारतीय दल प्रणाली को खुला राजनीतिक तंत्र कहा गया है। भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। ण्न्यहाँ अनेक राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर के दलों का अस्तित्व पाया जाता है। जो दल चुनावी संघर्ष में विजय प्राप्त करता है वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार शासन का संचालन करता है। विरोधी दल सरकार पर अंकुश का कार्य करीता है, इस प्रकार संसदीय लोकतन्त्र का भविष्य स्वस्थ्य दल पद्धति पर निर्भर करता है। लेकिन आज क्या कारण है भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप दिन प्रतिदिन विकृत होता जा रहा है। आज भारतीय दलीय व्यवस्था जिस जगत में प्रवेश कर रही है उसकी परिस्थितियों और चिंतन की अवधारणायें अलग किस्म की हैं और जिनकी व्यास्थायें पश्चिमी मापदण्डों से करने से समस्याओं के सही निदान कठिन हो जाते है।

बहुदलीय पद्धति वाले भारत में क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिकता दलों के आधार बने हैं। प्रभावशाली विरोधी दलों का अभाव, व्यक्तिगत हितों के लिये दल बदल की प्रवृति, निर्दलीय सदस्यों की बढती संख्या, सिद्धान्त हीन समझौते, आन्तरिक गुटबन्दी, परिवार वाद, अवसर वादिता, कार्यक्रमों की अस्पष्टता, नेतृत्व का महत्व छोटे दलों का दबाव गुट के रूप में कार्य करना भारतीय दल पद्धति की विशेषतायें है। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप पश्चिम के लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों से भिन्न है। इनके आधार विविधतापूर्ण है और यह लोकतांत्रिक आदर्शो के प्रतिकूल अनेक दोषों से गहराई के साथ जुड गये है। जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद, धर्म से प्रभावित व्यक्तियों के नाम संगठित, संगठन में तदर्थवाद के पोषक नीतियों एवं कार्यक्रमों की अस्पष्टता, जनता को आकर्षित करने के लिये विवेक और तर्क के

भारतीय दल व्यवस्था

(INDIAN PARTY SYSTEM)

स्थान पर भावनाओं को भडकाने की कार्यप्रणाली, असामाजिक तत्वों से निकटता दल संचालन के लिये काले धन का सहायोग लेना, दल के अन्दर केन्द्रीकरण की प्रवृति और करिश्माई नेतृत्व के द्वारा सफलता की आकांक्षा आदि दोषों से पीड़ित है। दलों के संविधान औपचारिक है और उन्हें पूर्णतः भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता अव्यवस्थित है। दल के संविधान में आस्था के अभाव में सदस्य सांमजस्य और सहयोग के स्थान पर दल त्याग के छोटे से रास्ते को वरीयता प्रदान करते है। इस प्रकार यदि हम भारतीय दलीय व्यवस्था के रूपरूप का अवलोकर करें तो हमें ज्ञात होता है कि अब तक एक दल की प्रधानता के स्थान पर विभिन्न दलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है।

जहाँ राजनैतिक दलों के द्वारा अच्छे कार्य होते है वहाॅ उनसे बढ़ते हुये सामाजिक एवं राजनेतिक प्रदूषण काफी खतरे पैदा कर रहे हैं। लोकमत की दृष्टि से राजनीतिक दलों का एक दोष यह है कि कोई भी दल निष्पक्ष विचार जनता के सामने नहीं रखता। अपनी प्रशंसा और अन्य दलों की निन्दा यही मुख्य कार्यक्रम हो जाता हैं। किसी भी दलगत राजनीति एवं दल के सदस्यों के संबंध मं बिनोवा जी का कहना है कि उनके विचार संकुचित होते है। इन वादों के कारण दलबन्दी नहीं, दिलबंदी फैल रही है जो दलबन्दी से कही ज्यादा खराब है। यह दलीय राजनीति बिल्कुल निकम्मी चीज है। पहले जो ईर्ष्या की बात थोड़ी बहुत राजा-राजाओं के बीच थी, उसको इस दलीय राजनीति ने देशव्यापी बना दिया।[1]

पिछ्ले दशक में कुछ नई प्रवृतियाॅ तेजी से उभरकर सामने आयी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, हिंसा, अस्थिरता कुल मिलाकर राजनीति घृणित खेल बनकर रह गया है। आम आदमी के मन में राजनीति के प्रति वितृष्णा का भाव है। हमारा लोकतंत्र चालीस फीसदी मतदाताओं पर टिका है। मतदाताओं का बहुमत वोट डाले और यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहे यह लोकतंत्र की वुनियादी पहचान है और

1- बिनोवा, लोकनीति, राजघाट, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, प्रकाशन पृ0-471

हम यह पहचान लगातार खोते जा रहे है। सभी राजनीतिक दल यह जताते है। कि व देश व समाज के लिये चुन चुन कर प्रत्याशी चयन कर रहे हैं किन्तु चुनाव के दौरान हत्या,मारपीट, बूथ लूटने, मतपर्ची फाड़ने जैसी घटना बताती है कि अपराधी चरित्र वाले प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है। दलों के समान घोषणा पत्र ने मतदाता को भ्रमित किया है। गठबंधन भारतीय राजनीति की जरूरत बन गये हैं।

दलबंदी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। यह इन दिनों भारत में आकंठ है। आजकल सभी दलों को चुनावों पर लाखों रूपया खर्च करना पड़ता है। चुनावों के अतिरिक्त भी बहुत सारे खर्चो को करना पड़ता है। दल के सदस्यों से जो चंदा मिलता है वह उन सबों के लिये अपर्याप्त होता है। अतः सभी दलों को उघोगपतियों, पूंजीपतियों, चोर बाजारों आदि से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है। साथ ही बड़े बड़े तस्कर व्यापारी, चोरी से शराब बनाने वाले, जुआखानों के संचालक, आदि कुछ अन्य असामाजिक तत्व भी स्वयं आगे आकर दलों को बड़ी बड़ी रकमें देते हैं ताकि इस एहसान के बदले में उनको सरकारी संरक्षण मिल सके तथा वे निर्वाध रूप से फल फूल सके। साम्यवादी दलों के बारे में तो आमतौर पर कहा जाता है कि उनको साम्यवादी देशों से आर्थिक सहायता मिलती है। यह सारा भ्रष्टाचार तथा अनैतिक व्यापार केवल इसलिये होता है कि राजनीतिक दलों को अपना अस्तित्व बनाये रखना है एवं दूसरो दलों की प्रतियोगिता में डटकर खड़े रहना है।[1]

विघटन के कारण -

भारत की लोतांत्रिक व्यवस्था में दलों की अत्यन्त विशिष्ट भूमिका है यघपि भारतीय संविधान में राजनैतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है जिसके पीछे भारत की विभिन्नतायें उल्लेखनीय रही है। वर्तमान में भारतीय राजनीति जिस संक्रमण से गुजर रही है इस स्थिति में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना कठिन है। राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण विद्यमान है।

---

1. नृवेन्द्र प्रसाद मोदी, 'लोकतंत्र का विकल्प- लोकनीति' - मानक पब्लिकेशन्स प्रा. लि. - पृ0-67

भारतीय राजनैतिक दलों में ध्रुवीकरण के स्थान पर विखण्डन की प्रक्रिया की प्रवृति है। राजनैतिक दलों की इस स्थिति के साथ ही उनमें उभरती हुयी कुछ अन्य प्रवृतियों ने संसदीय लोकतन्त्र के समय अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी है। दलों का बाहुल्य हमारी राजनीति में स्वच्छंदता, स्वातंत्रय और व्यक्तिगत अहं का परिचायक है। इससे हमारी व्यवस्था विश्रृंखल और दिगभ्रमित हो रही है। विचारों की प्रतियोगिता अस्पष्ट,धूमिल एवं उद्देश्यहीन लग रही है। दलों की सिद्धान्तहीनता, उनकी कार्यशैली, बेमेल गठबन्धन की प्रवृति ने दलों में बिखराव और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व उत्पन्न कर दिया है। राजनेताओं की अवसरवादिता और दल बिखराव की प्रवृति ने प्रमुख राष्ट्रीय दलों में आन्तरिक गुटबन्दी को बढ़ावा दिया है। जिससे दलों में लोकतंत्र और अनुशासन का पूर्णतया अभाव दिखायी देता है।

राजनैतिक दलों की सत्ता में बने रहने की लालसा ने दलों की कथनी और करनी में अन्तर ला दिया है। उन्होंने ऐसे साधनों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनका नैतिक पतन ही नहीं हुआ बल्कि राजनीति में अपराधीकरण को बल मिला है। राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने स्वार्थ और निर्वाचनों में सफलता को ध्यान में रखकर विचारों की जगह धर्म, जाति सम्प्रदाय को राजनीतिक दलों की आधार पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है। राजनैतिक दलों की इन प्रवृतियों ने भारतीय राजनीति के वातावरण को दूषित कर दिया है। चुनाव के समय राजनैतिक दल अशिष्ट भाषा का खुलकर प्रयोग करने लगे है।

भारतीय राजनीतिक दलों के विघटन का कारण इनकी राजनीति सी-3 के फार्मूले पर चल रही है। c- cast, c- crimenal, c- capital । अर्थात तीन सी से तात्पर्य भारतीय राजनीति में खरा उतरने के लिये उसे तीन चीजों से युक्त होना पड़ेगा।[1] और वह है- जाति, अपराधी एवं पैसा। साधरणतया जाति, अपराधी वं पूंजी का

---

1. नपेन्द्र प्रसाद मोदी- 'लोतन्त्र का विकल्प- लोकनीति- मानक पब्लिकेशन्स लि. पृ.-68

सम्बल लेकर ही वातानुकूलित कमरों में हमारे प्रतिनिधि शोभायमान हो रहे है।

उपरोक्त दोषों के कारण भारतीय राजनैतिक दलों में बड़ी तेजी से विघटन हो रहा है। प्रत्येक सदस्य पैसे, पद लोलुपता के चक्कर में एक नई पार्टी बना लेता है या किसी अन्य दल में सदस्यता ले लेता है।

राजनैतिक दलों के विघटन के उपरोक्त कारणों मे संदर्भ में जव हम बॉदा मं साम्यवादी दल के गठन पर नजर डालते है तो हमें इसमें भी विघटन के लक्षण दिखाई देते है। दल बदल की प्रवृति के चलते साम्यवादी दल के अनेक नेताओं ने दल की सदस्यता छोड़कर अन्य दलों की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साम्यवादी दल के सदस्य अपने मूल सिद्धान्तों से हट गये है। दल के विभिन्न नेताओं ने जाति समीकरण पर आधारित बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

वुहजन समाज पार्टी जो कि जाति समीकरण पर आधारित पार्टी हैं, दलित व पिछ्ड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व करती है। साम्यवादी दल के नेता कामरेड रामसजीवन सिंह ने 1989 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 1993 के चुनावों में कामरेड सुरेन्द्र पाल वर्मा ने दल की सदस्याता छोड़कर समाजवादी दल के टिकट पर नरैनी विधान सभा से चुनाव लडा एवं निर्वाचित हुये। 2002 में पुनः सुरेन्द्रपाल वर्मा ने बहुजन समाज पाट्री की सदस्यता ग्रहण कर ली एवं इसके टिकट पर चुनाव लड़ा। कामरेड देवकुमार यादव ने तो पूर्व में ही दल की सदस्यता त्यागकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

उपरोक्त दल बदल की घटनाओं को अगर चुनाव परिणामों के साथ रखकर देखे तो ऐसा लगता है कि चुनावों में साम्यवादी दल को सही प्रतिनिधित्व ना मिल पाने की वजह से इसके अधिकांश नेताओं ने पद की लालसा में अन्य दलों की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्योंकि वर्तमान मं बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर स्थानों में विजयी हो रही है। एवं अधिकांश मतदाता अपना समर्थन बी.एस.पी. को दे रहा है।

राजनैतिक दलों की विघटनकारी प्रवृतियों में सबसे प्रमुख प्रवृति दल बदल की है। भारत में आज दल बदल राजनीति बहुर्चीचत विषय है। इसने सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेश और पर्यावरण को इतना गन्दा बना दिया है कि बुद्धि जीवियों को

ही नहीं साधारण जनता को भी भारत में प्रजातन्त्र के भविष्य के प्रति शंका होने लगी है। दल-बदल हमारे लोकतन्त्र को वर्षो से खोखला कर रहा है।

दल बदल की परिभाषा के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। अंग्रेजी में इसको अभिव्यक्त करने के लिये 'क्रासिंग आफ फ्लोर्स', 'कार्पेट क्रासिंग', 'पालिटिक्स आफ औवरर्चुनिज्म' पालिटिक्स आफ डिफेक्शन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परन्तु इन सबमें 'पालिटिक्स आफ डिफेक्शन' अर्थात 'दल वदल की राजनीति' शब्द का प्रयोग उपयुक्त प्रतीक होता है। यदि कोई विधायक या संसद सदस्य अपने दल का परित्याग कर निम्न लिखित में से कोई कार्य करे तो 'दल बदल' शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। डॉ. सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक 'दल वदल और राज्यों की राजनीति' में दल बदल की परिभाषा करते हुये लिखा है कि- "किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना तथा दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरूद्ध मतदान करना दल-बदल कहलाता है।[1]

दल प्रणाली और दल बदल की घटनाओं का घनिष्ट संवंध रहा है। दल बदल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि प्राचीनतम दलों का अस्तित्व। ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि लोकतांत्रिक देशों में दल बदल की घटनाये लगातार होती रही है। फरवरी 1846 में ब्रिटेन के अनुदारवादी दल में फूट पड़ गई और 231 सदस्यों ने प्रधानमंत्री पील के विरोध में मतदान किया। दल बदल के कारण आस्ट्रेलिया में सन् 1916, 1929, 1931 तथा 1941 मं संघीय सरकारों का पतन हुआ।

भारत में भी दल बदल की घटनायें कोई नयी वात नहीं है जो चतुर्थ आम चुनावों के बाद ही सामने आई। चौथे आम चुनावों के पहले तक के दशक में दल बदल

---

1. डॉ. सुभाष कश्यम- "दल बदल और राज्यों की राजनीति" पृ0- 121

के लगभग 542 मामले प्रकाश में आये जबकि चौथे आम चुनावों के बाद पहले एक वर्ष में लगभग 438 विधायकों ने अपनी राजीनीतिक स्थितियों में परिवर्तन किया। चौथे आम चुनावों तथा फरवरी 1967 के चुनावों के बीच सम्पूर्ण देश की विधान सभाओं के लगभग 3,500 सदस्यों में से करीब 550 सदस्यों ने दल बदल किये। बहुत से विधायकों ने तो एक से अधिक बार अपने चोले बदले। देश का कोई भी दल इस गन्दी राजनीति से अप्रभावित न रहा । राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और पिश्चम बंगाल ने दल बदल की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई। आज दल बदल की राजनीति इतना प्रभाव जमा चुकी है कि देश की राजीतिक नौका भॅवर में फंसकर अनिश्चय की स्थिति में हैं।

भारत में दल बदल की राजनीति का विश्लेषण करते हुये कई तथ्य उभरते हैं :-

1. केन्द्र की अपेक्षा राज्यों में दल बदल की घटनायें अधिक हुई है।
2. 1947 से 1967 तक की अवधि में दल बदल कांग्रेस के पक्ष में था।
3. चतुर्थ आम चुनाव के बाद दल बदल विशाल पैमाने पर हुआ।
4. जहाँ कही संयुक्त सरकारें संविदा या मोर्चा सरकारें वनी वहाँ उनके निर्माण और अन्त का मुख्य कारण दल बदल ही रहा।
5. सत्ता व पद की महत्वाकांक्षा में सभी दल वदल की निंदा या भर्त्सना करते है पर इससे लाभान्वित होने में कोई हिचक नहीं करता।
6. कानून द्वारा दल बदल पर रोक का समर्थन सभी करते हैं पर इसके अनुकूल आचरण करने की क्षमता या आस्था कोई नहीं दिखाता ।
7 विदेशों में दल बदल सैद्धान्तिक आधार पर हुआ है जवकि भारत में दल बदल सैद्धान्तिक आधार पर न होकर स्वार्थ सिद्धि हेतु ही हुआ है।

<u>दल-बदल के कारण</u>- प्रो0 रजनी कोठरी के अनुसार दल-बदल में दो बातो का

मुख्य हाथ रहा है। चुनावों के पहले टिकट का बटवारा और चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल का गठन। वस्तुतः दल-बदल की इस देशव्यापी घटनाओं के मुख्य कारण निम्नलिखित है :-

1. प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव ।
2. प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति।
3. गैर कांग्रेसी दलों की स्थिति में सुधार ।
4. कांग्रेस की दल-बदल नीति में परिवर्तन
5. पदलोलुपता
6. व्यक्तिगत संघर्ष
7. वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा
8. धन का प्रलोभन
9. जनता की उदासीनता
10. विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव

चतुर्थ आम चुनावों के बाद दल-वदल चिन्ता का विषय वन गया और दल बदल को रोकने के लिये गंभीरता से विचार मन्थन प्रारम्भ हुआ। समय-समय पर इसे रोकने के लिये प्रयास किये जाते रहे । भारतीय संसद में दल बदल रोकने के लिये 52 वां संविधान संशोधन एक्ट (1985) सर्वसम्मति से पारित किया।

<u>दल-बदल विधेयक (1985)</u>

<u>दल-बदल विधेयक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैः-</u>

1. निम्न परिस्थितियों में संसद/विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगीः-

   क. यदि वह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दें।

   ख. यदि वह अपने दल य उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में

मन्त्रिपद पाने वाले दल - बदलुओं के विस्मयकारी आकड़े

क्रम संख्या	राज्य का नाम	दल में दल बदलुओं की संख्या	मन्त्रियों की कुल संख्या	दल बदलू मंत्री संख्या और प्रतिशत	मुख्यमंत्री दल-बदलू है या नहीं
1.	राजस्थान सुखाडिया मन्त्रिमण्डल	18	35	5 (14%)	नहीं
2.	हरियाणा राव वीरेन्द्र सिंह का मोर्चा मन्त्रिमण्डल	29	23	22 (95%)	हाँ
3.	पंजाब क. गुरुनानक का सं मो. मंत्रिमण्डल	7	17	6 (35%)	नहीं
	ख. कांग्रेस समर्थित मंत्रिमण्डल	18	16	16 (100%)	हाँ

1. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, प्र.- 46 (चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात् के पहले के वर्ष की दल-बदल की राजनीति में कम से कम 115 द बदलुओं को गैर कांग्रेसी सरकारों, समर्थित सरकारों और कांग्रेसी सरकारों में मंत्रिपद दिये गये)

अनुपस्थित रहे, परन्तु यदि 15 दिन के अन्दर दल से इस उल्लंघन के लिये क्षमा कर दे तो उसकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग. यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये।

घ. यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छः माह बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये।

2. किसी राजनीतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी यदि मूल दल के 1/3 सांसद/विधायक दल छोड़ दें।
3. इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी दल वदल नहीं माना जायेगा। यदि किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य उसकी स्वीकृति दें।
4. दल-बदल पर उठे किसी भी प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा और किसी भी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा।
5. सदर के अध्यक्ष को इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार होगा।

उच्च न्यायालय द्वार दल-बदल विरोधी कानून वैध

दल-बदल कानून की वैधता को पंजाव के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और 25 अन्य विधायकों ने चुनौती दी थी। ये सभी विधायक अकाली दल (लोंगोवाल) से पृथक हो गये थे।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 मई, 1987 को एक महत्वपूर्ण फैसले में दल-बदल रोकने के लिये वनाये गये संविधान के 52 वें संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया। परन्तु न्यायालय ने इसकी धारा 7 को गैर कानूनी घोषित किया। धारा 7 में वह प्रावधान है कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

इस फैसले के कुछ घण्टे बाद ही पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष सुरजीत सिंह मिन्हास ने प्रकाश सिंह बादल सहित 11 विधायकों को अयोग्य घोषित कर उनकी सीटें

को रिक्त घोषित कर दिया। दल बदल रोकने हेतु 52 वां संविधान संशोधन जैसा कानून बन जाने के बाद भी नागालैण्ड (1988, मिजोरम (1988) कर्नाटक (1989), गोवा (1990) नागालैण्ड (1990) मेघालय (1991) मणिपुर (1992) नागालैण्ड (1992) और मणिपुर (2001)) में दल बदल हुआ और इस कानून के प्रावधानों को लागू ना कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना बेहतर समझा गया। वर्ष 1998-99 में गोवा दल बदल और बदलती सरकारों के कारण सुर्खियों में रहा है। आयाराम गयाराम के कारण 17 महीनों में गोवा में चार मुख्यमंत्री बदल गये और फरवरी-जून 1999 में चार महीने तक राज्य राष्ट्रपति शासन झेलने को मजबूर हुआ।[1] 28 जुलाई, 1989 को राज्यसभा के सभापति डॉ.शंकरदयाल शर्मा ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की राज्यसभा की सदस्यता दल बदल अधिनियम के समाप्त करने की घोषणा की। दल बदल अधिनियम लागू होने के बाद उसके अधीन किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने का यह पहला मामला था। श्री सईद जम्मू कश्मीर राज्य से राज्यसभा सदस्य थे। वे कांग्रेस (ई) के टिकट पर चुने गये थे और बाद में उन्होंने जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

नवम्बर 1990 में केन्द्र में वी.पी.सिंह सरकार के पतन के पश्चात् जिस तरह चन्द्रशेखर के नेतृत्व में 54 सांसदों के एक गुट ने दल बदल करते हुये समाजवादी जनता पार्टी के रूप में विपक्षी कांग्रेस के समर्थन में केन्द्र में दल बदल के जरिये नई सरकार बनाई वह निश्चय ही भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास की एक अपूर्व एवं निराली घटना थी। बाद में लोकसभा अध्यक्ष रविराय ने उनके मंत्रिमण्डल के 5 सदस्यों को 52 वें संशोधन के तहत दल बदल का दोषी पाया और संसद की सदस्यता समाप्त कर दी।

इस संबंध में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव था कि दल बदल रोकने के लिये संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन करना पर्याप्त होगा।

---

1. इण्डिया टुडे, 8 दिसम्बर 1999, पृ0 26

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1991 में दल-बदल विरोधी कानून के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह फैसला मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, गुजरात और मध्यप्रदेश के अयोग्य करार दिये गये अनेक विधायकों की याचिकाओं के सिलसिले में दिया गया।

न्यायालय ने दल-बदल विरोधी कानून को हालांकि वैध ठहराया लेकिन 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों को स्पष्ट किया। अनुच्छेद 7 के अनुसार अध्यक्षों के फैसलों पर न्यायालयें को पुनर्विचार का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने दल-बदल विरोध अधिनियम के इस प्रावधान को अवैध करार दिया। न्यायालय के अनुसार किसी सदस्य को अयोग्य करार देते समय अध्यक्ष या सभापति न्यायाधिकरण के रूप में काम करते है। अतः ट्रिब्यूनल के फैसलों की तरह उनके फैसलों पर भी आम न्यायालयों की परिधि में समीक्षा की जा सकती है।

दल-बदल कानून में संशोधन के लिये आम सहमति

विगत वर्षो मे दल-बदल विरोधी कानून के इस्तेमाल और अर्थ को लेकर न्यायपालिका और विधायिका (विशेषकर मेघालय और मणिपुर) के वीच संघर्ष की घटनायें सामने आयी। इन स्थितियों पर व्यापक जनप्रतिक्रियायें हुई और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थितियों से बचने की वकालत की गई। इस दिशा में लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने फरवरी 1992 में एक सर्वदलीय वैठक बुलाई। बैठक में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई की कानून में उपयुक्त संशोधन किये जायें ताकि न्यापालिका और विधायिका के वीच टकराव की स्थिति न आये। यह निर्णय लिया गया कि जल्दी ही एक पर्चा तैयार किया जाये जिसे अनौपचारिक विचार विमर्श के बाद दल बदल विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन का आधार बनाया जा सके।

<u>बदलती दलीय प्रवृत्तियों के परिवेश में जनपदीय साम्यवादी दल में विघटन के कारण</u>

राजनैतिक दलों के विघटन के उपरांत कारणों के परिपेक्ष्य में जब हम बाँदा जनपद के साम्यवादी दल में नजर डालते है तो यहां की राजनीतिक व्यवस्था में भी विघटन दिखाई देता है। साम्यवादी दल भी इस विघटन से अछूता नहीं है। कम्यूनिस्ट पार्टी व उसके नेता, कार्यकर्ता वास्तव में कम्यूनिस्ट दर्शन के अनुसार काम नहीं करते बल्कि कम्यूनिस्ट पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हटकर एक जाति समीकरण पर आधारित पार्टी है और पार्टी अपने सिद्धान्त के आधार पर व जाति समीकरण के आधार पर चुनाव में विजयी होती रही है।

साम्यवादी दल में भी विघटन के लक्षण दिखाई देते है। सत्ता एवं पद की लालसा की प्रवृत्ति के चलते जनपदीय साम्यवादी दल के नेताओं ने भी दल–बदल की प्रवृत्ति को अपना लिया है। कामरेड रामसंजीवन सिंह का बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना वरन तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि बांदा का हरिजन मतदाता अब साम्यवादी दल का साथ ना देकर बी.एस.पी. का साथ दे रहा है। कामरेड सुरेन्दपाल वर्मा ने भी दल की सदस्यता छोड़कर समाजवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली एवं वर्तमान में बी.एस.पी. की सदस्यता ग्रहण किये हुये है।

पार्टी में विघटन का एक अन्य कारण सही नेतृत्व का अभाव भी दिखता है। क्योंकि दुर्जन भाई को निधन होने के वाद से ही पार्टी में सही नेतृत्व का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा था। देवकुमार यादव, सुरेन्द्रपाल वर्मा, रामसंजीवन सिंह जी के साम्यवादी दल से अलग होने के बाद दल अलग थलग पड़ गया है। जनपदीय साम्यवादी दल को सही सैद्धान्तिक स्वरूप प्रदान करने वाले करिश्माई नेतृत्व का अभाव हो गया है। साथ ही जनता के सामने स्पष्ट घोषणाओं का अभाव भी कारण है। क्योंकि जनपद अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है एवं सामाजिक पिछड़ापन भी व्याप्त है जिसके कारण जनपद का अधिकांश मतदाता लगभग पिछले दो चुनावों से बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में चुन रहा है। शायद मतदाता को अपने

विकास की उम्मीद इस दल के घोषणा पत्र से ही लगती है। प्रमुख राजनीतिक दलों में आन्तरिक छूट के बाद जनता के सामने वे सही प्रत्याशी नहीं भेज पा रहे हैं। साथ ही दल में अनुशासनहीनता की प्रवृति के कारण भी विघटन हो रहा है। वर्तमान में सभी दलों में अपने दल के प्रति प्रतिबद्धता की कमी पाई जा रही है। आज दलीय सदस्य दल के उत्थान के बजाय स्व उत्थान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिये वे जिस दल को बहुमत मिलने की उम्मीद होती है उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, या फिर सरकार बनने और किसी पद के मिलने की आशा में गठबंधन सरकार के साथ दल बदल कर लेते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से कहा जा सकता है कि जनपद में साम्यवादी दल में विघटन की पद्धतियाँ तेजी से उभर रही हैं। कारण चाहे कुछ भी हो। ये स्थितियाँ ही शायद दल की स्थिति को निरन्तर गिराती जा रही हैं क्योंकि आज दल के कार्यकर्ता साम्यवादी सिद्धान्तों से हटकर स्व उत्थान एवं स्व कल्याण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी कारण वे दल-बदल कर रहे हैं एवं दल में निरन्तर विघटन, होता जा रहा है। अब लाल झण्डे का स्थान शायद कोई और झण्डा ले रहा है। एक स्थिति तक राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद के पतन के कारण भी जनपद दल में विघटन हो रहा है।

सप्तम अध्याय

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष

7.1 बदलती हुयी दलीय व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका

7.2 साम्यवादी पार्टी में विघटन के कारण

7.3 भावी शोध की प्राथमिकतायें

भारत जैसा देश जहां लगभग 70 प्रतिशत जनता गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करती है साम्यवादी विचारधारा के विकास के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थल माना जा सकता है, परन्तु ऐसा विकास हुआ नहीं है। भारत में पश्चिमी बंगाल तथा केरल जैसे दो छोंटे राज्यों को छोड़कर देश के शेष भाग में न केवल भारतीय साम्यवादी दल बल्कि भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल भी अपना कोई विशेष अस्तित्व अभी तक नहीं बना पाये है और राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोधी दल के रूप में उनकी भूमिका कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। जनपद स्तर पर भारतीय साम्यवादी दल के संगठन, रणनीतियो एवं उनके कार्यकलापों के अध्ययन से भारत में विशेषकर उत्तर भारत में साम्यवादी दल के निष्प्रभावी दिखाई पड़ती है।

बांदा जनपद की सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था अनेक उपव्यवस्थाओं में विभाजित है। जनपद स्वयं एक क्षेत्रीय उपव्यवस्था है। क्षेत्रीय दृष्टि से जनपदीय समाज छोटी–छोटी उपव्यवस्थाओं में विभाजित है। क्षेत्रीय समिति न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा उसी उपव्यवस्था की श्रृंखला है। क्षेत्रीय व्यवस्था होते हुये भी जनपदीय समाज कई संस्थात्मक उपव्यवस्था में विभाजित है। उदाहरण के लिये प्रशासनिक उपव्यवस्था, शैक्षणिक उपव्यवस्था, विद्युत, सिंचाई संचार भी एक प्रकार की छोटी–छोटी व्यवस्थित इकाई है। अतः हम यह कह सकते है कि अध्ययनगत जनपद एक छोटी–मोटी व्यवस्था है। इसका एक समुदाय है। इसके अन्तर्गत साम्यवादी दल की संरचना और कार्य सुव्यवस्थित है।

दल पद्धति और दबावकारी गुटों की चर्चा राजनीति विषय के व्यापक अध्ययन का एक आवश्यक अंग है क्योंकि यह हमे राजनीति सिद्धांत और व्यवहार के अतीत और वर्तमान रूपों की परम्परागत परिधि से परे ले जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के आधुनिक रूप ने दल प्रणाली को प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक अपरिहार्य कारक के रूप में प्रस्तुत किया। राजनीतिक दल की एक सम्भव परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। राजनीतिक दलों से हमारा अभिप्राय अग्रणी लोगों से या उनके शिक्षिल रूप से गुम्फित गुट से होता है जिनका स्थानीय प्रत्यंगों से सीमित और

सविराम संबंध होता है। दल संरचना के कई निर्धारक तत्व होते है। यद्यपि दल संरचना के निर्धारक तत्व अलग–अलग होते है किन्तु इन्हें तीन प्रमुख कारकों में सीमित किया जा सकता है। ऐतिहासिक, सामाजिक विचाराधात्मक। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ–साथ राजनीतिक परिवर्तन होते है जिससे राजनीतिक दलों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है किन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक विचारधारा का है। साम्यवादी दल के गठन व उसकी कार्य नीतियों को विचारधारा एक सीमा तक प्रभावित करती है।

सैद्धांतिक धरातल पर साम्यवादी विचारधारा का मुख्य आधार वर्ग संघर्ष है। इस नीति के अंतर्गत सभी साम्यवादी दलों ने अपने को सर्वहारा वर्ग अर्थात गरीब किसान, खेतिहर, मजदूर, श्रमिक, श्रमजीवी मजदूर आदि शेषित वर्ग के रूप में जमींदार, पूंजीपति, सेठ, साहूकार, मिल मालिक आदि को अपना शत्रु समझकर उनके विरूद्ध 1948 में कलकत्ता के अपने अखिल भारतीय सम्मेलन[1] में वर्ग संघर्ष की नीति को अपनाया था। भारतीय साम्यवादी दल के क्रिया कलाप को जिस तत्व ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह यह है कि साम्यवादी विचारधारा में सामाजिक संरचना का आधार वर्ग माना गया है। भारत में विशेषकर बहुसंख्यक समुदाय के रूप में सामाजिक संरचना का आधार वर्ग नहीं बल्कि जाति रही है। भारत की राजनीतिक संस्कृति में जाति का यह तत्व इतना प्रभावकारी है कि भारत में साम्यवादी दल को भी इस तत्व का सहारा विशेष रूप से चुनावी राजनीति में लेना पड़ा। जैसा कि शोध प्रबंध के तृतीय अध्याय में स्पष्ट होता है।

सम्पूर्ण शोध प्रबंध में चुनावी आकड़ों, जनपदीय सामाजिक व्यवस्था आदि तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि साम्यवादी दल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि जनपदीय राजनीतिक विकास एक सच्चाई है और उससे भी अधिक वास्तविकता है साम्यवादी दल का जन्म

---

1. डॉ0सुनील कुमार श्रीवास्तव, 'विरोधी दलों की राजनीति' – राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0–289

विकास कार्यक्रम एवं विकास के कार्य में सहभागिता। यह सत्य है कि सम्पूर्ण जनपदीय जीवन उपनिवेशवादी सभ्यता का फलन रहा है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप भी आंशिक रूप से जनवादी रहा। जनता अवचेतन्य रही। नेतृत्व उदारवादी रहे और राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप अस्पष्ट रहा। अनेक विशेषताओं के बावजूद अध्ययनगत क्षेत्र में आंदोलन का प्रभाव नहीं के बराबर दृष्टिगोचर होता है। औपचारिक परिवर्तन अवश्य हुआ। जनपद की नयी रेखा खींची गयी। जिला प्रशासन का भारतीयकरण हुआ। विभिन्न संस्थायें बनी। विकास कार्यालय खुले फिर भी गरीब जनता विकास से उतना प्रभावित नहीं हो सकी जितनी वह अपेक्षा कर रही थी। ऊपर के तपके प्रभावित दिखाई देते है। स्वराज्य का प्रत्यक्ष फायदा सामंतवादी वर्ग को गया है। चुनाव प्रक्रिया उदारवादी रही लेकिन प्रगतिशील दलों का स्थान नगण्य रहा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के आंकड़े अवश्य मिलते है लेकिन स्वयं विकास की रेखा अकड़ी हुयी है। भूमि सुधार हुआ है किन्तु प्रायः प्राप्ति नव सामंतों को हुयी है। सिंचाई के क्षेत्र बढ़े है लेकिन धनी वर्ग के खेतों की सिंचाई होती है। कृषि का आंशिक मशीनीकरण हुआ है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण भी हुआ है। ग्रामसभा भी बनी है। पंचायत स्थापित हुआ है। न्याय पंचायत का गठन हुआ है। विकास क्षेत्र घोषित हुये। जिला परिषद क्रियाशील है लेकिन विकास के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। यही वह स्थल है जहां साम्यवादी दल अपने सूक्ष्म संगठन के सहारे जन चैतन्य को जगाये हुये है। छिटपुट प्रदर्शन संगठित कर देता है। कहीं लाल झण्डे को सुनिश्चित कर क्रांति की हवा पैदा कर देता है। किन्तु फिर भी साम्यवादी दल जिले में तीन विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर कोई खास सफलता नहीं हासिल कर सका इसका प्रमुख कारण यह है कि साम्यवादी दल जिन मुद्दों को लेकर संघर्षरत् रही है उन मुददो को अन्ततोगत्वा सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ही क्रियान्वित करती है और उसका राजनीतिक लाभ उठाती है जैसा कि शोध प्रबंध के तृतीय अध्याय के आम चुनावों के आकड़ों की स्थिति से स्पष्ट होता है कि प्रमुख रूप से बांदा विधानसभा क्षेत्र एवं

अन्य क्षेत्रों में भी साम्यवादी दल की प्रमुख प्रतिद्वन्दी पार्टी कांग्रेस ही रही है। सन् 1967 के बाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल के अभ्युदय के कारण उत्तरप्रदेश की राजनीति में जाति का तत्व अधिक प्रभावी हो गया है। कांग्रेस में तो जाति का तत्व पहले से ही काफी प्रभावी था। यद्यपि चुनाव की राजनीति में भारतीय साम्यवादी दल ने भी कुछ जाति के तत्व का सहारा लिया परन्तु इससे इनके सिद्धान्त एवं व्यवहार में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह भी भारतीय साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में कुण्ठा का एक कारण बन रही है। और इसी कारण से जनपदीय साम्यवादी दल के अधिकांश प्रमुख नेताओं ने दल की सदस्यता त्यागकर समाजवादी दल एवं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साम्यवादी दल अपने मूल सिद्धान्तों वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना से पीछे हट गया है और यह जाति समीकरण पर आधारित पार्टी बनती जा रही थी। समतामूलक समाज के लिये साम्यवादी विचारधारा अच्छी थी किन्तु इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाला गया। इसमें सही रूप में दलितों की पहचान नहीं की गइ। मजदूर वर्ग के नाम पर सिर्फ सरकारी मजदूरों को मजदूर माना गया। दलितों की उपेक्षा हुयी है। भारत में सर्वाधिक गरीब दलित समाज है। साम्यवादियों ने इन दलितों को अपने सिद्धान्तों का आधार नहीं बनाया। साम्यवादी विचारधारा जनमानस की विचारधारा न बनकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में सिमटकर रह गई हैं यही कारण है कि साम्यवादी दल में विघटन शुरू हो गया और जनपद के जिन विधानसभा क्षेत्रों में इसके प्रत्याशी विजयी होते थे वहां पर आज बहुजन समाज पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है।

वर्तमान में साम्यवादी दर्शन लगातार नीचे की ओर भले ही जा रहा हो परन्तु भविष्य में इसके पुनः स्थापित होने की सम्भावना है क्योंकि आज आम आदमी अपनी लड़ाई को नहीं समझ पा रहा है। मतदाता भ्रमित है। साक्षात्कार के आधार पर यह निष्कर्ष निकलते है कि जाति और सम्प्रदाय के आधार पर ज्यादा दिन राजनीति

नहीं की जा सकेगी। लोगों का भ्रम दूर हो जायेगा और साम्यवाद पुनः अपनी ताकत दिखायेगा। शिक्षा के आभाव में लोग साम्यवाद को नहीं समझ पा रहे हैं किन्तु भावी परिस्थितियां इंगित करती हैं कि जनता सब जगह से हारकर साम्यवाद की ओर पुनः आकर्षित होगी। यह अवश्य है कि वर्तमान समय में हिन्दुस्तान में यह कार्य कठिन है किन्तु हर हालत में दुनिया और देश का अंतिम विकल्प साम्यवाद होगा क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त के अनुसार हर स्थिति का प्रतिवाद होता हैऔर अंतिम स्थिति संवाद होती है। समान्तवादी व्यवस्था वाद थी तो पूंजीवादी व्यवस्था प्रतिवाद थी और इस प्रतिवाद की समाप्ति संवाद के रूप में वर्गविहीन समाज की स्थापना में दिखायी देती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विचार का आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता है और वह अपने आन्तरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो जाता ।

अतः अगर जनपदीय व्यवस्था में उपरोक्त तथ्य को देखें तो साम्यवादी दल में यद्यपि कुछ कमियां आ गयी है जिससे उसमे विघटन हो गया है किन्तु जब इसके अपने अन्तविरोध खत्म हो जायेंगे अर्थात इसमें दलितों को सही अर्थों में समझा जायेगा तो यह पुनः बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनकर जनपद में उभरेगी।

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर इसमें कमजोर पड़ने का एक कारण अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन का विघटन भी है। भारतीय आर्थिक परिस्थितियां भी ऐसी है जिसमें भारतीय अर्थतन्त्र ध्वस्त होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थितियों में वामपंथ का भविष्य उज्जवल दिखायी देता है। तथ मार्क्सवादी दर्शन व व्यवहार की दृष्टि से चीजे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी।

प्रस्तुत शोध प्रबंध के प्रारम्भ में चयनित सभी परिकल्पनायें सही पायी गयी। साम्यवादी दल के लिये सम्पूर्ण जनपदीय समाज एक चुनौती है।

भावी शोध की प्राथमिकतायें

यद्यपि शोध के प्रारम्भ में की गयी परिकल्पनायें सही पायी गयी एवं जिन चरों के माध्यम से शोध किया गया वे चर सम्पूर्ण साम्यवादी दलीय व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते है। किन्तु केवल एक जनपद के आधार पर कोई सामान्यीकरण करना शोध की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इसके लिये कई जनपदों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है जिन्हें हम भावी शोध में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी दल, समाजवादी चिन्तन, समाजवादी नेतृत्व जनपदीय समाज, जनक्रांति के बिन्दु, ग्रामीण सर्वहारा का हित भावी शोध के महत्वपूर्ण बिन्दु हो सकते है।

उपरोक्त भावी परिकल्पनाओं को शोध करने से पहले अध्ययनकर्ता को यह देख लेना चाहिये कि संबंधित तथ्य एवं विषय पर पर्याप्त साहित्य एवं जानकारी उपलब्ध है अथवा नहीं।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

अ– शोध कार्य हेतु प्रश्नावली (विधायकों एवं कार्यकर्ताओं हेतु)

ब– प्रश्नावली (सदस्यों हेतु)

स– साम्यवादी दल (संविधान नीतियां कार्यक्रम)

द– दल–बदल दसवीं अनुसूची

बाँदा जनपद में साम्यवादी दल की भूमिका शोध कार्य हेतु

प्रश्नावली

विधायकों एवं कार्यकर्ताओं हेतु

1. नाम
2. माता पिता का नाम
3. जन्म स्थान
4. बचपन कहां बीता तथा प्रारम्भिक शिक्षा
5. माता पिता का रोजगार एवं आर्थिक स्थिति
6. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा
7. साम्यवादी विचारों के प्रेरणा स्रोत (केवल साम्यवादी नेताओं से) तथा राजनीतिक कार्य एवं क्षेत्र-
8. रोजगार एवं आर्थिक स्थिति -
9. साम्यवादी विचारों के कमजोर पड़ने के कारण (उन साम्यवादी नेताओं से जिन्होंने पार्टी बदल ली है या ब0स0पा0 में आ गये हैं)-
10. वर्तमान राजनीतिक विचारों का आधार -
11. ''साम्यवादी दर्शन एवं व्यवहार'' की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की स्थिति आप की दृष्टि में

बांदा जनपद में साम्यवादी दल की भूमिका

शोध कार्य हेतु

प्रश्नावली

(साम्यवादी दल के सदस्यों को दल के प्रति अवधारण एवं सदस्यों का शैक्षिक, सामाजिक व राजनैतिक स्तर)

1. सदस्य का नाम आयु
2. सदस्य की जाति
3. सदस्य का व्यवसाय
4. सदस्य की आय के साधन

   कः— मासिक वेतन

   खः— कृषि

   गः— अन्य कोई साधन
5. भूमि

   कः— शहरी

   खः— कृषि भूमि सिचिंत असिचित
6. आप कम्युनिस्ट पार्टी में कब आयेः—

   ....
7. कम्युनिस्ट पार्टी में आने का आपका उददेश्य क्या है ?

   ....
8. किसके माध्यम से कम्यूनिस्ट पार्टी में आये।

   ....
9. कम्युनिस्ट पार्टी में आने से पूर्व क्या किसी पार्टी में थे एवं क्यों ?

   ....

10. उस पार्टी में किस उददेश्य से थे ?

....

11. पूर्व पार्टी कब छोड़ी ।

....

12. पार्टी छोड़ने का कारण ।

....

13. पारिवारिक स्थिति

(क) परिवार का स्वरूप :– (1) एकांकी

(2) संयुक्त

(ख) कुल सदस्यों की संख्या :– पुरूष स्त्री

(ग) सदस्य का शैक्षिक स्तर :– (1) शिक्षित

(2) अशिक्षित

14. आपने कहां तक शिक्षा प्राप्त की

....

15. परिवार में शिक्षा ग्रहण करने वाले सदस्यों की संख्या –

पुरूष .... स्त्री ....

16. वर्तमान में शिक्षा में कितना व्यय होता है–

....

17. सामाजिक स्तर–

(क) किसी सामाजिक संस्था के सदस्य है यदि हां तो किस संस्था के

....

(ख) संस्था के लिये आपने क्या किया

....

(ग) बांदा जनपद के पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आपका दृष्टिकोण

....

18. राजनैतिक स्तर

क: आप कौन–कौन से समाचार पत्र पढ़ते है ?

(1)

(2)

(3)

(4)

ख: आपको कैसा साहित्य अच्छा लगता है एवं आप कौन–कौन सी पत्रिकाये पढ़ते हो ?

(1)

(2)

(3)

(4)

ग: साम्यवादी विचारधारा से संबंधित कौन–कौन से पत्र एवं पत्रिकायें पढ़ते है?

(1)

(2)

(3)

साम्यवादी दल

एस.एन.राय की प्रेरणा से 26 दिसम्बर, 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। राय की सलाह से साम्यवादी कम्युनिस्ट इण्टरनेशल की शाखा मान लिया गया और सन् 1928 में कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल ने ही भारत में साम्यवादी दल की कार्य-प्रणाली निश्चित की। यथार्थ में भारतीय साम्यवादी आन्दोलन सोवियत संघ की देखरेख में ही शुरू हुआ और कई भारतीय साम्यवादियों को सोवियत संघ में प्रशिक्षण भी दिया गया। स्वाधीनता आन्दोलन के समय अनेक साम्यवादी नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिल-जुलकर कार्य किया, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस और साम्यवादी नेताओं के दृष्टिकोणों में आकाश-पाताल का अन्तर आ गया। जहां कांग्रेस जनता को ब्रिटिश राज के विरूद्ध संघर्ष का आह्वान कर रही थी वहीं साम्यवादी जनता से आग्रह कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार से सहयोग करें। इसका कारण यही था कि सोवियत संघ और ब्रिटेन मिलकर नाजी जर्मनी के विरूद्ध महायुद्ध लड़ रहे थे। दिसम्बर 1945 में कांग्रेस महासमिति ने सभी साम्यवादियों को अपने दल से निष्कासित कर दिया। जब भारत का नया संविधान अस्तित्व में आया तो साम्यवादी दल ने इसे 'दासता का घोषणा-पत्र' कहा।

संगठन- साम्यवादी दल के संगठ्न की निम्न इकाई सैल है। इसमें दो या तीन सदस्य होते है। इसके बाद ग्राम, शहर, जिला एवं प्रान्तीय स्तर पर 'सम्मेलन' होते है। प्रत्येक स्तर की एक कार्यकारिणी समिति होती है। साम्यवादी दल की सर्वोच्च शक्ति अखिल भारतीय दल कांग्रेस में निहित होती है। इसके प्रतिनिधि राज्य सम्मेलनों द्वारा भेजे जाते है। अखिल भारतीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय परिषद का निर्माण करती है और यह परिषद एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती है। केन्द्रीय समिति में महासचिव तथा दल के मुख्य नेता होते है। दल का एक केन्द्रीय नियन्त्रण आयोग भी होता है। साम्यवादी दल का संगठ्न लोकतान्त्रिक केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त पर आधारित है।

<u>भारतीय राजनीति में साम्यवादी दल –</u> स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ने 14 से 17 फरवरी, 1948 को अपने कलकत्ता सम्मेलन में 'कलकत्ता थीसिस' स्वीकार की। इस 'थीसिस' के अनुसार 'स्वाधीनता' को सच्ची स्वाधीनता नहीं माना गया, नेहरू सरकार को पूंजीवादी हितों का संरक्षक कहा गया और यह माना गया कि सरकार बड़े व्यावसायिक हितों का संरक्षण करने वाली है। साम्यवादी दल का यह विश्वास था कि सरकार आंग्ल–अमरीकी चंगुल में फंसी हुई है, अतः दल ने सभी क्रान्तिकारी तत्वों को सगंठित करके एक लोकतान्त्रिक गइबन्धन तैयार करने का निर्णय लिया। दल के महासचिव रणदिवे ने तो यहां तक कहा कि भारत में भी रूस की अक्टूबर क्रान्ति के समतुल्य 'अन्तिम क्रान्ति' प्रारम्भ की जा सकती है। मार्च 1947 में पश्चिमी बंगाल सरकार ने साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। कई साम्यवादी नेताओं को देश के विभिन्न भागों में गिरफ्तार भी कर लिया गया। साम्यवादियों ने देश के विभिन्न भागों में हड़ताल, बन्द भी आयोजित किये। तेलंगाना प्रदेश में तो साम्यवादियों ने आतंक का राज्य ही स्थापित कर दिया। साम्यवाद की गतिविधियों से तंग आ करके केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 'निवारक निरोध अधिनियम' के अन्तर्गत गिरफ्तार भी कर लिया। प्रथम आम चुनाव में साम्यवादी दल ने लोकसभा के 27 स्थानों पर विजय प्राप्त की आरै राज्य–विधानमण्डलों में उसे 181 स्थान प्राप्त हुए। लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल होने के कारण उसके नेता ए.के.गोपालन ने गैर–कांग्रेसी दलों का संयुक्त गठबन्धन बनानले का प्रयास भी किया। दूसरे जन–निर्वाचन दमें दल को लोकसभा में 29 स्थान प्राप्त हुए। केरल राज्य में दूसरे चुनाव में साम्यवादियों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 5 अप्रैल, 1957 को उन्होंने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया। विश्व के इतिहास में पहली बार चुनावों के माध्यम से साम्यवादियों को सत्ता में आने का यह पहला मौका मिला था।

साम्यवादी दल में कई कारणों से दरार पड़ने लगी। दिसम्बर 1953 की तीसरी कांग्रेस में साम्यवादी नेताओं के मतभेद खुले तौर से सामने आने लगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन के सवाल को लेकर नेताओं के बीच विवाद बढ़ा। अजय

घोष, पी.सी.जोशी, आदि का कहना था कि नेहरू सरकार प्रगतिशील नीतियों में विश्वास करती है, अतः उसके साथ सहयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर भूपेश गुप्त, रमन मूर्ति इत्यादि नेहरू सरकार को पूंजीवाद परस्त मानते थे और उसका विरोध करना चाहते थे। साम्यवादी दल में मतभेद का दूसरा चरण ख्रुश्चेव की निःस्टालिनीकरण की नीति थी। 1962 के भारत–चीन संघर्ष को लेकर भी गम्भीर मतभेद देखा जा सकता था। सन् 1964 के बाद तो साम्यवादी दल के दोनों गुटों में तनाव बहुत अधिक बढ़ा। फरवरी 1963 में डांगे द्वारा लिखे कुछ पत्रों को लेकर साम्यवादी दल में गम्भीर वाद–विवाद छिड़ गया। दल का वामपन्थी गुट चाहता था कि डांगे अपने पद से त्यागपत्र दे दें, किन्तु डांगे उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में दल के कतिपय प्रमुख सदस्य जैसे सुन्दरैया, ज्योति बसु, ए. के.गोपालन, नम्बूद्रीपास, भूपेश गुप्त, प्रमोद दास गुप्ता, इत्यदि दल से अलग हो गये। दोनों गुटों में समझौते के प्रयास भी किये गये, किन्तु वामपन्थी गुट के लोगों ने गोपालन के नेतृत्व में 11 सदस्यों का एक नया गुट संगठित कर लिया। इस गुट को भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) कहा जाने लगा।

विभाजन के पश्चात् साम्यवादी दल वैचारिक दृष्टिकोण से सोवियत संघ ने निकट रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि दल ने सत्ताधारी कांग्रेसस दल के साथ सहयोग करने की नीति प्रारम्भ कर दी। साम्यवादी दल ने कांग्रेस से सहयोग करने की नीति की शुरूआत मोहन कुमार मंगलम! की 'थीसिस' के आधार पर की। कुमार मंगलम! के अनुसार साम्यवादी कांग्रेस में धुस करके अन्तगोगत्वा सत्ता पर कब्जा कर सकते है।यह बात सर्वविदित है कि 1971 और 1972 के निर्वाचनों में साम्यवादी दल ने कांग्रेस के साथ न केवल सहयोग किया अपितु चुनाव–गठबन्धन भी किया। चुनावों के पश्चात् साम्यवादी दल ने केरल और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस से मिल–जुलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। साम्यवादी दल को अपनी रणनीति का तात्कालिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। अनेक भूतपूर्व साम्यवादियों को केन्द्र और राज्यों में मन्त्रिपदों पर भी नियुक्त किया गया।

सिद्धान्त और कार्यक्रम

भारत का साम्यवादी दल कार्ल मार्क्स व लेनिन के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करता है। साम्यवादियों का उद्देश्य पुरानी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो मार्क्स व लेनिन के सिद्धान्तों पर आधारित थे। भारतीय साम्यवादी दल मजदूरों व किसानों के सरंक्षण का दावा करता है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता है जिसमें "असमानता, जात–पांत, शोषण व सामाजिक कुरीतियों के लिए कोई स्थन नहीं होगा। सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की गारण्टी दी जायेगी।" श्री डांगे के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने " चीनी कम्युनिज्म की अपेक्षा रूसी कम्युनिज्म को चुना।"

साम्यवादी दल ने हिंसात्मक कार्यवाहियों को त्याग दिया है। साम्यवादी दल कांग्रेस को प्रगतिशील दल मानता है और उसके साथ सहयोग करना चाहता है। वह संविधान में इ प्रकार का संशोधन चाहता है ताकि संविधान–संशोधनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। दल ने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद व विधानसभाओं द्वारा स्वीकृत नामों की सूची में से की जाय। संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटा सके। दल का सुझाव है कि एकाधिकारी पूंजीपतियों, राजाओं तथा अन्य धनी व्यक्तियों के सम्पत्ति के अधिकार को बहुत कड़ाई के साथ सीमित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाये। जहां तक हो सके जन–साधारण की–जिसमें छोटी सम्पत्ति रखने वाले सम्मिलित है।–सम्पत्ति को पूंजीपतियों, जमींदारों, सूदखोरों, आदि के हमलों से बचाया जाये। दल चाहता था कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये। लोकतन्त्र व विधानसभाओं के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रणाली का चालू किया जाये। राज्यपाल, विधानपरिषदों के पद भी समाप्त कर दिये जायें।

साम्यवादी दल चाहता है कि कृषि के क्षेत्र में जोत की वर्तमान सीमा को काफी कम कर दिया जाये, जोत–सीमा के लिए परिवार की इकाई माना जाये और सीमाबन्दी से छूटों को समाप्त कर दिया जाये। औद्योगिक क्षेत्र में दल की मांग है कि एकाधिकार पूंजीपतियों की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। विदेशी तेल कम्पनियों औक्र विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, आदि को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जाये। दल चाहता है कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरूद्ध तथा सोवियत रूस व अन्य समाजवादी देशों के साथ मैत्री पर आधारित शान्ति व गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी जाये। रंगभेद के विरूद्ध और अधिक कार्यवाही की जाय तथा भारत ब्रिटिश राष्ट्मण्डल से अलग हो जाये। दल ने अपने 1971 के घोषणा–पत्र में कहा कि संविधान में यह आवश्यक संशोधन कर न्यायपालिका को इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह कानूनों की व्याख्या निहित स्वार्थो के हित में नहीं वरन् देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए करे। साथ ही न्यायपालिका को संविधान की प्रस्तावना तथा निर्देशक सिद्धान्तों में मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए।

साम्यवादी दल संवैधानिक तरीकों तथा लोकतन्त्र में विश्वास करता है। यह दल 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही', 'क्रान्ति की अनिवार्यता' को नहीं दोहराता है। 1971 में लोकसभा में इसके 23 सदस्य निर्वाचित हुए। इसने कांग्रेस के साथ सहयोग और समर्थन की नीति अपनायी। इस दल का प्रभाव आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व केरल राज्यों में अधिक है।

1977 के लोकसभा के चुनावों के समय श्रीमती गांधी के विरूद्ध रोष का वातावरण बन चुका था। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी को भी कोई विशेष कामयाबी हासिल

नहीं हुई। 1977 में गठित लोकसभा में साम्यवादी दल के केवल 7 सदस्य थे।

नवम्बर 1979 में श्री एस.ए.डांगे ने पार्टी के चेयरमेन पद से और केन्द्रीय समिति से त्यागपत्र दे दिया। श्री डांगे का मत था कि वामपन्थी ताकतें श्रीमती गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती हैं, परन्तु साम्यवादी दल के महासचिव राजेश्वर राव श्री डांगे की मान्यता (थीसिस) को सही नहीं समझते। उनके अनुसार आपातकाल में श्रीमती गांधी को समर्थन गलत था। 1980 में एस.ए.डांगे की पुत्री श्रीमती रोजा देशपाण्डे को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।

1980 के लोकसभा चुनावों के लिए वामपन्थी मोर्चे का गठन किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल मिलकार 11 स्थानों पर विजय हासिल की। मई 1980 के विधानसभाई चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार में अपने प्रभाव को कायम रखा। तमिलनाडु और पंजाब में उसने कमशः 10 व 9 सीटें प्राप्तकी। 1981 में श्री डांगे को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकालने के कई कारण बताये गये, जैसे दल विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और श्रीमती रोज देशपाण्डे द्वारा संस्थापित कम्युनिस्ट पार्टी के समारोह में भाग लेना।

कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता और सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये हैं, इसलिए उनका जनाधार (mass base) अब नहीं के बराबर है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि दोनो पार्टियां एक हो जायें तो राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर उसका जबर्दस्त असर पड़ेगा। मई 1982 में कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पश्चिम बंगाल में वामपन्थी मोर्चे को भारी बहुमत मिला, पर केरल में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।

दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल ने 66 स्थानों पर प्रत्याशी खड़े किये और 6 स्थानों पर उसके प्रत्याशी विजयी हुए। दल को 2.7

प्रतिशत मत प्राप्त हुए। मार्च 1987 में कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। पश्चिमी बंगाल में वामपन्थी मोर्चे को भारी बहुमत मिला। उसने 294 स्थानों में से 251 पर सफलता प्राप्त की जिनमें 11 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की थी। केरल में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में वामपन्थी मोर्चे की सरकार बनी। कम्युनिस्ट पार्टी इस सरकार में शामिल हुई।

नवम्बर 1989 के लोकसभा चुनावों में साम्यवादी पार्टी ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 12 सीटें हासिल हुई। 1991 के 10वीं लोकसभा के चुनावों में पार्टी को 14 सीटें प्राप्त हुई।

ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव (1996) और भारतीय साम्यवादी दल– भारतीय साम्यवादी दल ने 1991–95 के वर्षों में भारत सरकार की उदारवादी आर्थिक नीतियों का प्रबल विरोध किया और चुनाव के समय में जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि पार्टी निर्बाध उदारीकरण की नीति का त्याग कर देगी,, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोक देगी और जीवन के लिए आवश्यक 14 वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 50 प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल की स्थापना, अल्पसंख्यकों के जीवन तथा अधिकारों की रक्षा, भूमि सुधार कानूनों की कमियों को दूर कर उन्हें लागू करने तथा केन्द्र में संसाधनों के अति केन्द्रीकरण को रोकने आदि बाते कही गई। उद्योगों के प्रबन्ध के मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने और भूमि, सम्पत्ति तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के बराबर हक दिलाने की बात भी कही गई है।

1996 में लोकसभा चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों (2.0 प्रतिशत मत) पर उसे सफलता मिली। साम्यवादी दल संयुक्त मोर्चे में शामिल हुआ और श्री इन्द्रजीत गुप्त को गृहमन्त्री तथा श्री चतुरानन मिश्र को कृषि मन्त्री बनाया गया।

12वीं लोकसभा के चुनाव (फरवरी 1998) और भारतीय साम्यवादी दल– फरवरी 1998 में सम्पन्न 12वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को 9 सीटें प्राप्त हुई इनमें से 3 सीटें पश्चिम बंगाल तथा 2–2 सीटें केरल और आन्ध्र प्रदेश से उसे मिली।

13वीं लोकसभा चुनाव (सितम्बर–अक्टूबर 1999) और भारतीय साम्यवादी दल– सितम्बर–अक्टूबर, 1999 में सम्पनन 13वीं लोकसभा के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल को 4 सीटें प्राप्त हुई और उसका वोट प्रतिशत 1.45 रहा। दल ने 54 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए।

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)

(COMMUNIST PARTY (MARXIST))

सन् 1964 में साम्यवादी दल दो भागों में विभक्त हो गया तथा एक नये दल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ। इसके नेता प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, ए.के.गोपालन तथा पी. राममूर्ति है। 1967 ई. के चुनावों में इस दल को भारतीय साम्यवादी दल के मुकाबले में अधिक सफलता मिली। दल को लोकसभा में 19 एवं राज्य–विधानसभाओं में 128 स्थान प्राप्त हुए। केरल में नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में संयुक्त सरकार का निर्माण हुआ। पश्चिमी बंगाल में अजय मुखर्जी की संयुक्त सरकार में मार्क्सवादी–साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन् 1971 के चुनावों में इसकी शक्ति में वृद्धि हुई और लोकसभा में इसके 25 सदस्य हो गये।

संगठन– मार्क्सवादी–साम्यवादी दल का संगठन साम्यवादी दल की भांति ही सीढ़ीनुमा है। निम्न स्तर पर सैल होते हैं और उनके ऊपर ग्राम, शहर, तालुका, जिला एवं राज्य समितियां होती है। सभी समितियों की एक–एक कार्यकारिणी समिति होती है। केन्द्रीय समिति दल की सर्वोच्च संस्था है। केन्द्रीय समिति एक पोलिट ब्यूरो का चुनाव करती है। इसमें दल के प्रमुख नेता सम्मिलित होते है।

मार्क्सवादी दल का सामाजिक आधार व राजनीतिक उपलब्धि

किसी समय कम्युनिस्ट पार्टी संसद में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही थी और कई राज्यों की विधानसभाओं में भी उसका अच्छा प्रभाव था। बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। पहले जिन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावी थी, वहां अब मार्क्सवादियों की प्रधानता देखने को मिलती। जैसे–जैसे भारतीय साम्यवादी पार्टी क्षीण होती गयी, वैसे–वैसे मार्क्सवादी आगे बढ़ते गये। अब केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां मर्क्सवादियों के मुकबले कम्युनिस्टों का संगठन ज्यादा मजबूत है।

1971 के मध्यावधि चुनावों में मार्क्सवादी दल को लोकसभा में 25 सीटें मिली। पश्चिमी बंगाल इस दल का विशेष गढ़ है, परन्तु आन्ध्रप्रदेश, केरल व त्रिपुरा में इस दल का संगठन काफी मजबूत है। छठी लोकसभामें इस दल के 22 सदस्य थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी दल के 36 सदस्य चुनकर आये जिनमें से 27 पश्चिम बंगाल में चुने गये। मई 1980 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तमिलनाडु में मार्क्सवादी पार्टी ने 11 सीटें जीती और पंजाब में उसे 5 स्थानों पर विजय मिली। मई 1982 के चुनावों में वामपन्थी मोर्चे को पश्चिमी बंगाल में उल्लेखनीय सफलता मिली। वहां मोर्चे को तीन–चौथाई बहुमत मिला। मोर्चे के प्रमुख घटक मार्क्सवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली कि विधानसभा में उसे अकेले बहुमत प्राप्त हो गया। केरल विधानसभा में वामपन्थी मोर्चे को प्राप्त 63 सीटों में से मार्क्सवादी पार्टी 26 सीटें ले पायी। जनवरी 1983 में त्रिपुरा में फिर से वाम मोर्चे की सरकार बनी जिसमें सबसे ज्यादा मन्त्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे।

विचाराधारा, नीतियां तथा कार्यकम

मार्क्सवादी–साम्यवादी पार्टी डांगे तथा सी.पी.आई की ऐसे संशोधनवादियों के रूप में निन्दा करती है जो अपनी वर्ग सहयोग की अवसरवादी धारणा का अनुसरण

करना चाहते है। यह सी.पी.आई. पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती गांधी के अधीन कांग्रेस बुर्जुआ–जमींदार सरकार के साथ गठजोड़ किया जिसने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और सभी विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया।

इस दल के नेता किसानों और मजदूरों की तानाशाही कायम करना चाहते है। यद्यपि उन्होंने चुनाव की राजनीति का परित्याग करना उचित नहीं समझा अर्थात वे चुनावों में भाग लेते हैं, परन्तु उनका असली झुकाव लोकतन्त्रीय व वैधानिक पद्धतियों की ओर न होकर प्रदर्शन, घेराव का मोर्चों की ओर है।

मार्क्सवादी पार्टी काफी समय तक जनवादी चीन की ओर झुकी रही, परन्तु अफगानिस्तान में रूसी कार्यवाही का समर्थन करके उसने अपने को रूस के काफी निकट कर लिया। मार्क्सवादी पार्टी पर रूस की ओर से यह दबाव डाला जाता रहा कि वह कांग्रेस (आई) के प्रति नरम रूस अपनाये। पर मार्क्सवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। पार्टी के विजयवाड़ा सम्मेलन (1982) के बाद महासचिव नम्बूद्रीपाद ने कहा था, "रूस ने पार्टी का जनसमर्थन देखना शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी सोवियत रूस की मान्यता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस (आई) के प्रति नरमी बरतने को तैयार नहीं है। मार्क्सवादी पार्टी बिना सोवियत रूस की मान्यता के 18 वर्षों तक चलती रही है।"

यदि 1977–1980, 1984 व 1989 के चुनावों के लिए जारी किये गये घोषणा–पत्रों को देखें तो इस दल के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप हमारे सामने आता है:

संवैधानिक क्षेत्र में – मार्क्सवादी दल मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जन लोकतन्त्र स्थापित करना चाहता है। यह लोगों की प्रभुसत्ता के आधार पर एक नया संविधान चाहता है जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देगा और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसके अनुसार राज्यपाल के पद और केन्द्रीय व राज्य विधानमण्डलों में दूसरे सदनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह राज्यों कोऔर अधिक शक्तियां प्रदान करने, सभी नागरिकों को समान अधिकार, सभी भाषाओं के लिए समानता और राज्य सरकारों को भारतीय प्रशासनिक

तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का समर्थक है। इसके अनुसार काम करने के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राजनीति क्षेत्र में– मार्क्सवादी दल एक नयी शासन प्रणाली लाना चाहता है जिस 'जन लोकतन्त्र' कहा जाता है। इसके अनुसार एक सर्वहारा राज्य की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें शोषण के लिए कोई स्थान न हो। यह समाजवाद के लिए संसदीय मार्ग को अस्वीकार करता है। मार्क्सवादी दल न्यायपालिका की प्रतिबद्धता पर बल देता है। अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करे। सामाजिक सुधार लाने के लिए जो कानून बनाये जायें उन्हें अदालतों में चुनौती दी जा सके। मार्क्सवादी दल की मान्यता है कि राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाये। उनका कहना है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमण्डल को ही प्राप्त हो।

आर्थिक क्षेत्र में – (1) चीनी, कपड़ा,जूट, सीमेण्ट व अन्य महत्वपूर्ण उद्योग–धन्धों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा विदेशों में भारतीयों की जो पूंजी है, उस पर सरकार का अधिकार स्थापित किया जाय, (2) कारखानों व अन्य क्षेत्राों में कर्मचारियों को प्रबन्ध कार्यो में भाग लेने का अधिकार दिया जाय, छोटे किसानों को ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं मिलें तथा गरीबों से कर न लेकर करों का बोझ अमीरों के ऊपर डाला जाय (3) जमींदारी प्रथा का पूर्ण खात्मा किया जाय तथा भूमिहीनों एवं समाज के कमजोर वर्गों के बीच तेजी से भूमि बांटने का काम किया जाय। किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं गांवों की गरीब जनता पर जो ऋण हैं वे तत्काल रदद् किये जाये। उन्हें मकान बनाने के लिए निःशुल्क जमीनें दी जायें। गरीब किसानों को किसी भी अवस्था में उसके खेतों से बेदखल न किया जाय।

सामाजिक क्षेत्र में– मार्क्सवादियों ने निम्नलिखित कार्यकम पर बल दिया है: (1) हरिजनों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों

व विद्यालयों में स्थान आरक्षित किये जायेंगे। जिन हरिजन भाइयों ने बोद्ध धर्म अपना लिया है, उन्हें ये सुविधाएं बराबर मिलती रहनी चाहिए (2) मुसलमानों और उर्दू भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। (3) अहिन्दी भाषा–भाषियों पर हिन्दी नहीं लादी जायेगी।

विदेश नीति के क्षेत्र में – मार्क्सवादियों का कहना है कि भारत का हित इसी बात में है कि वह पूंजीवादी ताकतों का विरोध करें तथा समाजवादी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाये। समाजवादी वियतनाम और कंपूचिया की हैंग सैमरिन सरकार के साथ उसे विशेष हमदर्दी थी। पार्टी तीसरी दुनिया के उन देशों का समर्थन करती है जो अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे है। पार्टी की यह मांग थी कि भारत सोवियत मैत्री सन्धि पर पूरी तरह अमल किया जाय तथा चीन के साथ संबंध सामान्य बनाये जायें।

पश्चिम बंगाल के देहाती क्षेत्रों में भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्क्सवादी दल वहां सभी जिलों में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुआ है।

दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी ने 64 स्थानों पर प्रत्याशी खड़े किये और उसके 22 प्रत्याशी विजयी हुए। उसे 5.7 प्रतिशत मत मिले। मई 1987 में पश्चिम बंगाल में वामपन्थी मोर्चे ने लगातार तीसरी बार शानदार विजय हासिल की। इस विजय का मुख्य श्रेय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है जिसे 294 विधानसभाई स्थानों में से 187 स्थान मिल। केरल में भी वामपन्थी मोर्चे की सरकार बनी, जिसका प्रमुख घटक मार्क्सवादी दल है। त्रिपुरा में आयोजित विधानसभा चुनावों (अप्रैल, 1993) में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेले 60 में से 36 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया।

नवम्बर 1989 के लोकसभा चुनावों में माकपा ने 64 स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये और उसे 33 सीटें प्राप्त हुई। दसवीं लोकसभा चुनावों (1991) में पार्टी को 35 सीटें प्राप्त हुई।

ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव (1996) और मार्क्सवादी दल का चुनाव घोषणा-पत्र- मार्क्सवादी दल ने अपने 46 सूत्री घोषणा पत्र में मतदाताओं से वायदा किया कि वह सत्ता में आने पर नरसिंह राव सरकार की 'निर्बाध उदारीकरण' की नीति को त्याग देगी, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोक देगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जीवन के लिए आवश्यक 14 वस्तुएं 50 प्रतिशत कम्म कीमत पर उपलब्ध कराएगी, पांचवे वेतन आयोग की सफारिशों को क्रियान्वित करेगी, संसद तथा विधानमण्डलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित कराएगी, सभी गांवों में पेयजल उलब्ध कराएगी, राष्ट्रीय बजट का 10 प्रतिशत और राज्य के बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगी, रोजगार तथा आवास को मूल अधिकार का दर्जा देगी तथा धर्मान्तरण कर ईसाई बने दलितों को अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेंगी।

इसके साथ ही विदेशी निवेश को प्राथमिकता नहीं देने, सार्वजनिक क्षेत्र को स्वायत्ता देने, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने, सैन्य कर्मचारियों को एक पद के लिए एक वेतन देने, भूमि सुधार कानूनों की कमियों को दूर कर उन्हें सख्ती के साथ लागू करने, खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने, सम्पत्ति तथा भूमि में महिलाओं को पुरूषों के बराबर का हक दिलाने, अल्पसंख्यकों को जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा देने, चुनाव सुधार के लिए व्यापक विधेयक लाने, लोक पाल विधेयक लाने और उसके दायरे में प्रधानमन्त्री को लाने, केन्द्र में संसाधनों का अतिकेन्द्रीकरण रोकने, राजनीति का अपराधीकरण रोकने, आम जनता को शीघ्र तथा सस्ता न्याय दिलाने, राज्यों को अधिक अधिकार देने और पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने का भी वायदा किया है।

1996 के लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 75 सीटें पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और 32 सीटें (6.1 प्रतिशत मत) पर उसके प्रत्याशी विजयी

हुए। मार्क्सवादी दल ने केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को बाहर से समर्थन दिया।

12वीं लोकसभा के चुनाव फरवरी 1998 और मार्क्सवादी दल- फरवरी 1998 में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को 32 सीटें प्राप्त हुई और दल कांग्रेस के नेतृत्व में गैर-भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत सीरखे पदाधिकारी कांग्रेस को भाजपा से कम खतरनाक दुश्मन बताने लगे।

13वीं लोकसभा के चुनाव सितम्बर-अक्टूबर 1999 और मार्क्सवादी साम्यवादी दल- बार-बार खण्डित जनादेश के चलते 1996 से ही मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी की अगुआई में राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा वाममोर्चा 1999 में अपनी जोड़-तोड़ की क्षमता खो बैठा। 11 वी लोकसभा (1996-98) में वह सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे को पीछे से चलाने वाला सशक्त चालक था।

13वीं लोकसभा के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने 72 प्रत्याशी खड़े किए और उसके 33 प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचे। दल को 5.38 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। मई 2001 में सम्पन्न प.बंगाल विधानसभाचुनावों में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चे को 294 में से 199 सीटों पर जीत हासिल हुई। अकेली मार्क्सवादी सा.पार्टी को 143 सीटें प्राप्त हुई।

माकपा ने 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार को, 1989 में वी.पी.सिंह की सरकार को तथा 1996-97 में देवगौड़ा एवं गुजराल सरकारों को बाहर से समर्थन दिया था। देश में सबसे लम्बे समय तक मुख्यमन्त्री रहने का रिकार्ड बनाने वाले नेता ज्योति बसु माकपा के ख्याति प्राप्त दिग्गज है।

दसवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191 (2))

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध

1. निर्वाचन- इस अनुसूची में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "सदन" से, संसद काकोई सदन या किसी राज्य की यथास्थिति, विधानसभा या विधान-मण्डल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो, यथास्थिति, पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 के उपबन्धों केअनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबन्धों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य है;

(ग) सदन के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, "मूल राजनीतिक दल" ऐसे राजनीतिक दल अभिप्रेत हैं जिसका वह पैरा 2 के उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है।

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता- (1) पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा;

(क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की, जिसका वह सदस्य है, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है;

या

(ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल व्यक्ति का प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण– इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए–

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नाम निर्देशित सदस्य के बारे में–

(i) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नाम निर्देशन का तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य हैं, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य हैं;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जायेगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका वह यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छ' आस की समाप्ति के पूर्व सदस्य यथास्थिति, बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 का अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छः मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बाबनवाँ संशोधन) अधिनियम 1985 के प्रारम्भ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)–

(i) जहां वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल

द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उपपैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायेगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उपपैरा (3) के प्रयोजन के लिए, यह समझा जायेगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन को लागू न होना- जहाँ सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधान-दल के कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह गठित करते हैं जो उनके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधान-दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य है वहाँ-

(क) वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरर्हित है, नहीं होगा कि-

(i) उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या

(ii) उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरूद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है, और

(ख) ऐसे दल विभाजन के समय से ऐसे गुट के बारे में यह समझा जायेगाकि वह, पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय को लागू न होना-(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 उपपैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल

राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य–

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नये राजनीतिक दल के सदस्य बन गये हैं या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है,

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नये राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जायेगा कि वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह उस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उपपैरा (1) के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल रानजीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान–दल के कम से दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं।

5. छूट– इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी; कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के पद या उपाध्यक्ष हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा–

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किये रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है ; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद

न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय– (1) यदि यह प्रश्न उठ्ता है कि सदन को कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के यथास्थिति, सभापति, या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु जहाँ यह प्रश्न उठ्ता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, वहाँ वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करें और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे, यथास्थिति अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियाँ है या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान–मण्डल की कार्यवाहियाँ है।

7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन– इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगा।[1]

8. नियम– (1) इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष; इस अनुसूची के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखन;

---

1. उच्चतम न्यायालय ने किहोटी होल्लोहीन बनाम जंचील्हू (1992) ISCC 309 प्रकरण में दिये गये अपने एक निर्णय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया

(ख) ऐसी रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के सम्बन्ध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत् पैरा 2 के उपपैरा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की काफी के सम्बन्ध में देगा, समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट की जायगी,

(ग) ऐसी रिपोर्ट जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसकी ऐसी रिपोर्ट दी जाएँगी और

(घ) पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी जाँच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

(2) इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा बनाया गया नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वह नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा जब तक उसका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वह नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिया जाता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वह रखा गया था या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि नियम इस प्रकार अनुमोदन कर दिया जाता है तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा।

3 सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबन्धों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Adhikari, G.D. : Communist Party and India's Path to National Regeneration and Socialism, Asaf Ali Road, New Delhi, 1964.

2. Ahmed, Muzaffer : The Communist Party and India and Its formation Abroad, Translated by Hirendranath Mukerjee, Calcutta, National Book Agency, 1962

3. Ball, A.R. : Modern Politics and Government, Macmillan, London, 1971.

4. Baireethi, Shastri : Communism and Nationalism in India (A study in International-Relationship 1919-1947), Anamika Prakashan, New Delhi.

5. CentralCommittee Documents, Election Manifesto of the Communist Party of India, Calcutta, CPI 1951.

6. Churya, G.S. : Caste and Class in India, Allied Publishing, Bombay, 1955.

7. Chandra, Bipan : The Indian Left, Critical Appraisals, Vikas Publishing House, New Delhi, 1983.

8. Dange, Shripot Amrit :On The Indian Trade Union Movement, Bombay Communist Party of India, 1952 A Report to a Convention of Communist Party members working in the trade union Movement, Calcutta, May 20-22, 1952.

9. Deva, Acharya Narendra :Socialism and The National Revolution Bombay, Palma Publications Ltd. 1946.

10. Degrees, J.Ed. : The Communist International, 1919-1922 Vol.I. London, oxford University Press, 1965.

11. Drupe, David N. : Soviet Russia and Indian Communism, New York, Bookman Associates, 1965.

12. Dutt. Rajani Palme :Modern India, 2nd ed. rev. London, Communist Party of Great Britain, 1927

13. Election Manifesto Issued by Political-Parties, 1952-2002

14. Fisches, Ruth, : Stalin and German Communism, A Study in the origin of the state Party, cambridge Harved University Press, 1948.

15. Government of India-Election Commission Report on the General Election 1952-2002

16. Gilbet, Alan : Marx's Politics, Communist and Citizens, Murtin Roberts on and Company Ltd. Oxford, 1981.

17. Hartman, Horst : Political Parties in India Meenakshi Prakashan, Neerut, 1980.

18. Joshi, P.C. : Communist Reply to Congress Working Committee and Chanqes, P.P.H. Bombay 1955

19. Kaye, Cecil : Communism in India, Unpublished documents from National Archieves of India (1919-1924) compiled and edited by Subodh Roy, Calcutta.

20. Marx, Karl : Articles on India, 2nd ed. Bombay, People's Publishing House Ltd. 1951, These Articles originally appeared in the new York, International Publishers, 1953.

21. Masni, Minochertier : The Communist Party of the India, New York, Macmillan, 1954.

22. Misra, B.B., : The Indian Political Parties An Historical Analysis of Political Behaviour, 1947.

23. Narain, Iqbal : State Politics in India, Meenakshi Prakashan, Meerut, 1977

24. Nambodripad, E.M.S. : A Short History of the Present Movement in Kerala, Bombay, 1943.

25. Overstreet, Gene D and Windmillies, Marshall : Communism in India, Berkeley University of california Press, 1965.

26. Panikkar, K.N. : National and Left Movement in India, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,

27. Robert A Scalapino : The Communist Revolution in Asia, Tactics, Goals and achievements (Second Edition)

28. Sen, Mohit : Documents of the History of the Communist Party of India, Vol VIII, (1951-56), P.P.H. New Delhi, 1977.

29. Tagore, Sawnyendranath : Historical Development of the Communist Movement in India, Calcutta, Red front Press, 1944.

सहायक ग्रन्थ सूची

1. उपाध्याय विश्वमित्र — भारत का मुक्ति संघर्ष एवं रूसी क्रान्ति, (1930–47) नवयुग प्रकाशन, नई दिल्ली ।
2. एंगेल्स प्रेडरिक — मार्क्स की पूंजी, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1978
3. कश्यप, सुभाष — दि पालिटिक्स आफ पावर नेशनल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1974
4. गणेश मंत्री — मार्क्स, गांधी और सम सामयिक संदर्भ, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली।
5. उवेती, मलोत्री — मार्क्स और तीसरी दुनिया, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड नईदिल्ली
6. जेबेलव, अलेक्सान्द्र — समाजवाद और पूंजीवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रश्न प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1978
7. प्रसाद, गुरू — कम्यूनिस्ट आन्दोलन की समस्यायें सिद्धान्त एवं पद्धति कुछ प्रश्न, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1980
8. बर्न्स, एमाइल — मार्क्सवाद क्या है ? एनाटामी आफ मास इन्फलएन्स, नेशनल पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 1972।
9. सांकृत्यायन, राहुल — मानव समाज, लोक भारती प्रकाशन, महात्मा गांधी मार्ग इलाहबाद, 1982
10. – – – – – – — लेनिन एक जीवनी, पी0पी0एच0, नई दिल्ली, 1982
11. शर्मा, रामविलास, — मार्क्स, त्रोल्सफी और एशियाई समाज लोक भारती प्रकाशन, 15–ए महात्मा गांधी मार्ग इलाहबाद ।
12. श्रीवास्तव, डॉ सुनील कुमार — विरोधी दलों की राजनीति, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
13. अफनास्येव — मार्क्सवादीदर्शन, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
14. मार्क्स, कार्ल — केपिटल (हिन्दी संस्करण) पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
15. – – – – – — द क्रिटिक आफ पोलिटिकल इकानामी, एच बेरिस एंड कम्पनी, शिकागो, 1904
16. कैरियो हंट, आर0एस0 — दी थ्योरी एंड प्रेक्टिस आफ कम्यूनिज्म, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1955
17. दिओर, दिलेर — उदारवाद और मार्क्सवाद, समकालीन राजनीति का परिचय, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
18. चांग, एस0एच0 — दी माक्सियन थ्योरी आफ दी स्टेट, अनुपमा पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1987
19. जौहरी, जे0सी0 — तुलनात्मक राजनीति, विशाल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
20. नेहरू जवाहर लाल — डिस्कवरी आफ इन्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस,बम्बई 1973

21. गुडे एण्ड हाट — ''मेथड्स इन सोशल रिसर्च''
22. गुप्ता आर.बी. एवं गुप्ता मीरा — ''सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण'' सामाजिक विज्ञान कानपुर
23. अयोध्या सिंह — ''भारत का मुक्ति संग्राम'', मेकमिलन इण्डिया लिमिटेड, 1982
24. बिनोवा — ''लोकनीति'', राजघाट, वाराणसी, सेवा संघ प्रकाशन
25. नपेन्द्र प्रसाद मोदी — '' लोकतंत्र को विकल्प – लोकनीति'', मानक पब्लिकेशन्स प्रा0लि0
26. डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी — ''भारत का संविधान''., इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
27. डॉ.सुभाष कश्यप — ''दल बदल और राज्यों की राजनीति''

JOURNALS AND NEWSPAPERS

1. **Asian Survey.**
2. **Economic Weekly**
3. **Main Stream, New Delhi**
4. **Moscow News, Hovert Press, Moscow.**
5. **National Herald, Daily, Lucknow.**
6. **Hindustan Times, Daily, New Delhi.**

7. दैनिक जागरण, कानपुर ।
8. दैनिक कर्मयुग प्रकाश, बांदा तथा उरई ।
9. इंडिया टुडे ।
10. दिनमान, साप्ताहिक, दरियागंज, नई दिल्ली ।
11. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मासिक पत्र, नई दिल्ली ।

अन्य

1. बॉदा का ग्रजेटियर
2. जनगणना पत्रिका बॉदा जनपद – 1981–1999
3. सांख्यिकी पत्रिका बॉदा जनपद – 1981–1999